खण्ड-328, अंक-3
शुक्रवार, 15 आश्विन, शक संवत् 1899
(7 अक्टूबर, 1977 ई0)

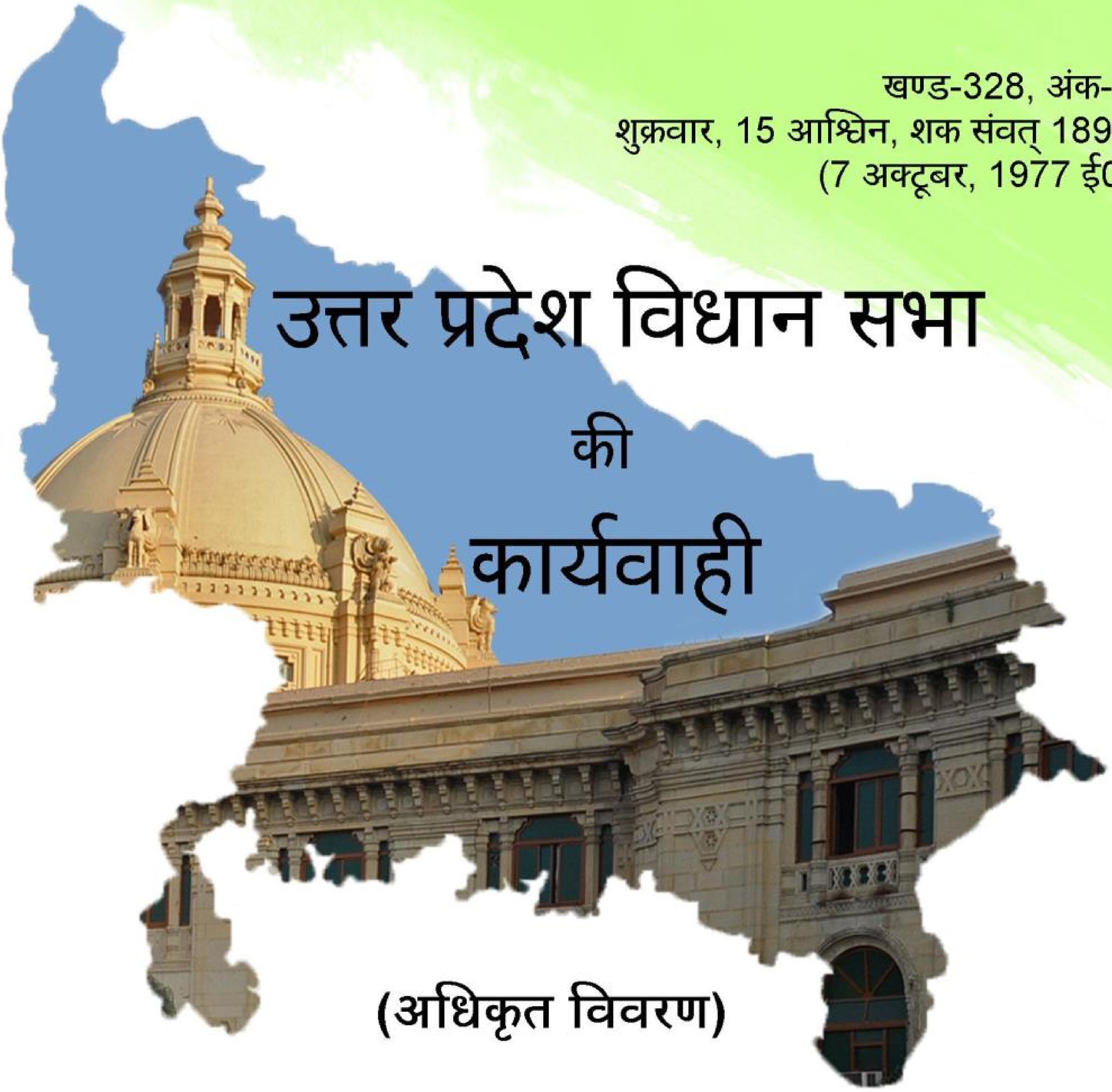

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 328 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य ..	२९९-३०३
बिजली के अभाव में सदन की कार्यवाही का स्थगन ..	३०५
प्रश्नोत्तर ..	३०५-३२४
कानपुर के दो जिलों के एकीकरण के विरोध में डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी राकेश द्वारा सदन में कथित प्रतीक भूख हड़ताल के सम्बन्ध में श्री शतरुद्ध प्रकाश द्वारा नियम ३०० के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न ..	३२५-३२६
शिया-सुन्नी झगड़े को शान्त कराने हेतु किए गए प्रयास के सम्बन्ध में जानकारी ..	३२६
कानपुर में जनता पार्टी के जुलूस पर कांग्रेसियों द्वारा कथित पथराव के विषय में श्री मोतीलाल देहलवी द्वारा दी गई नियम ५२ की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी (जारी) ..	३२७
कार्य-सूची में रोमन अंकों और अक्षरों के प्रयोग पर आपत्ति ..	३२७
कानपुर में जनता पार्टी के जुलूस पर कांग्रेस दल द्वारा कथित पथराव के विषय में श्री मोतीलाल देहलवी द्वारा दी गयी नियम ५२ की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी ..	३२८
सरकारी चिकित्सालयों में सरकारी घोषणा के बावजूद पर्चा शुल्क लिए जाने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना ..	३२८-३२९
प्रदेश के राजकीय खाद्यान्न भंडारों में दूषित खाद्यान्न के विषय को सदन के संज्ञान में लाना ..	३२९
श्रीमती इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में आगरा में निकले जुलूस द्वारा की गई कार्यवाहियों के विषय को सदन के संज्ञान में लाना ..	३२९-३३०
फरेन्दा, गोरखपुर के जंगल के किनारे स्थित गांवों में जंगली जानवरों द्वारा की जाने वाली क्षति के विषय को सदन के संज्ञान में लाना ..	३३०-३३१
श्रीमती सुनीता चौहान, सदस्य विधान सभा की गिरफ्तारी की सूचना	३३१
नियम ५१ की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी ..	३३१
सदन के चलते सदन से बाहर बिक्री-कर में छूट सम्बन्धी घोषणा करने के सम्बन्ध में संस्थागत वित्त मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	३३१-३३२
श्री मोहन लाल, सदस्य विधान सभा की रिहाई के सम्बन्ध में सूचना	३३२
बस्ती जिले में कत्ल तथा डकैतियों की घटनाओं के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत २३ जुलाई, ७७ को हुए मुख्य मंत्री के वक्तव्य में शोधन ..	३३२-३३३

विषय	पृष्ठ-संख्या
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना ..	३३३
१९७७-७८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या २१-पुलिस, अनुदान संख्या ३-मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या ५-निर्वाचन, अनुदान संख्या १८-सचिवालय, अनुदान संख्या १९-जिला प्रशासन, अनुदान संख्या २५-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, अनुदान संख्या ३६-सूचना तथा प्रचार, अनुदान संख्या ३९-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रम, अनुदान संख्या ४१-अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं तथा अनुदान संख्या ४४-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं (जारी) ..	३३३-३९९
सदन का समय बढ़ाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	३९९
१९७७-७८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या २१-पुलिस, अनुदान संख्या ३-मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या ५-निर्वाचन, अनुदान संख्या १८-सचिवालय, अनुदान संख्या १९-जिला प्रशासन, अनुदान संख्या २५-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, अनुदान संख्या ३६-सूचना तथा प्रचार, अनुदान संख्या ३९-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी कार्य क्रम, अनुदान संख्या ४१-अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें तथा अनुदान संख्या ४४-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं (स्वीकृत) ..	३९९-४०७
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें ..	४०८
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७७ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	४०८
उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९७७ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	४०९
दर्शक दीर्घा से सदन में पर्चे फेंकने और नारे लगाने की घटनायें (जारी) ..	४०९
सदन का समय पुनः बढ़ाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	४०९
दर्शक दीर्घा से सदन में पर्चे फेंकने तथा नारे लगाने की घटनायें ..	४१०-४११
जलपान गृह में अव्यवस्था के सम्बन्ध में शिकायत ..	४११
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण उपकुलपति का घेराव तथा आमरण अनशन के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य (जारी) ..	४११-४१२
सदस्य श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' द्वारा सदन या उसके परिसर में अनशन करने के लिए अनुमति हेतु पत्र ..	४१२
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण उपकुलपति का घेराव तथा आमरण अनशन के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य (जारी) ..	४१२-४१३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ७ अक्तूबर, १९७७

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य (३६६)

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फर-नगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अनवार अहमद, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
अशफाक, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेई, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाइल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
ऊदल, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
ओसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्ता, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
काली चरण, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल
कृष्ण कान्त मिश्रा, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
खान गफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेई, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिराश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकरभैया, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जयराम, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेजभान सिंह, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्गविजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्म गज सिंह, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह भंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलवारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)

बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुलांठा अरविंद, श्री
बलदेव, श्री
बलबीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शैल, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल सरोज, श्री
बाबू सिंह, श्री
बाबू सिंह, श्री
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज वल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखम, श्री
मंगल देव, श्री
मंगलराम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसेन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मंजूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मनू राम, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकुन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द ठाकुर, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
(जिला देवरिया)
मोहम्मद उस्मान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री

रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्दर सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्ता, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव दुबे, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रताप शास्त्री, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्ष, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राम शिरोमणी दुबे, श्री
राम संजीवन, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री (जिला एटा)
राम सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भू नाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह निर्भय, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायन तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री

संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसेन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल सिंह, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र कुमार कालरा, श्री (सिन्धु)
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोंनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन लाल, श्री
सोहन बीर सिंह तोमर, श्री
हबीब अहमद, श्री
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद श्री
हरि चरन यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम चन्द तिवारी, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट--मुख्य मंत्री, श्री राम नरेश यादव तथा गन्ना मंत्री, श्रीमती चन्द्रावती भी सदन में उपस्थित थीं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा सचिवालय पुदुच्चेरी

बिजली के अभाव में सदन की कार्यवाही का स्थगन

श्री अध्यक्ष--

बिजली न होने के कारण, सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है ।

(सदन ११ बजकर ३० मिनट तक के लिए स्थगित हो गया तथा ११ बजकर ३० मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ७ अक्तूबर, १९७७

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

पुलिस अधीक्षक, सीतापुर का स्थानान्तरण

**१--श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर), श्री गोकरन प्रसाद (जिला सीतापुर) तथा श्री लाल दास (जिला सीतापुर)--

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उन्होंने इस प्रकार का आदेश प्रसारित किया है कि दिनांक ३१ अगस्त, १९७७ के बाद किसी अधिकारी का स्थानान्तरण न किया जाय ? यदि हां, तो क्या कारण है कि पुलिस अधीक्षक, सीतापुर का स्थानान्तरण सितम्बर, सन् १९७७ के अन्त में कर दिया गया है ?

राजनैतिक पेंशन उप मंत्री (श्री सत्यदेव त्रिपाठी)--

शासन द्वारा इस आशय के आदेश प्रसारित किए गए हैं कि केवल उन प्रसंगों को छोड़कर जिनमें स्थानान्तरण करना अत्यन्त आवश्यक अथवा अपरिहार्य हो, ३१ अगस्त, १९७७ के बाद, इस वित्तीय वर्ष में कोई स्थानान्तरण आदेश प्रसारित न किए जायं ।

पुलिस अधीक्षक, सीतापुर का स्थानान्तरण सितम्बर, १९७७ में प्रशासनिक कारणों से किया गया है ।

श्री गनेशी लाल चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन से प्रशासनिक कारण हैं जिनके कारण ए० पी०, सीतापुर का स्थानान्तरण सितम्बर महीने में किया गया ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

श्रीमन्, श्री छोटे लाल, एस० पी० सीतापुर का स्थानान्तरण कुछ शिकायतों के आधार पर प्रशासनिक कारणों से किया गया जिनका उल्लेख करना सदन में वांछित नहीं है ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । श्रीमन्, गोपनीयता का जहां तक प्रश्न है 'सेक्योरिटी आफ दि स्टेट' हो, तो मैं समझ सकता हूं लेकिन शिकायतें हैं और प्रशासनिक कारणों का कहना जिनको बताना उचित नहीं है । तो मान्यवर, आप इस पर व्यवस्था दें कि यह उत्तर ठीक है कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

वांछनीय नहीं कहना चाहिए । आपको उत्तर के अन्दर कहना चाहिए कि शिकायतें मिली हैं जिनको बतलाना शासन के हित में नहीं है, वह गोपनीय है। कृपया मंत्री जी अपना उत्तर संशोधित कर लें ।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

श्रीमन्, मैंने निवेदन किया कि प्रशासनिक कारणों से उनका ट्रान्सफर किया गया है । कुछ शिकायतें मिली हैं जिनका बताना जनहित में ठीक नहीं है ।

श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)--

मान्यवर, सीतापुर में एक बालाजी वेजीटेबिल प्रोडक्ट है, जिनके मालिक ३०७ धारा के अन्तर्गत फंसे थे । क्या उनकी शिकायत पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनका ट्रान्सफर किया है ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

श्रीमन्, ऐसी कोई जानकारी इस समय सरकार के पास नहीं है ।

श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या श्री छोटे लाल हरिजन अधिकारी हैं और वह केवल ४ महीने से सीतापुर में थे ? वहां के जिलाधिकारी ३ वर्ष से वहां हैं । क्या प्रशासनिक कारणों में से एक कारण यह भी है कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक में मेल मिलाप नहीं रह गया था ? तो शासन के इस सिद्धान्त को देखते हुए कि जिलाधिकारियों में जहां जिस अधिकारी से मेल मिलाप न हो तो उन दोनों अधिकारियों को ट्रान्सफर कर दिया जाय । इसलिए क्या वहां जिलाधिकारी को ट्रान्सफर करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह नहीं ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, मंत्री जी ने कहा कि शिकायतों के आधार पर ट्रान्सफर किया गया। तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन शिकायतों की जांच कराने के बाद यह निर्णय लिया गया या बिना जांच के यह निर्णय लिया गया ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

श्रीमन्, तमाम जो शिकायतें थीं उनकी प्राथमिक जांच की गयी और फिर प्रशासनिक आधार पर उनका ट्रान्सफर किया गया।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ३१ अगस्त के बाद अब तक विभिन्न विभागों में जो ट्रान्सफर किए जा रहे हैं वह पोलिटिकल आधार पर किए जा रहे हैं, क्या यह बात सही है ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

श्रीमन्, इसके लिए सूचना की आवश्यकता है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस हरिजन अधिकारी को विगत एक वर्ष में कितनी बार और कितने-कितने दिनों के बाद स्थानान्तरित किया गया ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

श्री छोटे लाल, पुलिस अधीक्षक को सीतापुर में ४-३-७७ को कार्यभार सौंपा गया। इसके बाद २७-९-७७ को वह पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी के पद पर चले गये।

श्री अध्यक्ष--

उनका प्रश्न यह है कि एक साल में कितने-कितने दिनों बाद कहां-कहां स्थानान्तरण किया गया।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

मैंने पिछले छै महीनों का बताया। बाकी के लिए सूचना की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष--

आपको अनुपूरक की सामग्री में यह जानकारी लेकर आनी चाहिए थी कि इसके पहले इनके कितने ट्रान्सफर्स हुए।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इनके विरुद्ध किस अधिकारी से जांच करायी और उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

प्राथमिक तौर पर विभागीय जांच करायी गयी ।

श्री अध्यक्ष—

आप इसका उत्तर दीजिये कि इस एस० पी० की जांच किसने की ।

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

श्रीमन्, उत्तर में भी लिखा है और मैंने निवेदन किया कि कुछ शिकायतें थीं जिनका विभागीय तौर पर अवलोकन करने के बाद प्रशासनिक कारणों से उनका ट्रान्सफर कर दिया गया । शिकायतों का बताना जनहित में नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

शिकायतें नहीं । आपने उत्तर दिया है कि जांच की गयी । प्रश्न यह है कि किसने जांच की ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

जांच अधिकारी का नाम जनहित में देना उचित नहीं है, जांच चल रही है । उनको प्रभावित किया जा सकता है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शांत रहिये । आपका उत्तर असंतोषजनक है । जब आपने कहा कि अधिकारी ने जांच की तो उसका नाम बताना चाहिए ।

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

चूंकि जांच चल रही है इसलिए उनको प्रभावित किया जा सकता है. . . .

(व्यवधान)

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि सन् ७६ से मार्च, ७७ तक उनकी पोस्टिंग कहां-कहां रही ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

७७ की तो बता दिया । ७६ के लिए सूचना की आवश्यकता है ।

(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, अभी माननीय मन्त्री जी ने इस प्रश्न के जवाब में कहा कि कुछ शिकायतें मिलीं और उनकी प्राथमिक जांच के बाद उनका स्थानान्तरण

किया गया । एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा कि जांच चल रही है । तो मान्यवर, इस समय व्यवस्था का प्रश्न तो उठा नहीं सकता लेकिन यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री सदन को गुमराह करने की नीयत से तो नहीं आये हैं, सदन में ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न नहीं उठता है..यह आक्षेप है ।

(कई सदस्यों द्वारा शोर)

माननीय सदस्य ने आक्षेप किया है और गुमराह करने की बात कही है । इसके लिये मैं इजाजत नहीं देता ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत मिली है वह खुले रूप से थानों को नीलाम करते हैं ? और थानाध्यक्षों से रुपये मांगते हैं ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

मान्यवर, इन सारी चीजों पर पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि चूंकि प्रारम्भिक जांच करने के बाद आगे की जांच चल रही है इसलिये उन शिकायतों और जांच अधिकारी का नाम बताना जनहित में नहीं है ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि उक्त अधिकारी के खिलाफ कुछ शिकायतें मिली हैं, तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि शिकायतकर्ता कौन है ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

मान्यवर, शिकायतकर्ता पर भी दबाव डाला जा सकता है, इसलिये उनका भी नाम बताना जनहित में नहीं है ।

(कई सदस्यों द्वारा शोर)

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप लोग शांत रहें । अगर आप लोगों को मन्त्री जी के उत्तर से संतोष नहीं है, तो इस प्रश्न के सम्बन्ध में नियम ४९ के अनुसार आप मुझको लिखकर दे दें तो इस पर हम आध घंटे का विवाद दे देंगे ।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, मेरा निवेदन सुन लें । मेरा निवेदन यह है कि तमाम फाइल के बारे में मंत्री जी कह रहे हैं कि गोपनीय है, न बता रहे हैं, न बता रहे हैं कि क्या आरोप हैं और शिकायतकर्ता कौन है । अतः मान्यवर, आप कृपया उस पूरी फाइल को अपने कब्जे में ले लें और आप स्वयं देख लें कि उसमें गोपनीयता क्या है । अगर, मान्यवर, आपको संतोष हो जायेगा, तो हम लोगों को भी संतोष हो जायेगा ।

श्री अध्यक्ष—

इसमें ऐसा है कि नियमों के अनुसार अगर कोई मन्त्री यह उत्तर देता है कि प्रश्न का उत्तर देना जनहित में नहीं है, तो हम उस मन्त्री को सूचना देने के लिये बाध्य नहीं कर सकते ।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, आखिर 'जनहित' के लिये कोई आधार भी तो होना चाहिये ।

श्री विजयराज सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जब एक एस० पी० के स्तर के पुलिस अधिकारी की जांच का प्रश्न आया है, तो उसकी जांच कौन से पद का अधिकारी करता है ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

यह तो श्रीमन्, नियमों का सवाल है; उसमें बड़े अधिकारी द्वारा जांच होती है ।

श्री रणजीत सिंह 'जूदेव' (जिला झांसी)—

मान्यवर, यहां सदन में माननीय मालवीय जी मन्त्रियों की मदद किया करते हैं, माननीय सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर देने में । अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि सदन में जितने भी सवाल होते हैं, उनका जवाब मालवीय जी ही दिया करें । (हंसी)

श्री गनेशी लाल चौधरी—

माननीय मन्त्री जी ने अभी बताया कि इस अधिकारी के खिलाफ काफी शिकायतें हैं । तो क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस अधिकारी के खिलाफ यह भी शिकायत है कि. . . . एक कान्सटेबुल जिस पर ३०७ का मुकदमा चल रहा था, सीतापुर सिविल पुलिस में ट्रेनिंग ले रहा था । जब पुलिस अधीक्षक को मालूम हुआ तो उन्होंने ट्रेनिंग से निकाल दिया । इस के बाद मुख्य मन्त्री जी के कहने से वह फिर रख लिया गया । क्या उस कान्सटेबिल की शिकायत मुख्य मन्त्री जी को की गयी थी ? यदि हां, तो क्या ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

मान्यवर. . . .

एक सदस्य—

पूछ लीजिए मालवीय जी से. . (शोर) ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

मैंने आप से निवेदन किया था. . . . (शोर) . . . . ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली ।

तारांकित प्रश्न

[माननीय श्रम मन्त्री की प्रार्थना पर ६-१०-७७, (५वें गुरुवार के स्थगित प्रश्न]

जिला मेरठ व मुजफ्फरनगर की चीनी मिलों में शीरा स्टोरेज टैंक निर्माण हेतु जमा व व्यय की गयी धनराशि

*३—श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

क्या आबकारी मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मेरठ, मुजफ्फरनगर जिले की प्रत्येक चीनी मिल में उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण अधिनियम, १९७४ के अन्तर्गत शीरा स्टोरेज टैंकों का निर्माण करने हेतु निर्धारित फंड में ३० जून, १९७७ तक कितना रुपया जमा किया गया, कितना रुपया जमा करने से शेष रह गया तथा जमा धनराशि में से कितनी धनराशि स्टोरेज टैंकों के निर्माण में व्यय की गयी तथा कितनी राशि अन्य मदों में व्यय कर दी गयी ?

आबकारी मन्त्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)—

मेरठ तथा मुजफ्फरनगर जनपदों में क्रमशः ६ तथा ४ चीनी मिलें हैं जिनके सम्बन्ध में वांछित सूचना निम्नलिखित है :—

—	जमा की गयी धनराशि	बाकी धनराशि	टैंकों के निर्माण पर व्यय	अन्य मदों में व्यय
मेरठ—				
१—जसवन्त	१,०६,६५३·१८	१,४६,७५०·२४	..	..
२—सखौती टांडा	१,६३,०६२·४०	३१,०३९·२८	..	..
३—मौहिउद्दीनपुर	१,५१,९७२·२१	३९,३०७·७०	..	..
४—बागपत	२,३१,६७२·१४	..	..	..
५—दौराला	४,८४,५८४·३६	..	..	..
६—मवाना	६०३,९८३·९६	..	५,६४,८००·००	..
मुजफ्फरनगर—				
१—खतौली	१,४२,४१६·९२	२,५२,७२२·४०	९०,०००·००	..
२—शामली	७,९७,०३९·४५	..	..	..
३—मंसूरपुर	..	३,८६,२९३·५६	..	..
४—रोहानाकलां	१,०६,८५७·५६	१,७१,४८७·६८	..	..

श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

शीरे नियंत्रण ऐक्ट के अनुसार टंकियों का निर्माण होना था लेकिन उत्तर में कहा गया है कि मुजफ्फरनगर तथा मेरठ की १० फैक्टरीज ऐसी हैं जिन्होंने पूरा धन जमा नहीं किया उस खाते में जिससे टैंक बनने थे। तीन फैक्टरीज ने जमा किया। टंकी दो फैक्टरीज ने बनाई। तो माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि उनका यह तो कृत्य है, उसके खिलाफ शीरा कंट्रोल अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

दो की संख्या ठीक नहीं है । दौराला शुगर मिल पाइप लाइन के जरिये डिस्टलरी में डायरेक्टली शीरा भेज देती है जिससे उनको स्टोरेज टैंक की जरूरत नहीं है । जो जगहें टक्स इनकम्पलीट हैं और जब पैसा जमा हो जायगा तो टैक्स को कम्पलीट कर दिया जायगा लेकिन इस बीच उनके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं लिया जा सकता । जिन पर ऐक्शन लिया गया है वे श्यामली तथा मंसूरपुर शुगर फक्टरीज हैं जिनके प्रासीक्यूशन के लिये आर्डर कर दिया गया है । रोहाना में फंड इंकम्पलीट है ।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

मन्त्री महोदय के उत्तर से साफ स्पष्ट है कि दो फैक्टरीज को छोड़कर किसी ने स्टोरेज टैंक नहीं बनाया और इसके वायलेशन ऐक्ट में मेंडेटरी प्राविजन है एक साल की सजा और एक्साइज आफिसर को जो इस पर तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये तो इसके अन्तर्गत क्या कार्यवाही की गयी ? क्या किसी का प्रासीक्यूशन किसी कोर्ट में पेंडिंग है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

अब मैं मिलवाइज बतलाये देता हूं । जसवन्त शुगर मिल में अभी धनराशि बाकी है । जितना जमा है उसमें उसकी कैपेसिटी के माफिक टैंक नहीं बन सकता । साल भर में जितना मोलेसिस व्यय होता है उसका ५० परसेंट कैपेसिटी का टैंक बनना कानूनन जरूरी होता है इसलिये जसवन्त शुगर मिल को कहा गया है कि बकाया धनराशि वह तुरन्त जमा करें वर्ना उनका प्रासिक्यूशन किया जायगा और उनको प्रासिक्यूशन आर्डर दे दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष--

उनका सवाल यह है कि कोई प्रासिक्यूशन किसी कोर्ट के अन्दर चल रहा है या नहीं ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

नो प्रासिक्यूशन इज पेंडिंग ।

श्री अध्यक्ष--

हिन्दी में बोलने की कृपा करें ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या मन्त्री महोदय के सामने महालेखा परीक्षक की वर्ष १९७५-७६ की रिपोर्ट गुजरी है जिसके पृष्ठ ५७ पर भी मोहिनुद्दीनपुर शुगर मिल के शीरे के बारे में लिखा है ३ दिसम्बर, १९७३ व अप्रैल, १९७७ में प्रबन्धकों ने बतलाया कि खराब शीरा बाजार मूल्य १० रुपये कुंटल पर मिलना चाहिये था क्योंकि भटनी शुगर मिल में उस समय में यह मूल्य मिला लेकिन इस मोहिनुद्दीनपुर शुगर मिल में यह कीमत नहीं मिली इस प्रकार काफी रुपये का गोलमाल इसमें किया जाता है और यह फैक्ट्री मोहिउद्दीनपुर की, स्टेट शुगर कारपोरेशन ऐक्ट के अन्तर्गत है । तो क्या मन्त्री जी ने इसका ध्यान देकर इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ?

श्री अध्यक्ष--

यह एक नया प्रश्न है ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मान्यवर, नया नहीं ।

श्री अध्यक्ष--

यह तो आप मेरी व्यवस्था को क्वेश्चन कर रहे हैं। नया प्रश्न है, आप इसकी नोटिस दीजिये । आप बैठिये ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मंसूरपुर जिसके बारे में मन्त्री जी ने अभी कहा कब आदेश दिये और किस तरह की कार्यवाही के आदेश दिये गये ।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

इसने कुछ भी रुपया जमा नहीं किया । उसका ३,८६,२९३·५६ पैसा है सभी देना बाकी है ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

मन्त्री जी ने कहा आदेश दिये गये हैं । एक्साइज इंस्पेक्टर की वहां ड्यूटी होती है कि वह कार्यवाही के लिए पहल करे । तो जिन एक्साइज इंस्पेक्टर ने कार्यवाही की पहल नहीं की और आपको आदेश देने पड़े उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

जो भी कार्यवाही मुनासिब होगी, की जायेगी ।

मेरठ व मुजफ्फरनगर जिले की चीनी मिलों में शीरे की नाप जोख हेतु डिप राड की व्यवस्था

*४---श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

क्या आबकारी मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मेरठ, मुजफ्फरनगर जिले की किस-किस चीनी मिल ने अब तक उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण नियमावली, १९७४ के नियम ९ के अधीन शीरे की नाप-जोख हेतु निमंजन दन्ड (Diprod) की व्यवस्था कर ली है और शेष मिलों में डिपराड के अभाव में शीरे की नाप-जोख की क्या वैकल्पिक व्यवस्था है ? यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी---

मेरठ, मुजफ्फरनगर जिलों की मोहिउद्दीनपुर, बागपत, मवाना और शामली चीनी मिलों में उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, १९७४ के नियम ९ में उल्लिखित प्रशिष्ट १ में निर्दिष्ट ब्योरे के अनुसार डिप लेने की व्यवस्था है । शेष चीनी मिलों में साधारण डिप राड्स तथा फीते की सहायता से शीरे की गहराई मंडों में नापी जाती है ।

निर्धारित डिपराड की व्यवस्था के आदेश सभी चीनी मिलों को दिये गये हैं ।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी भ्रम से परिपूर्ण उत्तर दे रहे हैं ....

श्री अध्यक्ष--

आप आक्षेप न कीजिये, आप दूसरा प्रश्न कीजिये ।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

आपने कहा कि डिप के आदेश सभी चीनी मिलों को दिये गये हैं। यह शीरा नियन्त्रण एक्ट में भी व्यवस्था है और उसके वायोलेशन के लिए सेक्शन ११ में प्रोवीजन है कि जहां वायोलेशन होगा वहां प्रोसीक्यूशन होगा, उसमें प्रदेशीय सरकार को आदेश देने की जरूरत नहीं । मेरा प्रश्न यह है कि इससे पहले जहां वायोलेशन हुआ है और जिन आफिसर्स ने प्रोसीक्यूशन लाज नहीं किया उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मान्यवर, एक्साइज रूल नं० ६ में यह जरूरी है, मेनडेटरी है कि शीरा टैंक नापने के लिए डिप राड होना चाहिये । मगर कुछ मिलें फीते की सहायता से या दूसरे ढंग से नाप रही हैं । २४ अगस्त को मैंने शासन की ओर से वार्न कर दिया है कि आप जल्दी से जल्दी डिपराड लगाइये नहीं तो प्रोसीक्यूशन किया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष--

उनका प्रश्न है कि मैनेडटरी होते हुए भी नियम का पालन क्यों नहीं किया गया । उन अधिकारियों ने जिन्हें नियमों का उल्लंघन करने का अपराधी पाया उनका क्यों प्रोसीक्यूशन नहीं किया ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मान्यवर, बिलकुल यही है कि यह प्रोवीजन मेनडेटरी है । डिपरोड होनी चाहिये, इसमें कोई गलत नहीं है और न मिलों को बहाना करने की गुंजाइश है । जो अधिकारी हैं उनकी प्रोसीक्यूशन में देर करने का कोई बहाना नहीं है । उनको कह दिया गया है जैसा कि मैंने निवेदन किया २४ अगस्त को आदेश दे दिये हैं। वह सब मिलें जिनके पास डीपराड नहीं हैं, शीरा नापने के लिए उनको प्रासीक्यूट किया जाय ।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

मेरा बड़ा दुर्भाग्य है कि बाजपेयी जी ने फिर मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, मैं जानना चाहता था कि मेनडेटरी वायलेशन किन अधिकारियों ने किया मिल-मालिकों से मिलकर उनके खिलाफ शासन ने क्या कार्यवाही की ? दूसरी बात जो वह अभी तक नहीं हुआ है उनके लिए आगे वह क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

हमें आये तो, दो तीन महीने ही हुए हैं । जुलाई में आया हूं और अगस्त में आर्डर दे दिये हैं, जितने भी अपराधी हमारे अधिकारी हैं दे बिल नाट दी स्पेयर्ड ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

अध्यक्ष महोदय, चीनी मिल मालिकों ने मिलों में शीरे का टैंक न बनाकर, उसे खराब शीरा कहकर पानी मिला शीरा कहकर, उसे नीलाम करने का बहाना बना लिया है, इससे कम्पनियां भारी मुनाफा कमाती हैं। फिर इसके अलावा शीरे के टैंकर में नापने का यंत्र न रखकर भी एक नाजायज फायदे का तरीका वह अख्तियार करती हैं, तो जैसा उन्होंने कहा कि अगस्त में हमने आदेश दे दिया है, मैं जानना चाहता हूं कि जिन कम्पनियों ने, न केवल मेरठ और मुजफ्फरनगर, इस शीरा ऐक्ट का उल्लंघन किया है, उनके खिलाफ जांच करवाकर मंत्री जी को उनका चालान करने में क्या एतराज है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

केवल मुजफ्फरनगर और मेरठ की १० मिलों के बारे में ही आदेश नहीं है, वह कुल मिलों के बारे में है। हम जानते हैं कि अंडरग्राउन्ड टैंक में चोरी होती है, फिलफ्रेज वगैरह होता है, इसलिए उनसे कह दिया गया है कि आप बनवाएं नहीं तो प्रासीक्यूट किये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

उनका प्रश्न यह है कि जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, उनका क्या प्रासीक्यूशन होगा और कब होगा तथा जिन अधिकारियों ने अबतक शिथिलता बरती है, उन पर आप कार्यवाही करेंगे ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

मैंने मान्यवर, कह दिया कि वह अधिकारी स्पेयर नहीं किए जाएंगे और न वह मिल मालिक।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

शाहजहांपुर के ग्राम परिषदपुर के हरिजनों का शिकायती-पत्र

*१—श्री अली असगर हुसैन (जिला बदायूं), श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं) श्री भगवान सिंह (जिला बदायूं) श्री प्रवनीश कुमार सिंह (जिला बदायूं)—

क्या सरकार को जानकारी है कि शाहजहांपुर की तहसील तिलहर की ग्राम सभा बरी परिषदपुर के सभी हरिजनों की आवंटित भूमि पर ग्राम माधवड़बरी प्रसिद्धपुर के गुन्डों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है और उनको मार-मार कर अधमरा कर दिया, जिसकी लिखित शिकायत ११ हरिजनों ने जुलाई, १९७७ में जिलाधिकारी, शाहजहांपुर से की जिस पर थाना जैतीपुर को तत्काल कार्यवाही करने के लिए आदेश दिए थे ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं ? इसके लिए दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी ?

राजस्व मंत्री (श्री शारदा भक्त सिंह)—

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम बरी परिषदपुर के हरिजनों ने जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को इस आशय का एक शिकायती पत्र दिया था कि उनकी जमीन पर

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या ४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

उक्त गांव के कुछ लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है तथा फसल काट ली है। शिकायत की जांचोपरांत नायब तहसीलदार ने पुलिस की सहायता से आवंटियों को दिनांक २२ अगस्त, १९७७ को पुनः कब्जा दिला दिया है उक्त शिकायती-पत्र में मारने पीटने का कोई उल्लेख नहीं था।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में बिक्री-कर की बकाया धनराशि

*१--श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ३० जून, १९७७ तक बिक्री-कर की कितनी धनराशि वसूल होनी बाकी थी ? कितने ऐसे वाणिज्य अधिष्ठान हैं जिन पर दस हजार रुपये से अधिक का बिक्री-कर बाकी है और उसे वसूल करने के लिए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

३० जून, १९७७ तक बिक्री कर का कुल बकाया ७१·३२ करोड़ रुपया था जिसमें से वसूली योग्य बकाया ४४·२५ करोड़ रुपया था। १० हजार रुपये से अधिक के बकायादारों की संख्या काफी अधिक होने और उनके संबंध में वसूली के लिये की गयी कार्यवाही का अलग-अलग ब्योरा अत्यन्त विस्तृत होने के कारण प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। वसूली के लिये वसूली प्रमाण पत्र जारी करने के बाद नियमानुसार उत्पीड़क कार्यवाही करके वसूली की जाती है।

[दिनांक ७ अक्तूबर, १९७७ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१--श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

[८वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या २६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

व्यक्ति तथा संस्थाओं में जाति सूचक शब्दों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार

*२--श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि क्या वह व्यक्ति तथा संस्थाओं में जाति-सूचक शब्दों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से ? और यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री राम सिंह)--

व्यक्ति तथा संस्थाओं से जाति सूचक शब्दों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रश्न पहले से ही शासन के विचाराधीन रहा है। इस सम्बन्ध में अप्रैल, १९६७ में इस आशय के आदेश जारी किये गये थे कि यथासम्भव शिक्षा संस्थाओं के नाम के आगे जाति सूचक शब्द न लगाये जायं और इस प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जाय। इन आदेशों की पुनरावृत्ति मार्च, १९७७ में भी की गयी।

व्यक्ति तथा अन्य संस्थाओं के सम्बन्ध में इस प्रकार का कोई निर्णय लिया जाना युक्तिसंगत एवं व्यावहारिक नहीं समझा गया तथापि इस संबंध में और कोई कदम उठाना तब ही उचित होगा जब भारत सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों से परामर्श कर लिया जाये।

पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी संस्थाओं तथा अनुदानित संस्थाओं की सेवा में आरक्षण देने का आदेश

*३--श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया), श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी), श्री बलदेव (जिला वाराणसी) तथा श्री हर प्रताप सिंह (जिला इलाहाबाद)--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि गत २४ अप्रैल, १९७७ को तत्कालीन सरकार ने हिन्दू-मुस्लिम पिछड़ी जातियों को सरकारी एवं गैरसरकारी नौकरियों में संरक्षण देने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो इस निर्णय का कार्यान्वयन हुआ अथवा नहीं ? यदि नहीं तो क्यों, इस प्रकार के संरक्षण के विषय पर वर्तमान सरकार का दृष्टिकोण क्या है ?

श्री राम सिंह--

२४ अप्रैल, १९७७ को तत्कालीन सरकार ने सिद्धान्त रूप में पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये शासकीय संस्थाओं व ऐसे संस्थाओं की सेवाओं में आरक्षण देने के लिये निर्णय लिया था जो शासन द्वारा अनुदानित हों या सहायता प्राप्त हों। इसे व्यवहारिक रूप देने का निर्णय वर्तमान सरकार ने लिया, जिसके अनुक्रम में आदेश २० अगस्त, १९७७ को निर्गत किये गये।

देवरिया जिले के दोमाट फार्म की सीलिंग से निकली भूमि का आवंटन

*४--श्री हरि केवल प्रसाद (जिला देवरिया)--

क्या राजस्व मन्त्री बतायेंगे कि जनपद देवरिया में दोमाट फार्म की सीलिंग से निकली भूमि का आवंटन एक ही परिवार में कर दिया गया है ? यदि हां, तो उस परिवार के सदस्यों का नाम व पता क्या है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

दोमाट फार्म की सीलिंग से निकली भूमि का आवंटन किसी एक परिवार के सदस्यों को नहीं किया गया है बल्कि १३८ व्यक्तियों को भूमि दी गई। अतः प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

श्री टिकई, ग्राम बांसकूड़ी, बहराइच का गलत पट्टा बनाये जाने के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

*५--श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि श्री टिकई वगैरह ग्राम बांसकूड़ी, परगना व तहसील भिनगा, जिला बहराइच का गलत पट्टा बनाए जाने के सम्बन्ध में अगस्त, १९७७ में शिकायती प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी, बहराइच को रजिस्ट्री डाक द्वारा प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त शिकायती-पत्र पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जी हां।

शिकायती-पत्र की जांच करने पर पाया गया कि श्री टिकई को अस्थाई तौर पर सीलिंग की अतिरिक्त घोषित भूमि का पट्टा दिया गया था, परन्तु पट्टे की अवधि समाप्ति के बाद यह पाया गया कि वे भूमि आवंटन हेतु निर्धारित प्राथमिकता की श्रेणी में नहीं आते थे। अतः प्रश्नगत भूमि नियमानुसार अन्य पात्र व्यक्तियों को आवंटित कर दी गई।

बहराइच जिले की तहसीलों में सीजनल सहायक बाबिल बाकी नवीसों की नियुक्ति तथा सेवा समाप्ति

*६—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जिला बहराइच के तहसीलों में कार्यरत दिनांक ८ मई, १९७६ को चयनित ए० डब्ल्यू० बी० एन० लिपिकों को दिनांक २८ फरवरी, १९७७ को जिलाधिकारी, बहराइच द्वारा निष्कासित कर दिया गया है और शासनादेश संख्या ८/३०/१९७५-कार्मिक-२, दिनांक २७ जनवरी, १९७७ का उल्लंघन करके तत्कालिन अन्य अभ्यर्थियों का चयन दिनांक ६ अप्रैल, १९७७ को कर दिया गया जिसके सम्बन्ध मे राजस्व मन्त्री को एक आवेदन-पत्र दिनांक १९ जुलाई, १९७७ को कई विधायकों की संस्तुति के साथ दिया गया ? यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

माननीय सदस्य का एक पत्र दिनांक १९ जुलाई, १९७७ को प्राप्त हुआ था। इस पत्र पर जांच में यह पाया गया कि ८ मई, १९७६ को सीजनल सहायक बाबिल बाकी नवीसों की नियुक्ति हेतु १७ अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। इन सीजनल पदों की अवधि समय-समय पर बढ़ती रही और २८ फरवरी, १९७७ को इन पदों की अवधि समाप्त होने पर उस समय कार्यरत कर्मचारियों की सेवायें स्वतः समाप्त हो गई। अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, १९७५ के नियम ८ के अंतर्गत पूरे जिले में लिपिक वर्गीय रिक्तियों के लिये दिनांक ६ तथा ७ अप्रैल, १९७७ को जिला चयन समिति द्वारा ५० अभ्यर्थियों का चयन किया गया। इसे शासनादेश संख्या ६/३०/१९७५-कार्मिक-२, दिनांक २७ जनवरी, १९७७ जिसमें जिला चयन समिति द्वारा तयार की गई सूची की अवधि नियत की गई थी, का किसी प्रकार उल्लंघन नहीं हुआ।

राजकीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति राज्य सेवाएं, प्रशिक्षण केन्द्र, निरालानगर, लखनऊ में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

*७—श्रीमती रामरति देवी (जिला फैजाबाद)—

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १ से १४ जुलाई, १९७७ के मध्य प्रश्नकर्ता के द्वारा प्रेषित राजकीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति राज्य सेवायें पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, निरालानगर, लखनऊ में हो रही धांधलियों तथा अनियमितताओं के सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र मिला है ? यदि हां, तो शिकायती-पत्र के तथ्य क्या हैं और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम सिंह—

१ से १४ जुलाई, १९७७ के बीच प्रश्नकर्ता का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

राजकीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति राज्य सेवायें पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र निरालानगर, लखनऊ से सम्बन्धित विषयों पर प्रश्नकर्ता का पहला पत्र जिसमें प्रश्नकर्ता ने कोई तिथि अंकित नहीं की थी, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री के माध्यम से हरिजन सहायक विभाग में ३० जून, १९७७ को तथा दूसरा पत्र

दिनांक २१ जुलाई, १९७७, २२ जुलाई, १९७७ को प्राप्त हुआ था। इनमें निदेशक द्वारा केन्द्र के कतिपय कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के विरुद्ध शिकायत की गई थी। इन पत्रों में उल्लिखित शिकायतों के बारे में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

*८---श्री गनेशी लाल चौधरी---

[१०वें मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या ८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला वाराणसी की ज्ञानपुर तहसील में चकबन्दी कार्य

*९---श्री श्यामधर मिश्र---

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह बात सही है कि वाराणसी की ज्ञानपुर तहसील में सन् १९६४ से जो चकबन्दी का कार्य शुरू हुआ था, वह कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ और लगभग एक-तिहाई गांवों की चकबन्दी (लगभग ४०० गांवों) होनी बाकी है? क्या यह भी सही है कि बिना चकबन्दी कार्य पूरा किए हुए चकबन्दी कार्यालय, ज्ञानपुर से उठा कर वाराणसी शहर में चला गया है? यदि हां, तो जिन गांवों में चकबन्दी नहीं हुई है, उनमें चकबन्दी क्यों नहीं कराई जा रही है?

श्री शारदा भक्त सिंह---

वर्ष १९७७ में ज्ञानपुर तहसील के १०२० ग्रामों में चकबन्दी प्रारम्भ हो गई थी जिनमें से ८२१ ग्रामों में चकबन्दी की समाप्ति धारा-५२, जोत चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत घोषित की जा चुकी है। शेष १९९ ग्रामों में चकबन्दी समाप्त हो चुकी है पर नये माल अभिलेखों का बनना शेष है, जिसके कारण इनसे सम्बन्धित धारा ५२ की अधिसूचना अभी प्रकाशित नहीं की गई है।

चकबन्दी का क्षेत्रीय कार्य समाप्त हो जाने पर अन्तिम अभिलेखों के बनाने के लिए कार्यालय जुलाई, १९७५ में ज्ञानपुर से वाराणसी शहर को स्थानान्तरित किया गया था।

इस तहसील के जितने ग्रामों में चकबन्दी १९६४ में प्रारम्भ हुई थी उनमें से केवल १९९ ग्रामों में अन्तिम अभिलेखों की तैयारी का काम बाकी है, जिसे तेजी के साथ किया जा रहा है।

जिला इलाहाबाद के ग्राम चायल के तहसील के कर्मचारियों के विरुद्ध खाते में गलत इन्द्राज करने के सम्बन्ध में मंत्री का कथित जांच आदेश

*१०---श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)---

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि परगना व तहसील चायल, जिला इलाहाबाद के ग्राम चायल के तहसील कर्मचारियों के विरुद्ध खाता नं० ३७८, ३७८-अ व ३३७ में गलत इन्द्राज करने के विषय में पूर्वगामी सरकार के तत्कालीन मन्त्री ने २० नवम्बर, १९७६ को जांच कराने के आदेश जिला मैजिस्ट्रेट, इलाहाबाद को दिए थे? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और इसके सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री शारदा भक्त सिंह---

जिलाधिकारी ने सूचित किया है कि प्रश्नगत खाता नम्बरों में गलत इन्द्राज के सम्बन्ध में तहसील कर्मचारियों के विरुद्ध जांच कराने की तत्कालीन मंत्री का

दिनांक २० नवम्बर, १९७६ को कोई आदेश जिला मैजिस्ट्रेट, इलाहाबाद को प्राप्त नहीं हुआ है और न ऐसे किसी आदेश का कार्यालय से भेजे जाने का पता ही लग सका है। प्रश्न के शेष भाग के सम्बन्ध में कार्यवाही किए जाने का सवाल ही नहीं उठता है।

भावर क्षेत्र, तहसील, कोटद्वार के सेवा निवृत्त लेखपालों की पेंशन एवं ग्रेच्युटी

*११—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, १९७५ से दिसम्बर, १९७६ तक की अवधि में भावर कोटद्वार तहसील, जिला गढ़वाल के कितने लेखपाल सेवानिवृत्त हुए। क्या यह सही है कि सेवा निवृत्त लेखपालों को अब तक ग्रेच्युटी एवं पेन्शन नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों और अब कब दे दिए जाने की संभावना है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

प्रश्नगत अवधि में भावर क्षेत्र तहसील कोटद्वार के दो लेखपाल सेवा निवृत्त हुए हैं। सेवा निवृत्त के उपरान्त ये कर्मचारी सी० एस० आर० के संशोधित अनुच्छेद ३५० के अन्तर्गत पेन्शन एवं ग्रेच्युटी के पात्र हैं या नहीं, इसका परीक्षण किया जा रहा है।

*१२—श्री हर प्रताप सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रोफेसर, राजाराम शास्त्री की अध्यक्षता में गठित समाज कल्याण मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन

*१३—श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

क्या समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार को प्रोफेसर, राजाराम शास्त्री की अध्यक्षता में गठित समाज कल्याण मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी उस प्रतिवेदन की प्रतिलिपि तथा उसमें दी गई संस्तुतियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का वर्णन सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राम सिंह—

जी हां, प्रत्यावेदन की एक साइक्लोस्टाइल प्रति मुझे दी गई है। अतः अभी उसकी प्रतियां सदन के पटल पर रखना सम्भव न हो सकेगा। समिति द्वारा की गई संस्तुतियों पर शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही शीघ्र आरम्भ की जायेगी और सदन को यथासमय अवगत कराया जायेगा।

हरिजन निदेशालय में लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित अधिकारी

*१४—श्रीमती राम रति देवी—

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन निदेशालय में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो पदोन्नति पर १५-१६ वर्षों से काम कर रहे हैं, और लोक सेवा आयोग से अनुमोदित नहीं हैं ? यदि हां, तो क्यों ? कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जो एक पदोन्नति पर लोक सेवा आयोग से अनुमोदित न होते हुए भी दूसरे पद पर पदोन्नति पा गए ? क्या इन पदोन्नतियों के लिए लोक सेवा आयोग की अनुमति ली गई ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उनको जिस पद पर जिन पर ये अनुमोदित हैं, उन पर प्रत्यावर्तित करने के आदेश जारी करेगी ?

श्री राम सिंह--

जी हां, ऐसे दो अधिकारी हैं। इन अधिकारियों द्वारा धारित पदों के लिए लोक सेवा आयोग के परामर्श से चयन की कार्यवाही की जा रही है।

जी हां, ऐसे दो अधिकारी हैं। इन पदोन्नतियों के लिए लोक सेवा आयोग की अनुमति नहीं ली गई।

जी नहीं। शासकीय कार्य के हित में ऐसा करना उपयुक्त न होगा।

जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत भूमि प्रबन्धक समिति, गांव सभा की भूमि का आवंटन

*१५--श्री गोकरन प्रसाद--

क्या राजस्व मन्त्री जी को ज्ञात है कि अप्रैल, १९७७ के बाद से प्रशासनिक अधिकारियों ने हरिजनों में भूमि वितरण का कार्य बन्द कर दिया था ? यदि हां, तो सरकार हरिजनों को भूमि देने की नई कौन सी योजनाएं बना रही है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

अप्रैल, १९७७ के बाद भूमि आवंटन कार्य रोकने के कोई आदेश नहीं दिए गए और न ही यह कार्य बन्द किया गया है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम व नियमावली में निर्धारित वरीयता क्रम तथा प्रक्रिया के अनुसार भूमि प्रबन्धक समिति गांव सभा में निहित उपलब्ध भूमि और कलेक्टर सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त अतिरिक्त भूमि का आवंटन करते हैं।

*१६--श्री दीप नारायन तथा श्री विष्णु प्रताप सिंह--

[६ठे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ३८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अतारांकित प्रश्न

जनपद देवरिया के खुटहो कृषि फार्म के भूमिहीन श्रमिकों का सीलिंग की जमीन के पट्टे हेतु प्रार्थना-पत्र

१--श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

क्या राजस्व मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जनपद के खुटहो कृषि फार्म के भूमिहीन श्रमिकों के कितने आवेदन-पत्र सीलिंग की जमीन के पट्टे हेतु १ मार्च, १९७५ से १५ अगस्त, १९७७ तक शासन को प्राप्त हुए तथा आवेदन पत्रों के आधार पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

उक्त अवधि में २८ व्यक्तियों के चार प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे, किन्तु प्रार्थीगण जमीन्दारी विनाश अधिनियम की धारा १९८ के अन्तर्गत निर्धारित पात्रता सूत्रों में नहीं थे, इस कारण उन्हें भूमि आवंटित नहीं की गई।

मेरठ नगर के पंजीकृत क्लब

२--श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)--

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि मेरठ नगर में १ अगस्त, १९७७ को कितने क्लब पंजीकृत थे तथा इन क्लबों का मुख्य उद्देश्य क्या है ? स्थानीय समाज के चरित्र निर्माण में इनका क्या योगदान रहा है ?

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

दिनांक १-८-७५ तक कुल ७२ क्लब रजिस्टर्ड थे जिनके मुख्य उद्देश्य क्लब के सदस्यों के लिए मनोरंजन, खेल, दैनिक समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं, पुस्तकालयों, धर्मार्थ औषधालयों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा पर्यटन आदि की सुविधाओं की व्यवस्था करना है।

इस दिशा में कोई मूल्यांकन संभव नहीं है।

बहराइच में कार्यरत लेखपाल, श्री सांवल प्रसाद श्रीवास्तव की परगनाधिकारी द्वारा सेवा समाप्ति

३—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि तहसील व जिला बहराइच में कार्यरत श्री सांवल प्रसाद श्रीवास्तव, लेखपाल तथा अन्य कई लेखपालों को जिलाधिकारी, बहराइच द्वारा अवैधानिक ढंग से ५-१०-७५ को निष्कासित कर दिया जिसके विरुद्ध उक्त लेखपालों ने जिलाधिकारी, बहराइच को अप्रैल, १९७७ या उसके आस-पास कोई आवेदन-पत्र दिया ? यदि हां, तो उन लेखपालों को अवैधानिक ढंग से निकालने का क्या कारण था और उक्त आवेदन-पत्र पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जिलाधिकारी द्वारा नहीं वरन परगनाधिकारी द्वारा श्री सांवल प्रसाद श्रीवास्तव, लेखपाल की सेवायें जो अस्थाई थीं, समाप्त की गई थीं। उसके साथ किसी अन्य लेखपाल की सेवा समाप्त नहीं की गई। परगनाधिकारी के आदेशों के विरुद्ध जिलाधिकारी को श्री श्रीवास्तव का एक प्रार्थना-पत्र १-४-७७ को प्राप्त हुआ था जिसे जांचोपरांत खारिज कर दिया गया क्योंकि श्री श्रीवास्तव की सेवायें अवैधानिक ढंग से नहीं बल्कि नियमानुसार परगनाधिकारी द्वारा समाप्त की गई थीं।

जिला बहराइच के कतिपय ग्रामों में किये गये अवैधानिक पट्टों के निरस्तीकरण की कार्यवाही

४—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि गांव सभा लक्ष्मनपुर, गोडपुरवा, परगना इकौना, तहसील भिनगा, जिला बहराइच में करीब ९० एकड़ भूमि के आवंटन के लिए थी जिसमें दूसरे जिले और दूसरे गांव सभा के व्यक्तियों को अवैधानिक पट्टे दे दिए गए जिसके सम्बन्ध में श्री निजामुद्दीन खां, सदस्य, भूमि आवंटन समिति, बहराइच ने एक रिपोर्ट ए० डी० एम० (सीलिंग), बहराइच को अप्रैल, १९७७ में दी है ? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट के सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही अब तक की गयी ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

प्रश्नगत मामले में जांच कराने के फलस्वरूप सात व्यक्तियों को किये गये ११·२४० एकड़ भूमि के पट्टे अवैधानिक पाये गये। इन अवैधानिक पट्टों के निरस्तीकरण की कार्यवाही जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा १९८ (४) के अधीन की जा रही है।

मनोहरापुर, जिला बहराइच के सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध जांच

५—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या शासन को जानकारी है कि सहायक चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र नं० १०, मनोहरापुर, जनपद बहराइच के विरुद्ध वर्ष १९७६ व १९७७ में अनियमित कार्य करने की शिकायत पर क्या क्षेत्रीय उप संचालक चकबन्दी गोंडा, शिविर बहराइच ने नवम्बर, १९७६ से अब तक के बीच उन शिकायतों की जांच की है और अनियमितताएं सही पाई गयीं ? यदि हां, तो आरोप-पत्र एवं जांच रिपोर्ट क्या है और अब तक इस सम्बन्ध में क्या उचित कार्यवाही की गयी ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध जांच अभी समाप्त नहीं हुई है। जांच समाप्त होने के बाद उचित कार्यवाही की जायेगी।

जिला गोरखपुर के अस्पताल में स्वतन्त्रता सेनानी, श्री शिवराम सिंह द्वारा अनशन

६—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला गोरखपुर के अस्पताल में एक स्वतन्त्रता सेनानी (श्री शिवराम सिंह) लगभग दो माह से अनशन कर रहे हैं ? यदि हां, तो उनकी मांग क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

श्री शिवराम सिंह ने दिनांक ८-५-७७ से २४-५-७७ तथा पुनः दिनांक २६-६-७७ से २५-७-७७ तक अनशन किया। उनकी मांग ग्राम कटका में सीलिंग की भूमि के अनियमित आवंटन के कारण परगनाधिकारी महराजगंज, श्री आर० बी० राव के स्थानान्तरण के लिये था।

श्री आर० बी० राव, परगनाधिकारी, महराजगंज को परगनाधिकारी के पद से स्थानान्तरित कर दिया गया है तथा अनियमित पट्टों के निरस्तीकरण हेतु भी आयुक्त, गोरखपुर मंडल के न्यायालय में कार्यवाही विचाराधीन है। अनियमित पट्टों के लिये उत्तरदायी सम्बन्धित लेखपाल, सुपरवाइजर, कानूनगो तथा अध्यक्ष भूमि प्रबन्धक समिति के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

जिला हरदोई की तहसील, बिलग्राम में चकबन्दी कार्य

७—श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हरदोई की तहसील बिलग्राम में पिछले दस वर्ष पूर्व चकबन्दी का कार्य हुआ था जिसमें ग्राम तेजीपुर, खेमीपुर आदि कई गांवों की चकबन्दी न करके उनको यों ही छोड़ दिया गया है ? क्या सरकार उपरोक्त गांवों की चकबन्दी कराने पर पुनः विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जी हां। १९६६-६७ में तहसील बिलग्राम में चकबन्दी प्रारंभ कराने के लिये जो सर्वेक्षण किया गया था उसमें प्रश्नगत ग्राम चकबन्दी कराने के योग्य नहीं पाये गये थे। प्रदेश में चकबन्दी का एक चक्र समाप्त हो जाने के बाद चकबन्दी से छूटे हुये ग्रामों में भी चकबन्दी कराने पर विचार किया जायेगा।

जिला गोंडा के एस० डी० एम०, तरबगंज की अदालत से मुकदमे की मिसिल गायब हो जाने के सम्बन्ध में जांच

८—श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)—

क्या राजस्व मन्त्री को पता है कि गोंडा जिले में एस० डी० एम०, तरबगंज की अदालत में राजारा बनाम सुबराती आदि मुकदमा दिनांक ११-४-७५ से दिनांक १५-७-७५ तक चलता रहा है किन्तु विवाद से सम्बन्धित ग्राम चकबन्दी में लग जाने के नाते मुकदमा अबेट कर दिया गया और अब उक्त मुकदमे की मिसिल अदालत से गायब है ? यदि हां, तो उक्त मिसिल के साथ और कितनी मिसलें गायब हैं तथा गायब होने का कारण क्या है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जी हां । पत्रावली के खोये जाने के लिये दोषी कर्मचारी को, जो अस्थायी था, सेवा से पृथक किया जा चुका है तथा उसके विरुद्ध थाने में एफ० आई० आर० भी दर्ज करा दी गई है । इसके अतिरिक्त दो और पत्रावलियां, जो बहुत पहले निर्णीत हो चुकी हैं और अपीलेट कोर्ट में भी हो आई हैं इस समय उपलब्ध नहीं हैं । इस सम्बन्ध में आवश्यक जांच की जा रही है तथा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी ।

दस्तावेजों के लेख के लाइसेन्स सम्बन्धी नियमावली के सम्बन्ध में सदस्य, विधान परिषद् के पत्र पर विचार

९—श्री श्यामधर मिश्र—

क्या वित्त मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें श्री राम शंकर त्रिपाठी, सदस्य, विधान परिषद्, रायबरेली का पत्र दिनांक ९ अगस्त, १९७७ दस्तावेजों के लेख के लाइसेन्स देने के सम्बन्ध में बनाई गई नियमावली के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

संसदीय वित्त मन्त्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)—

राजस्व मन्त्री को सम्बोधित कथित वाक्य के पत्र दिनांक ६ अगस्त, १९७७ की प्रति दिनांक २१ सितम्बर, १९७७ को विधायक महोदय से प्राप्त हो गई है जिस पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है ।

देहरादून जिले में बाढ़ से प्रभावित ग्राम

१०—देव बहादुर सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देहरादून जिले में वर्ष १९७७ में बाढ़ से कितने ग्राम प्रभावित हुए हैं और इसी जिले में आसन नदी में मिलने वाले पहाड़ी नालों से वर्ष १९७७ में कितने गांव भूमि कटान से प्रभावित हुए हैं ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

देहरादून जिले में वर्ष १९७७ में बाढ़ से कोई ग्राम प्रभावित नहीं हुआ है । आसन नदी में मिलने वाले पहाड़ी नालों से ९ गांव भूमि कटान से प्रभावित हुए हैं ।

कानपुर के दो जिलों के एकीकरण के विरोध में डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी राकेश द्वारा सदन में कथित प्रतीक भूख हड़ताल के सम्बन्ध में श्री शतरुद्ध प्रकाश द्वारा नियम ३०० के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न

*श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, नियम ३०० के अन्तर्गत मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं : हम लोगों को एक सूचना मिली है जो विधान सभा की कार्यवाही से सम्बन्धित है कि कानपुर के दो जिलों के एक में एकीकरण नीति के विरोध में विधान सभा में ७–१०–७७ ८–१०–७७ से एक दिन का प्रतीक अनशन, जो अश्वनी कुमार चतुर्वेदी राकेश यहां बैठे हैं, उन्होंने रखा है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये, यह औचित्य का प्रश्न नहीं है ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

यह है, इस सम्बन्ध में जो 'संसदीय व्यवहार एवम् आचरण' किताब है शकधर और कौल की, उसके पेज २८० पर लिखा हुआ है—'सदस्य को संसद भवन और संसद भवन सम्पदा के परिसर में भूख हड़ताल या कोई प्रदर्शन या कोई धार्मिक उत्सव नहीं करना चाहिए ।' इसी सम्बन्ध में आगे यह भी इसमें लिखा हुआ है कि 'सभा की बैठक स्थगित होने के बाद सदस्य सभा के परिसर में केवल १ घंटे के लिये ही रह सकता है, उसके बाद वह संसद भवन सम्पदा के किसी भी भाग में तब तक नहीं रह सकता जब तक कि स्पष्ट रूप से अध्यक्ष की अनुमति न ले ली गयी हो।' इस सम्बन्ध में २८ अप्रैल, ६५ को लोक सभा में माननीय अध्यक्ष ने····

श्री अध्यक्ष—

आप जो इन सब चीजों का प्रमाण दे रहे हैं, लेकिन मुझको कोई नोटिस श्री राकेश ने भूख हड़ताल करने की नहीं दी है । यदि कोई सदस्य अपने स्थान पर बैठा है और उसका उपवास है तो मैं उसको खाना खाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता हूं ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

यह जो तख्ती लेकर बैठे हैं, यही अपने आप में प्रदर्शन है । यह विधान सभा में नहीं होना चाहिए । इस सम्बन्ध में आप अपनी व्यवस्था दें । हम लोगों को जानकारी मिली है कि वह अनशन कर रहे हैं । मैंने कौल और शकधर की पुस्तक का हवाला दे दिया है । २८ अप्रैल, १९६५ को लोक सभा को माननीय अध्यक्ष ने जब श्री रामेश्वरानन्द स्वामी हवन करके हाउस में अनशन पर बैठना चाहते थे, तो उस समय जो व्यवस्था दी थी, वह अंग्रेजी में है ।

श्री अध्यक्ष—

शतरुद्ध जी, इतने विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है । यह सही है कि नियमों के अनुसार सदन में कोई प्रदर्शन नहीं किया जा सकता । माननीय राकेश जी के बोर्डकेड पर लिखा अभी दिखाया गया है, इसका प्रदर्शन न करके वह अपने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अध्यक्ष--]

स्थान पर बैठे हैं। वह अनशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान) आप बैठिए। सुनिए मैं बोल रहा हूं, तो जहां तक माननीय शतरुद्ध प्रकाश जी की तरफ से मेरा ध्यान आकर्षित किया गया है, उस समय जो माननीय सदस्य थे सदन में बैठे रहे और एक घंटे बाद तक बैठे रहे, लेकिन जब उन्होंने सदन को छोड़ा तब अध्यक्ष लोक सभा ने आदेश दिया कि वह सदन छोड़ें। अगर ऐसी परिस्थिति आयेगी तो मैं उस समय विचार करूंगा।

एक सदस्य--

मान्यवर, यह तख्ती हटवा दीजिये।

*डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)--

अभी माननीय शतरुद्ध प्रकाश जी ने जिस सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित किया, उस सम्बन्ध में मैं केवल यह कहना चाहता था कि नियमावली के अन्तर्गत नियम १८६ का उल्लंघन नहीं हो रहा है। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि माननीय शतरुद्ध प्रकाश ने जो हवाला दिया, अनशन शब्द का अर्थ उपवास होता है। मैंने हंगर स्ट्राइक या भूख हड़ताल शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तीसरे जहां तक प्रदर्शन का सम्बन्ध है, माननीय रियासत जी लाल टोपी पहने हुए हैं और माननीय शतरुद्ध प्रकाश सदरी पहने हुए हैं.....।

श्री अध्यक्ष--

आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

असल में बीच वाली बेंच प्रदर्शन वाली बेंच हो गयी है। (हंसी)

श्री अध्यक्ष--

माननीय राकेश जी का जो मकसद था वह शतरुद्ध जी ने पूरा कर दिया। उनका प्रदर्शन हो गया और वह यह चाहते थे कि उनकी इस बात को पब्लिसिटी मिले, वह हो गया। अब इस पर बहस नहीं होगी।

शिया-सुन्नी झगड़े को शान्त कराने हेतु किये गये प्रयास के सम्बन्ध में जानकारी

*श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है। रात आप गेस्ट हाउस तशरीफ ले गये थे, मालवीय जी थे और रेवती रमण जी वगैरह मौजूद थे। मैं जानना चाहता हूं कि बुखारी साहब से आपकी गुफ्तगू हुई, लखनऊ कानपुर के सिलसिले में, इस सिलसिले में सारे सदन को उसकी जानकारी दिलायी जाय और हमारे मुख्य मंत्री जी इस सिलसिले में कोई बयान दे दें ताकि हालात से सब लोग वाकिफ हो जायं।

श्री अध्यक्ष--

इस सम्बन्ध में बुखारी साहब से बातचीत करने के लिए गया था और फिर माननीय मुख्य मंत्री जी से विचार विमर्श किया था, आज जब माननीय मुख्य मंत्री अपने जवाब में भाषण देंगे, तब इस पर भी प्रकाश डालेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कानपुर में जनता पार्टी के जुलूस पर कांग्रेसियों द्वारा कथित पथराव के विषय में श्री मोतीलाल देहलवी द्वारा दी गई नियम ५२ की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

व्यवस्था का प्रश्न है । नियम ५२ के तहत जैसा कि मैंने लिख कर दिया है कल कानपुर में कांग्रेस के लोगों ने जनता पार्टी के जुलूस पर पत्थरों की वर्षा की है जिससे मान्यवर, वहां काफी लोग जख्मी हुए हैं । वह अस्पताल में पड़े हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आप तो बिना अनुमति के बोल रहे हैं । नियम ५२ में कोई नोटिस नहीं प्राप्त हुआ है ।

श्री मोती लाल देहलवी—

मैंने दिया है । आप सचिव से पूछिए ।

श्री अध्यक्ष—

मेरे सामने नहीं आया है : जब आयेगा तो मैं देखूंगा ।

कार्यसूची में रोमन अंकों और अक्षरों के प्रयोग पर आपत्ति

*श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, नियम २५२ में लिखा है कि संविधान के उपबन्धों के अधीन सभा का कार्य हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि में होगा । प्रश्नोत्तर काल में माननीय तोमर जी ने प्रश्न किया था । रोम लिपि में डिपराड लिखा गया है । मुझे इस पर आपत्ति है । सदन में देव नागरी लिपि का ही इस्तेमाल किया जाये । रोमन लिपि का इस्तेमाल सदन की कार्यवाही में नहीं होना चाहिए । मैं व्यवस्था चाहता हूं कि जो रोमन लिपि में लिखा हुआ है उसको निकाल दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । वह तो ब्रेकट में लिखा गया है ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

नियम २८२ में लिखा है । यह देवनागरी लिपि में नहीं लिखा है । मैं व्यवस्था चाहता हूं कि रोमन लिपि का प्रयोग नहीं होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष—

जो उत्तर दिया है, उसमें ब्रैकेट में लिखा है डिपराड यह नियम के विरुद्ध नहीं है । यह संविधान के अनुसार है, रोमन के जो अंक हैं, उनको लिखा जा सकता है ।

श्री रणजीत सिंह जूदेव (जिला झांसी)—

शतरुद्ध जी में न मालूम क्या बात है, उन्हीं को मौका दिया जाता है । मुझे मौका नहीं दिया जाता है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कानपुर में जनता पार्टी के जुलूस पर कांग्रेसियों द्वारा कथित पथराव के विषय में श्री मोती लाल देहलवी द्वारा दी गई नियम ५२ की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी (क्रमागत)

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)--

मैं यह जानना चाहता हूं कि नियम ५२ की तहत प्राप्त हुआ है या नहीं। यह बहुत गम्भीर घटना है। जनता पार्टी के जूलूस पर कांग्रेस वालों ने पथराव किया। आप उसे बता दें कि है, या नहीं।

श्री अध्यक्ष--

अभी मेरे पास नहीं है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक प्रश्न को स्वीकार ही किया जाये।

श्री मोती लाल देहलवी--

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चरण सिंह का पुतला जलाया गया और जनता पार्टी के लोग चुप रहे, लेकिन जब उनका जुलूस निकला तो पथराव किया।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये। आप लोग शान्त रहिए। दफा ५२ में जो सूचना दी है उस पर विचार करने के बाद २, ढाई घन्टे का समय निश्चित किया जाता है और वह निश्चित किया जाता है नेता सदन और नेता विरोधी दल से पूछने के बाद और यह सदन की कार्यवाही के बाद आता है। लेकिन आज तो पुलिस पर बहस चल रही है जिसमें जिक्र करना चाहिए। उसकी चर्चा भाषण में की जा सकती है।

इसी तरह से दूसरे मा० सदस्यों से जो मुझे मिले हैं, अगर सब को स्वीकार किया जाय तो प्रतिदिन सदन के अन्दर २ १/२ घंटे की चर्चा मुझे मंजूर करना चाहिए। इसलिए जो प्रश्न आपने उपस्थित किया है वह यहां पर नहीं उठाना चाहिए। इसे शून्य आवर में देते तो मैं विचार करता, लेकिन नियम ५२ की तो निश्चित प्रक्रिया है कि अध्यक्ष यदि उचित समझें तो उसको ग्राह्य करें और बाद में समय दें। आज नियम ५१ की २ सूचनायें हैं, इसलिए यह प्रश्न हमारे सामने नहीं है।

सरकारी चिकित्सालयों में सरकारी घोषणा के बावजूद पर्चा शुल्क लिए जाने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री मन्नू राम (जिला बलिया)--

मान्यवर, बलिया जनपद के सभी सरकारी चिकित्सालयों में अभी ५० पैसे पर्चा शुल्क लेने से मरीजों और जनता में हा हाकार मचा हुआ है। जब मरीज सम्बन्धित डाक्टरों या चिकित्सा सम्बन्धी अधिकारियों से एतराज करते हैं कि सरकार ने पर्चा शुल्क समाप्त कर दिया है तो अधिकारीगण आदेश मांगते हैं और मनमाने ढंग से कार्यवाही कर रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री ने २६ अगस्त को पर्चा शुल्क समाप्त करने के लिए बजट पेश किया है, लेकिन इसके पश्चात् भी सरकारी चिकित्सकों द्वारा आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। इससे गरीब जनता में काफी असंतोष व्याप्त हो गया है। गरीब जनता इधर सूखा लगातार होने से भुखमरी का शिकार बनी हुई है, दूसरे दवा कराने जाने पर, चिकित्सा शुल्क

मांगा जा रहा है। असमर्थ जनता न तो अपनी दवा करा पा रही है, न ही उनके जीने का दूसरा सहारा ही रह गया है। आम जनता में यह चर्चा हो रही है कि सरकार की ढिलवाही से कर्मचारीगण एवं चिकित्सकगण नाजायज फायदा उठा रहे हैं और जनता सरकार को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। संभवतः यही दशा संपूर्ण उत्तर प्रदेश में है।

अस्तु मैं ऐसे कर्मचारियों एवं चिकित्सकों की शीघ्र जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

प्रदेश के राजकीय खाद्यान भंडारों में दूषित खाद्यान के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मान्यवर, प्रदेश के राजकीय खाद्यान भंडारों में पांच लाख क्विन्टल दूषित खाद्यान्न से लाखों उप-भोक्ताओं का स्वास्थ्य खतरे में है। एक तरफ तो प्रदेश में अभूतपूर्व अवर्षण जन्य सूखा तथा कहीं-कहीं नदियों के कटाव से एवम् प्रलयकारी बाढ़ की विभीषिका से, फसलों की बीमारी से गंभीर अन्न संकट के कारण हाहाकार मचा हुआ है।

दूसरी तरफ प्रदेश के सैकड़ों खाद्यान्न गोदामों में लगभग पांच लाख क्विन्टल खाद्यान्न (गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा) न केवल अखाद्य और अग्राह्य है अपितु खाद्यौज व जीवनीय तत्वों से रहित तथा पूर्णरूपेण दूषित हो गया है, जिसका कारण खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों द्वारा विगत एक दशक से अपनाई जा रही है लापरवाही, प्रमोद या उपेक्षाजन्य दोषपूर्ण नीति है। उक्त दूषित खाद्यान्नों की आपूर्ति से प्रदेश के लाखों गरीब उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि सरकारी गोदामों में जांच हेतु नमूना लेने का अधिकार प्रदेश के स्वास्थ्य निरीक्षकों को प्राप्त नहीं है।

ऐसी गम्भीर परिस्थिति में उच्चाधिकार प्राप्त सरकारी या गैर सरकारी समिति द्वारा शासन को दूषित खाद्यान्न की तत्काल जांच कराकर उसे तत्काल नष्ट कर देना चाहिए। एतदर्थ सदन को निश्चित सूचना दे रहा हूं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में आगरा में निकले जुलूस द्वारा की गयी कार्यवाहियों के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री बदन सिंह (जिला आगरा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि दिनांक ४ अक्तूबर, १९७७ को आगरा में कांग्रेस का एक अनियंत्रित व अव्यवस्थित जुलूस श्रीमती इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध स्वरूप निकाला गया। इस जुलूस ने मोतीगंज पहुंच कर वहां के दूकानदारों की दूकानों को बर्बरता व निर्दयता के साथ लूटा और दुकानदारों को बुरी तरह मारा पीटा। इसी प्रकार की अप्रिय घटनाएं सदर भट्टी के चौराहे व अन्य एक दो स्थानों पर भी हुई। मोतीगंज की लूट से वहां के दुकानदारों का लगभग डेढ़ लाख रुपये का नुकसान हुआ है तथा तीस पैंतीस लोगों को गम्भीर चोटें आई हैं। मान्यवर,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(श्री बदन सिंह)--

आगरे के इतिहास में राजनीतिक गुण्डागिरी की सबसे पहली व सबसे बड़ी दुर्घटना है। सबसे बड़ा दुख इस बात का रहा कि यह सब ऐसे समय में हुआ जब आगरे में धारा १४४ लगी हुई थी। जिले की प्रशासन पूरे जुलूस में पुलिस एवं पी०ए०सी० के नियंत्रण की व्यवस्था नहीं कर सका। पुलिस एवं मजिस्ट्रेट दुकानदारों की निर्दयता से की गई लूट को व पिटाई को खड़े देखते रहे और उनको कोई संरक्षण न प्रदान कर सके। मान्यवर, आगरे के लोगों का इस घटना से जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। गुण्डागर्दी व असामाजिक तत्वों के कारण वहां के दुकानदार बाजार बंद रखते हैं और अपनी दुकानें खोलने की हिम्मत नहीं करते हैं।

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठिये। आप बैठिये।

फरेन्दा गोरखपुर के जंगल के किनारे स्थित गांवों में जंगली जानवरों द्वारा की जाने वाली क्षति के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री श्याम नारायण तिवारी (जिला गोरखपुर)--

अध्यक्ष महोदय, आजकल जंगली जानवरों से गोरखपुर जनपद के फरेन्दा क्षेत्र के जंगल के किनारों के गांवों की फसलों के भारी नुकसान से उत्पन्न अविलंबनीय लोक महत्व के प्रश्न की तरफ श्रीमान् के माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए सूचना देना चाहता हूं।

गोरखपुर जनपद के फरेन्दा क्षेत्र तीन तरफ से जंगलों से घिरा है। जिनके किनारे के गांवों की फसलें जंगली जानवरों के उत्पात के बढ़ जाने से सूखे से बची खुची फसलें बरबाद कर दी जा रही हैं।

वैसे इन गांवों में बराबर जंगली जानवरों द्वारा फसलों को भारी नुकसान होता है। जंगल के किनारे काश्तकारों के लिये यह जंगली जानवर तबाही के कारण बने हुए हैं। चूहों आदि से फसलों के नुकसान को बचाने के लिये सरकार द्वारा कुछ प्रयास किये जाते हैं परन्तु जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के सम्बन्ध में सरकार कोई ध्यान नहीं देती, जो खेद की बात है।

जंगल के चारों तरफ तत्काल कांटेदार तार लगवाकर फसलों के रख-रखाव का सरकारी प्रयास बहुत ही आवश्यक है। जहां तक व्यय का प्रश्न है, अगर सरकार चाहे तो चकबंदी के व्यय वसूली की तरह तार लगवाने का व्यय सम्बन्धित गांवों के काश्तकार देने को भी तैयार हैं।

अतः शासन से निवेदन है कि तत्काल इस तरफ ध्यान देकर कांटेदार तार लगवाकर फरेन्दा क्षेत्र के जंगल से लगे गांवों की फसलों का रख-रखाव तत्काल करने की कृपा की जाय।

श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)--

[* * *]

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये। आप बैठिये।

(श्री बाबू राम शुक्ल के लगातार खड़े होकर बोलते रहने पर।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट--[* * *] यह अंश श्री अध्यक्ष की आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठिये । यह भाग प्रोसीडिंग का अंग नहीं होगा । मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं ।

श्रीमती सुनीता चौहान, सदस्य विधान सभा की गिरफ्तारी की सूचना

श्री अध्यक्ष--

जिला मजिस्ट्रेट एवं सी० जे० एम०, रायबरेली के दिनांक ६ अक्तूबर, १९७७ के वायरलेस मेसेज, जो ७ अक्तूबर, १९७७ को यहां प्राप्त हुआ है, के अनुसार श्रीमती सुनीत चौहान, सदस्य विधान सभा, ६ अक्तूबर, १९७७ को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अन्तर्गत दिये गये आदेशों का उल्लंघन करने के कारण भारतीय दण्ड विधान की धारा १८८ के अन्तर्गत गिरफ्तार की गयीं ।

नियम ५१ की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

एक निवेदन है, मैंने धारा ५१ के सम्बन्ध में एक सूचना दी है । मैं आपके निर्णय को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं । मेरा निवेदन यह है कि मैंने जो एक सूचना दी है कि रेडियो स्टेशन पर जो ६ लड़के पकड़े गये उन पर जो व्यवहार जेल में हो रहा है तो उस सम्बन्ध में आप निर्णय दें तो मंत्री जी शाम को उत्तर दे दें, वरना तो यह बेमाने हो जाता है ।

श्री अध्यक्ष--

अभी तो मैंने निर्णय नहीं किया है कि किस को स्वीकार करना है । बाद में बतलाऊंगा ।

सदन के चलते सदन से बाहर बिक्रीकर में छूट सम्बन्धी घोषणा करने के सम्बन्ध में संस्थागत वित्त मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

विशेषाधिकार की अवहेलना की एक सूचना माननीय ऊदल ने माननीय श्री केशरी नाथ त्रिपाठी, संस्थागत मंत्री के विरुद्ध दी है । माननीय श्री ऊदल ने कहा है कि माननीय संस्थागत वित्त मंत्री ने बिक्रीकर में छूट देने तथा कुछ वस्तुओं में सरलीकरण के सम्बन्ध में सदन के बाहर प्रेस में बयान दिया है जो ५ अक्तूबर के सभी अखबारों में छपा है ।

माननीय श्री ऊदल ने अपनी सूचना के साथ किसी भी समाचार-पत्र की प्रति संलग्न नहीं की है जिसमें माननीय संस्थागत वित्त मंत्री का उपर्युक्त बयान छपा हो । सदन में यह व्यवस्था कई बार दी जा चुकी है कि यदि सदन चलते समय कोई माननीय मंत्री नीति सम्बन्धी घोषणा सदन के बाहर कर दें तो इसमें विशेषाधिकार की अवहेलना का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं होता है । यह केवल शिष्टाचार सम्बन्धी प्रश्न है ।

अतः मैं माननीय श्री ऊदल द्वारा दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना हू सूचना को अग्राह्य करता हूं । जैसा कि मैं इससे पूर्व इस सदन में कह चुका की माननीय मंत्री का इस प्रकार की नीति सम्बन्धी घोषणा पहले सदन में, जब स अधिवेशन में हो, दी जानी चाहिए । यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है, लेकिन माननीय मंत्रियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार की घोषणा वह सदन में करें ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

संस्थागत वित्त मंत्री तशरीफ रखते हैं, उन्हीं से पूछ लीजिये....

(संस्थागत वित्त मंत्री) श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

मान्यवर, मेरी ओर से कोई समाचार-पत्रों में बयान नहीं दिया गया। यह बजट में जो भाषण था वित्त मंत्री जी का उसके पृष्ठ २७-२८ पर इसका उल्लेख है कि सामान्य बिक्री-कर की चीजों में कुछ बिक्री-कर में कमी की गयी है। माननीय सदस्य ने अगर उसको पढ़ा होता तो ऐसा प्रश्न न उठाते।

श्री ऊदल—

बजट में तो वह दिया है, लेकिन छूट की बात नहीं है। छूट की जो घोषणा माननीय संस्थागत वित्त मंत्री ने ४ तारीख को की है आप उन्हीं से पूछ लें। हमने अखबार नहीं लगाया, गलती की। लगाना चाहिए था। क्योंकि पहले भी आपकी व्यवस्था थी। वह मेरी गलती हो सकती है, लेकिन आप आज्ञा देंगे तो मैं लगा दूंगा, मंत्री जी ने ४ अक्तूबर को बाहर घोषणा कर दी है और सब अखबारों में छपा है। अगर न छपा हो तो मैं उसको प्रेस नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष—

पहले बजट में यह घोषणा की गयी थी कि कुछ वस्तुओं पर छूट होगी और उसका सरलीकरण भी किया जायेगा। उसका कार्यान्वयन करने के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने घोषणा की तो विशेषाधिकार का प्रश्न तो बनता नहीं है। जैसा मैंने कहा, छूट की घोषणा तो माननीय मंत्री जी को पहले सदन में करनी चाहिए थी तो ज्यादा उचित होता।

श्री मोहन लाल, सदस्य, विधान सभा की रिहाई के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

अभी हाल में मुझे वायरलेस द्वारा एक सूचना मिली है सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट, हमीरपुर की ६ अक्तूबर, १९७७ की, जो इस सचिवालय में आज दिनांक ७ अक्तूबर, १९७७ को प्राप्त हुई। उसके अनुसार श्री मोहन लाल, सदस्य, विधान सभा, चरखारी (हमीरपुर), जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १५१ के अन्तर्गत ४ अक्तूबर, १९७७ को गिरफ्तार हुए थे, ६ अक्तूबर, १९७७ को अपराह्न ३ बजकर १४ मिनट पर रिहा कर दिये गये हैं।

बस्ती जिले में कत्ल तथा डकैतियों की घटनाओं के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत २३ जुलाई, १९७७ को हुए मुख्य मंत्री के वक्तव्य में संशोधन

श्री अध्यक्ष—

अगर आपके पास यह संशोधन वक्तव्य नहीं है तो मैं दूसरा आइटम लेता हूं।

(स्वायत्त शासन मंत्री श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

हे, श्रीमन्।

दिनांक २३ जुलाई, १९७७ को दिए गए वक्तव्य में अन्य बातों के अतिरिक्त निम्नलिखित सूचना दी गयी थी—"दिनांक १० जुलाई से ले कर १८ जुलाई, १९७७ तक केवल तीन हत्या की घटनाएं हुयी हैं। इनमें एक घटना १२ जुलाई, १९७७ को कोतवाली थाने से लगभग ६ किलोमीटर दूर ग्राम बायपोखर की हद में

हुयी थी। जिसके सम्बन्ध में अपराध संख्या ४२४, धारा १४७/१४८/१४९/३०२/३२३ भा० दं० वि० पंजीकृत हुआ है।

उक्त सूचना में थाने कोतवाली से ग्राम बायपोखर की दूरी जिले से प्राप्त सूचना के अनुसार ९ किलोमीटर बतायी गयी थी। जिला मजिस्ट्रेट ने अब सूचित किया है कि यह दूरी ९ किलोमीटर नहीं बल्कि साढ़े चार किलोमीटर है और पहले अकस्मात गलती से दूरी ९ किलोमीटर बतायी गयी थी। अतः वक्तव्य में ९ किलोमीटर के स्थान पर साढ़े ४ किलोमीटर पढ़ने की कृपा की जाय।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री सुन्दर लाल दीक्षित ने दी है। वह है जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत तहसील, हैदरगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र में २ माह से वर्षा न होने के कारण किसानों की खरीफ की फसल का नष्ट होना। यह ग्राह्य नहीं किया गया है। १० तारीख को इस पर विस्तार के साथ बहस करने के लिये २ घंटे का समय दिया जा चुका है।

१९७७-७८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या २१--पुलिस, अनुदान संख्या ३--मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या-५-निर्वाचन, अनुदान संख्या १८--सचिवालय, अनुदान, संख्या १९ -जिला प्रशासन, अनुदान संख्या २५--अन्य प्रशासनिक सेवाएं, अनुदान संख्या ३६--सूचना तथा प्रचार, अनुदान संख्या ३९--अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रम अनुदान संख्या ४१--अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं तथा अनुदान संख्या ४४--अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं (क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष--

अब वर्ष १९७७-७८ के आय-व्ययक की मांगों पर विचार जारी होगा।

श्री राम रतन सिंह (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, मैं आपका बहुत अनुगृहीत हूं कि आपने सामान्य और पुलिस प्रशासन पर जो चर्चा चल रही है, उस पर बोलने का अवसर दिया। आज प्रायः देखा यह जाता है कि हमारे सरकारी पक्ष में बैठे हुये लोग जब कोई जिम्मेदारी की बात आती है तो पिछले ३० वर्ष के प्रशासन पर जिम्मेदारी डालने की चेष्टा करते हैं। जो लोग सरकार में बैठे हैं उन्हें अब यह मान कर चलना चाहिये कि उनके ऊपर प्रदेश की १० करोड़ जनता की जिम्मेदारी है और वे इस प्रदेश की सरकार में हैं, किसी दूसरे पर जिम्मेदारी डालना उचित नहीं है। इसमें भी अधिकांश लोग वह बैठे हैं जिन्होंने प्रदेश या देश में जो ३० वर्ष तक शासन रहा उसमें कुछ तो २९ वर्ष तक भागीदार रहे, कुछ २७ वर्ष तक और कुछ २३ वर्ष तक भागीदार रहे। तो ३० वर्ष के शासन के सम्बन्ध में आलोचना करना मैं समझता हूं उन व्यक्तियों की भी आलोचना है जो व्यक्ति बराबर लगातार शासन की कुर्सियों पर बैठे रहे और इस देश और प्रदेश के शासन के जिम्मेदार रहे। आज जो जिम्मेदारी आई है उसका निर्वहन अच्छे तरीके से करना होगा। जो बहस दो दिन से चल रही है उस बहस में चाहे इस पक्ष के माननीय सदस्य हों,

* ६ अक्तूबर, १९७७ की कार्यवाही से।

[श्री राम रतन सिंह]

चाहे उस पक्ष के माननीय सदस्य हों, हमको ऐसा ख्याल है मान्यवर, सभी लोगों ने प्रशासन की ढील की बात कही है। हम निवेदन करेंगे मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कि वह प्रदेश के प्रशासन में और पुलिस में जो ढील आ गयी है, उस ढील के सम्बन्ध में वह विचार करें और ऐसी कोई व्यवस्था करें कि गांव का आदमी जो आज सो नहीं सकता, जिसको कोई जिन्दगी का ठिकाना नहीं रह गया है, ऐसी अव्यवस्था शासन की हो गयी है, उस पर वह सख्ती से और सही तरीके से नजर रखें ताकि आदमी राहत की सांस ले सके और सही जिन्दगी बिता सके। अभी आपके समक्ष दैनिक स्वतन्त्र भारत जो एक निष्पक्ष पत्र है, के दिनांक ६-१०-७७ के सम्पादकीय नोट का उल्लेख करना चाहूंगा। कृपया सरकार इसे सुने और गौर करे और देखे कि जो बातें इसमें कही गयी हैं, उनके सम्बन्ध में, उसका कहां तक उत्तरदायित्व है, उसका सही तरीके से निर्वहन करें और जो आज जनता के कष्ट और प्रशासन की खामियां हैं, उन्हें दूर करें। आपकी आज्ञा से मैं उस अखबार के उद्धरण को पढ़ देना चाहता हूं।

जनता पार्टी जनता की नजरों से क्यों गिरती जा रही है, उस पर विचार करने का समय उसके नेताओं के पास नहीं है। पार्टी की प्रतिष्ठा पर पहला आघात तब लगा जब लोगों ने देखा कि वे आपसी कलह और तू-तू मैं-मैं में अपनी शक्ति का अपव्यय कर रहे हैं। पार्टी को बने ५ महीने हो गये लेकिन भूतपूर्व घटकों में भावनात्मक एकता अभी कोसों दूर है। उसकी प्रतिष्ठा पर दूसरा धक्का तब लगा जब लोगों ने देखा कि देश में अनुशासन नाम की चीज खत्म हो गयी है, शान्ति एवं व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं और आम लोगों के जानमाल की कोई सुरक्षा नहीं रह गयी है। राज्यों की जनता सरकारें पंगु सी दिखाई दे रही हैं। पार्टी की प्रतिष्ठा को तीसरा धक्का तब लगा जब लोग महंगाई से त्राहि-त्राहि करने लगे और सरकार देखती रही। और अब श्रीमती गांधी की विफल गिरफ्तारी जनता पार्टी और सरकार की प्रतिष्ठा पर चौथा बड़ा आघात है। ज्यों-ज्यों जनता पार्टी अपनी इज्जत को धूल में मिला रही है, श्रीमती गांधी की इज्जत बढ़ती जा रही है। जनता पार्टी की नकारात्मक नीतियों के कारण ही आज उसकी यह दुर्गति हो रही है।

देश में आज जो माहौल बनता जा रहा है, वह जनता पार्टी के अनुकूल नहीं है। आर्थिक और शान्ति एवं व्यवस्था की समस्याओं को हल करने में उसकी विफलता की प्रतिक्रिया आज यह हो रही है कि लोग आपात काल को भूलने लगे हैं और चिल्ला कर कह रहे हैं कि बेकार हैं जांच आयोगों का यह तमाशा, इसे खत्म किया जाय। अभी समय है, जनता पार्टी सोचे और समझे। पहले वह जनता के कष्टों को दूर करे तभी वह उसकी विश्वासपात्र बन सकेगी और तभी वह साबित कर सकेगी कि वह कांग्रेस से अच्छी है।

मान्यवर, इस पत्र के सम्पादकीय टिप्पणी का जो उल्लेख किया है उससे स्थिति का सही अनुमान लग गया होगा कि प्रदेश की शान्ति व्यवस्था की स्थिति कैसी है। गांवों में अपराध होते हैं, अपराधों की सही रिपोर्ट सही तरीके से लिखी नहीं जाती हैं। अपराधियों को और बदमाशों को बराबर बढ़ावा मिल रहा है। झूठी रिपोर्टें बराबर, रोज लिखी जा रही हैं, पुलिस की सांठ-गांठ से सही तरीके से रिपोर्टों के नहीं लिखने से गलत लोगों और अवांछनीय तत्वों को प्रोत्साहन मिलता है। यह आम बात हो गयी है। जब तक सही तरीके से अपराधों की रोकथाम नहीं की जायगी, सही तरीके से रिपोर्टें नहीं लिखी जायेंगी तब तक अपराधों में कोई कमी आने वाली नहीं है। जो रिपोर्ट

लिखी जाती है वह मनमाने ढंग से, पुलिस जब जो चाहती है, वह लगा देती है। अभी रेडियो स्टेशन पर पिछले दिनों ५-६ लड़कों को गिरफ्तार किया गया। उन लोगों ने प्रदर्शन किया, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन किया। उन लड़कों को पुलिस पकड़ कर ३ थानों पर ले गयी। किसी थाने वाले ने उन्हें जेल में भेजने की बात नहीं कही। तो इसके बाद उनको चौथे थाने में ले जाया गया। उन पर हीनियस क्राइम की दफायें लगायीं गयीं। जो दफायें लगाई गयीं, उन दफाओं का लगाना किसी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता है। वह सभी लड़के ग्रेजुएट, पढ़े-लिखे हैं। इस प्रकार की ज्यादतियां हो रही हैं। जब लखनऊ में इस प्रकार की ज्यादतियां हो सकती हैं तो अंदाजा लगाया जाय कि देहात में क्या हाल होगा। गोरखपुर से बांदा तक, सारे प्रदेश में कत्ल करने वालों की दूकानें खुली हैं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बड़े अदब से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात की जांच करायें कि यह बात है कि नहीं। जिलों-जिलों में अवांछनीय तत्वों ने अपना गठबन्धन बनाया हुआ है। जब चाहें किसी भले आदमी की इज्जत ले सकते हैं और उसे मार सकते हैं। इसकी जांच कराई जाय, देखा जाय कि इस प्रकार से कहां-कहां दूकानें चल रही हैं, मैं समझता हूं कि प्रदेश में सैकड़ों कत्ल ऐसे हुये हैं जिनमें इन दूकानों का हाथ रहा है जो पैसा लेकर इस प्रकार काम कर रहे हैं। इस प्रकार की घटनायें लखनऊ में हो रहीं हैं और दूसरे जिले तथा शहरों में भी हो रही हैं। ऐसे हालात बढ़ते जा रहे हैं, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सरकार को इस बढ़ती हुई अपराध स्थिति, कातिलों की दूकानों और नामवर गुंडों की तरफ ध्यान देना चाहिये तथा कड़ी कार्यवाही करना चाहिए।

मान्यवर, ट्रांसफरों के बारे में ३१ अगस्त से आदेश निकाल दिया गया है कि ट्रांसफर नहीं होंगे, लेकिन राजनैतिक दबाव के ऊपर ट्रांसफर का काम जारी है। हमारे जिले में अभी ३०७ के मुकदमें में एक पूंजीपति को एस० पी० ने जेल भेज दिया तो एस० पी० का ट्रांसफर हो गया। मंत्री जी ने शिकायत करने वाले तथा जांच करने वाले अधिकारी का नाम बताने से इन्कार कर दिया कि शिकायत करने वाले कौन लोग हैं और शिकायतों की जांच किसने की? मान्यवर, अब एक गुट घूम रहा है जो जिलाधिकारी का भी ट्रांसफर कराना चाहता है। मैं निवेदन करूंगा कि दैनिक प्रशासन को चलाने में बाधा डालने के लिए जो गुट बनाकर लोग घूम रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहन देना उचित नहीं है। इस काम को रोकना चाहिये। यह बात अच्छी नहीं लगती कि हर मंत्री के दरवाजे पर लिखा है कि 'कृपया ट्रांसफर के सम्बन्ध में न मिलें' लेकिन ट्रांसफर का काम लगातार जारी रहे।

श्री अध्यक्ष—

अब आप कृपया समाप्त करिये।

श्री राम रतन सिंह—

मान्यवर, इमरजेंसी के दौरान हमारी विधान सभा में माननीय चौधरी साहब नेता विरोधी दल थे। उनकी शिकायत थी कि यहां सरकार का पैसा

[श्री राम रतन सिंह]

दिल्ली से आने वाले लोगों पर अपव्यय किया जाता है। यह बात सही है कि दिल्ली से आने वाले लोगों पर चाहे तब पैसा अपव्यय किया गया या आज किया जा रहा है, यह उचित नहीं कहा जा सकता। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। हमारे पास २ पत्र मौजूद हैं, 'पायोनियर' और 'स्वतन्त्र भारत'। इसमें २ एडवरटाइजमेन्ट माननीय चौधरी चरण सिंह के स्वागत के हैं। एक है उत्तर प्रदेश जल निगम के सौजन्य से। दूसरा है नगर महापालिका एवं विकास प्राधिकरण के सौजन्य से। हजारों रुपये इस प्रकार से जो व्यय किये जा रहे हैं, यह अपव्यय है। यह उचित नहीं है किसी भी शासन के लिये। इस प्रकार की जो आज कार्यवाही हो रही उसमें पैसे का अपव्यय किया जा रहा है। इसलिये इस प्रकार की कार्यवाही को रोकना चाहिये।

*श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समान्य प्रशासन के अनुदान पर बोलने के लिये और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये जो समय दिया है, उसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूं कि जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है प्रशासन में और पुलिस में जिसके लिये हमारे मित्र दोहाई देते हैं यदि इसका जो बजट है उसको बढ़ाकर रखा जाता तो और अच्छा होता। मैं अपने जिले की तरफ मान्यवर, मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारा जिला उत्तर प्रदेश का पिछड़ा जिला है।

श्री अध्यक्ष—

आप पुलिस का बजट बढ़ाना चाहते हैं और यह लोग पुलिस की आवश्यकता समझते नहीं हैं।

श्री सुखलाल पाण्डेय—

मान्यवर, हमारे यहां एक दैवी प्रकोप हमेशा से पैर फैलाकर बैठा है जिसके लिये शासन की तरफ से जो व्यय की व्यवस्था की जाती है, वह शून्य सी लगती है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जिले में इमरजेन्सी में कई कांड हुये। तेजपुर कांड जो ऐतिहासिक कांड रहा है। तेजपुर में गरीबों को लूटा गया और मारा गया। दो दिन तक उनके घरों के सामानों को लूटा गया और यहां तक कि घर में लगे हुये नलों को उखाड़ लिया गया। यह सब पुलिस के लोगों ने किया। इसका कारण था कि वह दूसरों को गरीबों के खेतों पर पुलिस कब्जा कराने की बात कर रही थी। गरीबों की जमीन पर कटी हुई फसल को उठवाकर बड़े लोगों के यहां वह रखना चाहते थे। भूखा आदमी मरता तो क्या न करता और उसने प्रयास किया कि फसल न जाय। पुलिस और किसानों में संघर्ष हुआ। जनता पार्टी के विधायक जो हमारे उप मंत्री हैं, ५ आदमियों की कमेटी वहां गयी जांच करने के लिये। मैं कहना चाहता हूं कि जिलाधिकारी इस घटना-स्थल पर गये भी नहीं और वहां के किसानों को लूटा और मारा गया। जिस मैजिस्ट्रेट को वहां नियुक्त किया गया, उसके अपने उसको पूरा काम नहीं करने दिया गया और उसका ट्रांसफर कर दिया गया। यह ठीक है, आपके शासन की बात है। ट्रांसफर क्यों हुआ मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनुदान संख्या २१--पुलिस, अनुदान संख्या ३--मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या ५--निर्वाचन, अनुदान संख्या १८--सचिवालय, अनुदान संख्या १९--जिला प्रशासन, अनुदान संख्या २५--अन्य प्रशासनिक सेवाएं, अनुदान संख्या ३६-सूचना तथा प्रचार, अनुदान संख्या ३९--अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी कार्य-क्रम, अनुदान संख्या ४१--अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं तथा अनुदान संख्या ४४--अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं।

मान्यवर, दूसरी घटना हमारे क्षेत्र गौरडी कांड की है। वहां इमरजेन्सी में जिस तरीके से किसानों को मुकदमें में फंसाया गया, उसका कारण क्या था? कारण यह था कि जिलाधिकारी ने आदेश दिया था कि जितने बी० डी० ओ० हैं, यदि वह नशाबन्दी के लक्ष्य को पूरा नहीं करते तो उनको रिवर्ट कर दिया जायेगा। जब यह बात आयी तो वह लोग ज्यादती करने लगे और उसका फल हुआ कि किसानों में और सरकारी अधिकारियों में संघर्ष हुआ जिसमें बी० डी० ओ०, ग्राम सेवक तथा और लोगों की मौतें हो गयीं। लेकिन घटनास्थल पर जिलाधिकारी नहीं गये। आई० जी०, श्री टंडन जी थे, वह इमरजेन्सी के अगुआ थे और उनकी छत्रछाया में जो ज्यादतियां वहां पर की गयीं वह कही नहीं जा सकती हैं। लोगों के घरों में घुस कर लड़कियों की बेइज्जती की, उनको लूटा गया। यही नहीं, जब लोक सभा के चुनाव के बाद सरकार बनी तो बहुत से लोग गांव छोड़कर चले गये थे, वह वापस आये। आज भी वही जिलाधिकारी हैं। ये अधिकारी जो अपनी जगह पर बने हुए हैं विधायकों में दलबन्दी और गुट बन्दी करा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। यह आई० ए० एस० अधिकारी कहते हैं कि एक बार मैंने नारायण दत्त को अध्यक्ष के बायें बैठाया, अब मैं कोशिश करूंगा कि जनता पार्टी के लोग वहां बैठें। इन अधिकारियों ने इमरजेंसी में जुर्म किया। आज वे मुख्य सचिव क्यों हैं? इसलिए कि संजय गांधी ने उनको यहां बैठाया था। उनके खिलाफ तमाम चार्जेज हैं। हमारे मंत्रि परिषद् के लोग हैं। अध्यक्ष के दाहिने बैठते हैं तो उनकी अक्ल अधिकारियों के हाथ में चली जाती है। जब बायें बैठते थे तो उनकी अक्ल सदन में गूंजती थी। जब तक यह सरकार इन अधिकारियों पर कड़ी निगाह नहीं रखेगी, इस प्रदेश का कल्याण नहीं होगा।

दूसरी बात यह है कि यह जो आई० ए० एस० अफसर हैं इनमें नाबालिग लड़कों को जिलाधिकारी बनाकर भेज दिया जाता है। यह हिप्पी कट वाले वहां जाते हैं। अनुभव कुछ होता नहीं। यह कैसे जनता का कल्याण कर सकते हैं। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर और उन्नाव में जो घटनाएं हुई, वह किसी से छिपी नहीं हैं। जहां तक पी० सी० एस० से आई० ए० एस० में प्रोन्नति की बात है, उस सम्बन्ध में बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि जो आरक्षित कोटा है वह पूरा नहीं किया गया है। कुछ स्थान रिक्त पड़े हुए हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करे।

दूसरी बात यह है कि और दूसरे प्रदेशों में जैसे आन्ध्र प्रदेश में १९६६ के, आसाम में १९६५ के, बिहार में १९६२ के लोग आई० ए० एस० में आ गये हैं जबकि हमारे प्रदेश में १९४९ तक के नहीं आ पाये हैं। इस तरफ मंत्री जी ध्यान

[श्री सुखपाल पाण्डेय]

दें । गांव में जो बोरे पर बैठ कर पढ़ता है उसको आप कितने स्थान दे रहे हैं । जो कुर्सी पर बैठकर पढ़ता है उसी को कुर्सी की नौकरी दी जाती है । गांवों की तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए जिससे वहां के लोगों का विकास हो ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो गड़बड़ियां हो रही हैं, उनके लिये जांच कमीशन बनाइये । इसी के साथ माननीय मंत्रियों से निवेदन करना है कि इन मंत्रियों में और कांग्रेस के मंत्रियों में अब कोई फर्क नहीं रह गया है । यह भी ४० हजार का फर्नीचर रख रहे हैं और वे भी ४०/४० हजार का फर्नीचर रखते थे । जिस प्रकार माननीय जगजीवन प्रसाद बोस ने सारी विलासित और वैभवमय जीवन को छोड़कर सादगी का जीवन अपनाया है, उसी तरह से हमारी इस सरकार के दूसरे मंत्रियों को भी वही जीवन अख्तियार करना चाहिये । तभी सफलता मिल सकती है ।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में जो समस्त सरकारी मशीनरी और पुलिस कांग्रेस सरकार के समय में थी, सचिव आदि जो आफिसर्स थे, आज भी वे ज्यों के त्यों प्रदेश में बरकरार हैं । पुलिस के आफिसर्स जिस ढंग से काम कर रहे हैं जो रवैया उनका हो गया है, उससे बिलकुल साफ जाहिर है कि वे लोग कांग्रेस के अहसानमन्द हैं और अहसानमंदी के तरीके से काम कर रहे हैं । मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ये सचिव व अधिकारी जनता पार्टी की सरकार के साथ में पूरा असहयोग कर रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं । मैं चाहूंगा कि हमारे मुख्य मंत्री जी सतर्क हो जायं, सावधान हो जायं । इस सम्बन्ध में मैंने उनको एक गम्भीर पत्र भेजा हुआ है, जिसका जिक्र करना यहां उचित नहीं समझता, लेकिन सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं कि मेरा एक सुझाव युक्त गम्भीर पत्र उनके पास गया हुआ है ।

मान्यवर, जो स्थिति इस समय प्रदेश की है, उसमें यह ही है कि गुन्डागर्दी बढ़ रही है, राहजनी बढ़ रही है, चोरी-डकैती और कत्ल बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे तह में क्या राज छिपा हुआ है । मान्यवर, यह बड़ी गम्भीरता से समझने व विचार करने वाली बात है । जो कुछ इस प्रदेश के अन्दर अराजक स्थिति पैदा की जा रही है, उसके पीछे सिर्फ कांग्रेस के लोगों की दुर्भावना काम कर रही है ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया शान्त रहें ।

श्री मोती लाल देहलवी—

उसके पीछे, मान्यवर, कांग्रेस की दुर्भावना और दुराकांक्षा काम कर रही है कि किसी तरह से यह जनता पार्टी की सरकार भी आपातकालीन स्थिति की घोषणा करे, ताकि विदेशों में जो इनके चेहरे में, कांग्रेस के कालिख लगी है, वह

अनुदान संख्या २१--पुलिस, अनुदान संख्या ३--मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या ५--निर्वाचन, अनुदान संख्या १८--सचिवालय, अनुदान संख्या १९--जिला प्रशासन, अनुदान संख्या २५--अन्य प्रशासनिक सेवाएं, अनुदान संख्या ३६-सूचना तथा प्रचार, अनुदान संख्या ३९--अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी कार्य-क्रम, अनुदान संख्या ४१--अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं तथा अनुदान संख्या ४४- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

सफा हो सके और उनको कहने का मौका मिल सके कि जनता पार्टी की सरकार ने भी वही काम किया जो कांग्रेस ने किया था। केवल इस भावना से मान्यवर, यह पुलिस व अन्य अधिकारियों से सांठ-गांठ करके हो रहा है।

मान्यवर, इसके विकल्प सरकारी मशीनरी के परिवर्तन के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, यह मैं दृढ़ता से कहना चाहता हूं। अभी कानपुर में जो घटना हुयी, मान्यवर, वह बड़ी गम्भीर और दर्दनाक है। मान्यवर, परसों के दिन कांग्रेस के लोगों ने भारत सरकार के गृह मंत्री, माननीय चौधरी चरण सिंह का पुतला कई जगह जलाया व जुलूस निकाला। जनता पार्टी के लोग शान्त रहे। जनता पार्टी के लोगों ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, उनके जुलूस में माननीय चरण सिंह का पुतला कांग्रेस के लोग जलाते रहे। कल जब जनता पार्टी के लोगों ने जुलूस निकाला तो इन्हीं कांग्रेस के लोगों ने जो अपने को जो अहिंसा के पुजारी कहते हैं, अपने को गांधीवादी कहते हैं, इन लोगों ने उस शांतिमय जुलूस पर अन्धाधुन्ध पत्थरबाजी की। मान्यवर, कानपुर की जिस जगह पर कांग्रेस के लोगों ने पत्थरबाजी की है, वहां की यह पहली घटना नहीं, यह दूसरी घटना है। इसके पहले जब चुनाव हुआ था सन् १९७४ का तो मान्यवर, उस समय के सभी विरोधी दलों ने संयुक्त रूप से जुलूस निकाला था। उस जुलूस पर भी उसी जगह पर पत्थरबाजी की गयी थी। मान्यवर, अगर अधिकारी व पुलिस चाहती तो यह कल जो पत्थरबाजी हुई है, वह नहीं हो सकती थी। मान्यवर, बड़ी शर्म की बात कांग्रेस वालों के लिए है कि कल की पत्थरबाजी में, कानपुर के कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस के मन्त्री तक ने भी गुम्मे चलाए। (शेम-शेम) इससे ज्यादा शर्म की बात और नहीं हो सकती। मान्यवर, यह कहने में मुझे बिलकुल शर्म नहीं आ रही है कि शुद्ध रूप से गुन्डागर्दी हुई है, जनता पार्टी के लोगों के साथ न मालूम कितने लोग जख्मी हो कर अस्पताल में पड़े हुये हैं। बाजार बन्द हुए। लोग अपनी सुरक्षा नहीं महसूस कर रहे हैं और लोगों के अन्दर यह भावना व्याप्त होती जा रही है कि जनता पार्टी की सरकार होते हुये भी जब जनता पार्टी के लोग ही मारे जा रहे हैं तो फिर जनता के लोगों की सुरक्षा सरकार कैसे कर सकती है....

एक सदस्य--

इस्तीफा दे दो....

श्री मोती लाल देहलवी:--

मान्यवर, इस्तीफा तो बाद में दिया जायगा, पहले उनका इलाज किया जायगा। यह मैं बहुत सफाई से कह देना चाहता हूं। हम लोग भी विरोधी दल में थे--हमने जुलूस निकाले लेकिन गुन्डागीरी नहीं की। मान्यवर, मैं बड़े

[श्री मोतीलाल देहलवी]

अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार न प्रजातान्त्रिक तरीका नहीं बल्कि स्वच्छंद प्रजातांत्रिक तरीके को पकड़ रखा है और उसी की वजह से उसका नाजायज फायदा कांग्रेस के लोग उठाते चले जा रहे हैं और यदि इस स्वछंता पर काबू नहीं किया गया तो इस का नाजायज फायदा कांग्रेस के लोग उठाते चले जायेंगे। मान्यवर, बाहलशफा में जिस कदर जगह-जगह लिखा हुआ है आज तक के इतिहास में मैंने कभी यह चीज नहीं देखी। जिस तरीके से प्रदर्शनकारी विधान सभा के अंदर घुस आये, मैंने, मान्यवर, कभी इस तरह का प्रदर्शन नहीं देखा। हालांकि मैं चार बार चुन कर यहां आया हूं। हम लोगों ने भी प्रदर्शन किया है, विधान सभा के गेट पर, लेकिन जब-जब प्रदर्शन किया हमको मालूम है, हमने पुलिस के डंडे खाये। हम लोगों पर पुलिस के डंडे बरसाये गये। तो मान्यवर, मैं कहूंगा कि इस प्रकार की स्वछंदता प्रजातंत्र में हमारी सरकार को नहीं देनी चाहिए।

(लाल बत्ती जलने पर)

आप ने लाल बत्ती जला दी। इसलिए मैं एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं। आज जो लोग बैठे हुए हैं उधर और मेरे बोलने पर आपत्ति कर रहे हैं उनके समय में आपात्कालीन स्थिति के दौरान पुलिस वालों ने जो कुकर्म किये हैं, उनको याद करके शर्म से गर्दन झुक जाती है, पता नहीं इनकी गर्दन झुकेगी या नहीं। ककवज थाने के अन्तर्गत ठठिया इलाका के लोगों को लाकर पुलिस ने ७ लोगों को बुला कर नहर की खरपतपुर झाल की कोठी में बन्द किया और रात में १२ बजे झूठा इनकाउन्टर दिखा कर उनको गोली से भून दिया गया। इनकी जांच बिल्हौर के एस० डी० एम० ने की और जांच रिपोर्ट में लिखा कि यह इनकाउन्टर नहीं था जबकि उनको एक जगह खड़ा करके मार दी गयी गोली। इसके बाद सी० आई० डी० के द्वारा इसकी जांच सुनी है हो रही है। मैं सरकार से कहूंगा कि वह इस तरीके को बिलकुल बदल दें कि सिविल पुलिस के कर्मचारी बदल कर सी० आई० डी० में चले जाते हैं और सी० आई० डी० के लोग सिविल पुलिस में चले आते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं रहता। मुझे आश्चर्य होता है कि जांच सी० आई० डी० कर रही है लेकिन जिस थाना इंचार्ज ने बेगुनाह लोगों को मारा था, वह तरक्की पा कर सी०आई०डी० का इंस्पेक्टर बना दिया गया। माननीय मुख्य मन्त्री जी इस पर सोचें कि सी० आई० डी० से किस तरह से न्याय मिल सकता। लिहाजा मेरा निवेदन है कि इस तरीके में परिवर्तन किया जाय और पुलिस के लोगों को सी० आई०डी० में तथा सी० आई० डी० के लोगों को पुलिस में नहीं लाया जाये। मेरा अन्त में यह भी निवेदन है कि इसकी जांच सी० बी० आई० से कराई जाय।

*श्री शम्भूनाथ (जिला जौनपुर)--

आपका अध्यक्ष महोदय आभारी हूं कि आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

दो और एक का अनुपात चल रहा था, लेकिन अब उधर से तीन हो गये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनुदान संख्या २१--पुलिस, अनुदान संख्या ३--मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या ५--निर्वाचन, अनुदान संख्या १८--सचिवालय, अनुदान संख्या १९--जिला प्रशासन, अनुदान संख्या २५-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, अनुदान संख्या ३६--सूचना तथा प्रचार, अनुदान संख्या ३९--अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रम, अनुदान संख्या ४१--अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं तथा अनुदान संख्या ४४--अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

श्री अध्यक्ष--

मेरी व्यवस्था यह है कि आपको पर्याप्त समय दिया जाय । कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो सकता ।

श्री शम्भू नाथ--

अध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन देश और जनता के लिये एक बड़ा अहम विषय है, बल्कि यह कहा जाय कि यह समाज का दर्पण है, एक थर्मामीटर है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । आज समाज में गरीब और अमीर, शोषित और शोषक, पीड़ित और दलित तथा दबाने वाले के बीच में एक संघर्ष है तो प्रशासन के लिये एक विशेष उत्तरदायित्व की बात हो जाती है । जब ऐसा माहौल है तो जब प्रशासन चुस्त होगा तभी उसका मुकाबला किया जा सकता है । कल सूचना मंत्री यहां बैठे हुये थे और कल तो कुछ नोट कर रहे थे मगर आज कोई नोट करने वाला नहीं है । यह दुख की बात है । मैं यह बात आलोचना की दृष्टि में नहीं कह रहा हूं बल्कि यह पार्लियामेन्टरी प्रक्रिया के तहत कह रहा हूं, पार्टी के भीतर रहते हुए आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं । शासन की गलती पकड़ने के लिए, शासन को चुस्त बनाने के लिए सबसे बड़ा उत्तरदायित्व विधान सभा में आये हुए माननीय सदस्यों का होता है--प्रश्न के जरिये से, प्रस्तावों के जरिये से और अपने भाषणों के जरिये से शासन को चुस्त बनाने की कोशिश करते हैं । लेकिन मुझे बड़ा कष्ट है आज ही की घटना नहीं बल्कि तमाम मन्त्री जो आते हैं, वह ब्यूरोक्रेसी से उत्तर लेकर आते हैं । ऐसा लगता है कि वह डिपार्टमेन्ट के पेड वकील हैं जो डिफेंड करने की हैसियत से आये हैं । मुझे यह बात कहने में संकोच नहीं होता कि मंत्रिगण अगर प्रशासन को चुस्त करना चाहते हैं तो ३० वर्ष तक क्या हुआ, उसे न दोहराइये, वह उसे अपने तक सीमित रखें । लेकिन इसमें वह तबदीली ला सकते हैं उसमें तवज्जो देने की बात है । जितने नये मन्त्री हैं उनको जवाब देने से पहले परसनल इनक्वायरी भी कर लेनी चाहिये कि यह बात सही है या नहीं । लेकिन देखा जाता है कि जैसे एक वकील डिफेंड करने के लिए होता है उसी तरह यहां हो रहा है । मैं समझता हूं कि जनता पार्टी की सरकार के लिए यह डिस-सरविस है उससे जनता का लाभ होने वाला नहीं है ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

माननीय अध्यक्ष जी से ट्रेनिंग दिलाइये ।

श्री शम्भू नाथ--

अध्यक्ष महोदय, यह भी देखा जा रहा है कि आजकल दफ्तरों में जो फाइल मूव कर रही है, उसका पता नहीं कि कितने दिन में उसका निपटारा होगा। मेरी व्यक्तिगत जानकारी है एक फाइल जिसमें मन्त्री महोदय ने आदेश दिये और सचिव को कह दिया कि फलां स्कूल को इस सब्जेक्ट में परमिशन दे दो...

(किसी सदस्य के माननीय अध्यक्ष तथा भाषण कर्ता के बीच जाने पर)

श्री यशपाल सिंह (जिला सहारनपुर)-

व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री अध्यक्ष--

क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, प्रक्रिया नियमावली के अन्तर्गत अगर कोई सदस्य बोल रहा है और अध्यक्ष पीठ पर बैठे हों तो बीच में किसी सदस्य को नहीं आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, नहीं आना चाहिये। अनुचित है, सामने नहीं आना चाहिये। आपकी बात मान ली, आप बैठें।

श्री शम्भूनाथ--

मान्यवर, मैं कह रहा था कि प्रशासन को चुस्त बनाना आवश्यक है, जनता को मालूम होना चाहिये कि एक निश्चित अवधि में जो उसने रिप्रजेंटेशन दिया है, उसका फैसला हो जाना चाहिये। जनता जनार्दन को यह राहत देनी होगी ताकि जनता को मालूम हो जाय कि सरकार से शीघ्र फैसला होता है चाहे उनके पक्ष में हो या विपक्ष में लेकिन समय पर उत्तर मिल जाता है।

अध्यक्ष महोदय, जुडिशियरी और एकजीक्यूटिव के सेपरेशन का सवाल भी बहुत दिनों से चल रहा है। मैं भी चाहता था कि जुडिशियरी सेपरेट होनी चाहिये। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जुडिशियरी में आज जो कुछ देखा जाता है नहीं पुलिस केस जब जुडिशियरी के सामने जाता है, वही पुराना रवैया अपनाया जा रहा है जिसको हमने बदनाम किया था, वही सारी की सारी बातें आज भी पाप रही हैं। यहां पर विकेन्द्रीकरण की बात की जाती है आप भले ही एस० डी० एम० को तहसील पर भेज दें लेकिन मुनसिफ को तहसील पर भेजने के आदेश दिये गये तो इससे वहां पर करप्शन फैलेगा, न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए अलग से जैसी व्यवस्था है, उसके ऊपर वाच रखने के लिए विशेष ध्यान शासन को देना होगा। साथ ही पुलिस प्रशासन में, यह बात नहीं है और आंकड़े साफ हैं कि पुलिस द्वारा चलाया हुआ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और आई० पी० सी० के मुकदमे सुप्रीम कोर्ट पहुंचते-पहुंचते ४६ परसेन्ट में एक्वीटल हो जाता है। उसका एक कारण है, एक तो हमारी पुलिस पुराने जमाने की, अंग्रेजों के जमाने की है, तब से अब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

अनुदान संख्या २१- पुलिस, अनुदान संख्या ३--मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या ५ निर्वाचन, अनुदान संख्या १८--सचिवालय, अनुदान संख्या १९--जिला प्रशासन, अनुदान संख्या २५-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, अनुदान संख्या ३६-सूचना तथा प्रसार, अनुदान संख्या ३९-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी कार्य-क्रम, अनुदान संख्या ४१---अन्य समाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं तथा अनुदान संख्या ४४---अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

जुर्म, विज्ञान और साईंस की तरह बढ़ता चला जा रहा है और क्राइम को पकड़ने के लिए हमारी क्षमता उस हिसाब से बहुत कम, बहुत पिछड़ी हुई हो गयी है। उसी पुलिस वालों को ला एन्ड आर्डर मेन्टेन करने के लिए दिया जाता है और उनके इन्वेस्टीगेशन का काम भी उन्हें ही दिया जाता है। नतीजा यह है कि ४-४ वर्ष बाद डायरी पूरी की जाती है और चार्जशीट मुकम्मल की जाती है। तो ऐसी हालत में केस छूटेगा या नहीं इसलिए जनता में पहले असन्तोष था और आज भी है, इसलिए मैं चाहूंगा (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, ४ मिनट हमारे वैसे ही चले गये, कुछ और समय दे दीजिएगा।

शारदा प्रसाद जी कल हरिजनों के बारे में बोल रहे थे। मैं हाउस को और अपने साथियों से साफ कह देना चाहता हूं कि इस देश के हरिजन किसी के सामने भीख नहीं मांगते हैं, वह अपना अधिकार मांगते हैं। उसको अधिकार दिया गया है, भारत के संविधान में उसको इसका अधिकार दिया गया है। अपना अधिकार मांगने पर यदि किसी के मन में अन्य कोई भावना हो तो वह उसे अपने मन से सदा-सदा के लिए निकाल दे। हरिजनों का जहां तक ताल्लुक है, उनका अधिकार है, जब तक वह पूरा नहीं होगा, तब तक वह चैन नहीं लेगा, वह अपना अधिकार लेकर रहेगा, लेकर रहेगा। बिना इसके यह समाज सरसब्ज नहीं हो सकता है। वह अपने मन को साफ कर लें, इस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं अभी इस बारे में हमारे जिले में राजस्व परिषद् के सचिव का एक आदेश गया है---संख्या ६७-१(१)/७५--५९, दिनांक २२ अप्रैल, १९७७, उसमें लिखा है शासन के निर्णयानुसार ये रेगुलर लेखपाल पदों पर नियुक्ति हेतु ऐसे अप्रशिक्षित चकबन्दी लेखपाल भी प्रशिक्षित माने जाएंगे जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों :--

(१) वह चकबन्दी विभाग में ३ साल या उससे अधिक अवधि तक कार्य किये हों और उनकी सेवा सन्तोषजनक रही हो तथा

(२) वह सहायक संग्रह अमीन या मुहर्रिर के पदों पर नियुक्त किये गये थे और अब उनकी छटनी कर दी गयी है।

ऐसी हालत में भी गोरखपुर और बनारस मंडल में आपको जानकर ताज्जुब होगा, उनके साथ मेन्टल रिजर्वेशन रखने वाले लोग अन्याय कर रहे हैं और उनका हक शासनादेश अनुसार नहीं दे रहे हैं, उनका रिजर्वेशन पूरा नहीं कर रहे हैं। २१४७ लेखपाल के पद तोड़े जा रहे हैं इन मंडलों में और उनमें दूसरों को रिट्रेन्च इम्पलाई के नाम पर रखा जा रहा है। आदेश के अनुसार छटनी में हरिजन को नहीं निकाला जाना चाहिए। इस तरह से ३६० से अधिक रेगुलर लेखपाल

[श्री शम्भूनाथ--]

जो गांवों में रहते हैं और गांव में रहकर सेवा कर सकता है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। इस तरह की भावना बन्द की जाए और उनको सही तरीके से रिप्रेजेन्टेशन दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय, हरिजनों की समस्या दो तरह की है। एक तो यह है कि समाज में उनको मनुष्य की तरह दरजा दिया जाय। यह दीर्घकालीन है। लेकिन तत्काल तरीके से आज हरिजन सेल का नाम लिया जा रहा है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री का इस बात के लिए आभारी हूं, यह आपके सामने ऐक्ट है जिसका नाम है प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स ऐक्ट। इसका सेक्शन १५ है--

(iv) the setting up of committees at such appropriate levels as the State Government may think fit".

श्री अध्यक्ष--

शम्भूनाथ जी, आप इसका अनुवाद पढ़ें तो ज्यादा बेहतर होगा।

श्री शम्भूनाथ--

"to assist the State Government in formulating or implementing such measures;

(v) provision for a periodic survey of the working of the provisions of this Act with a view to suggesting measures for the better implementation of the provisions of this Act."

इसमें यह है कि स्टेट लेविल से नीचे लेविल तक इस तरह की समिति बनायी जाय जिससे उनको इस ऐक्ट के तहत प्रोटेक्शन मिल सके। किसी भी थानेदार या एस० पी० को यह ऐक्ट मालूम ही नहीं है कि पार्लियामेन्ट ने इस तरह का ऐक्ट पास किया है। इम्पलीमेन्ट करना तो दूर रहा। एक समिति बनाने की घोषणा की गयी। लेकिन उसमें कुछ अधिकारी रखे हैं। कम से कम उसमें हरिजन एम० एल० ए० या एम० पी० को भी रखा जाय।

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त कीजिये।

श्री शम्भूनाथ--

मैं आपका आभारी हूं कि आपने बोलने का समय दिया, जय हिन्द

श्री देवबहादुर सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने पुलिस और सामान्य प्रशासन पर जो अनुदान का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उस पर हमारी पार्टी की ओर से जो कटौती का प्रस्ताव है, उसके समर्थन में दो शब्द कहने का शुभावसर दिया।

मान्यवर, जो लोक सभा का चुनाव हुआ और उसके बाद विधान सभा का चुनाव हुआ, बड़ी चर्चा है कि बड़ा भारी बहुमत इनको मिला। वास्तविकता यह

है कि लोक सभा के चुनाव में, इतनी बड़ी बेईमानी हुई है, इस देश के इतिहास में कभी हुई नहीं होगी। (व्यवधान) छपरौली का नाम लिया जाता था कि वहां चुनाव में भ्रष्टाचार और बेईमानी होती है। अबकी चुनाव में हर क्षेत्र छपरौली बन गया। जितने गरीब निर्बल लोग थे, उनको वोट नहीं डालने दिया गया। जो अधिकारी या कर्मचारी मतदान केन्द्रों पर नियुक्त किये गये थे, उन्होंने भारी गड़बड़ी की, मतपत्रों पर मोहर लगा कर जनता पार्टी के निशान पर मोहर लगा कर बक्सों में डाल दिया। उससे जीत हुई। यह समझ रहे हैं कि जनता इनके साथ है, यह भ्रम है। वह भ्रम निकाल दें। इसीलिए जनता की आंखों में दिन पर दिन गिरते चले जा रहे हैं। उस चुनाव के पश्चात् इस प्रदेश में एक सरकार बनी। माननीय रियासत साहब ने उस दिन कहा था कि नौकरशाही के बारे में कि नौकरशाही के घोड़े पर लगाम और अपना आसन सख्त करें। नौकरशाही इस प्रकार का घोड़ा है इससे अधिक चतुर कोई हो नहीं सकता। घोड़े की विशेषता यह है कि वह अपने सवार को पहचानता है। वह जानता है कि यह सरकार किसी दिन गिर सकती है। जिन दिन इस सरकार का जन्म हुआ, प्रसव काल के तुरन्त बाद ही इसको टिटनेस हो गया। उसी दिन से इसको बचाने की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन यह सरकार अपने अन्तिम दिन गिन रही है। किसी दिन जा सकती है। इसका असर यह है कि एक अनिश्चितता का वातावरण है। नौकरशाही समझ रही है। जनता भी समझ रही है कि जो सरकार जाने वाली है, उस सरकार का आदेश कैसे पालन किया जाय। इस लिए प्रदेश में आन्दोलन की बाढ़ आ गयी है। मान्यवर, हरिजनों पर अत्याचार हो रहा है, मंहगाई चरम सीमा पर पहुंच गयी है और उस पर काबू नहीं पा रहे हैं और रोज ब रोज तेजी पकड़ती जा रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री देव बहादुर सिंह--

इनमें आपस में एकता नहीं है। २ उप मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। एक ने भ्रष्टाचार के विरोध में इस्तीफा दिया और दूसरे ने अल्प संख्यकों के प्रति सरकार द्वारा अख्त्यार किए गये रवैये के कारण इस्तीफा दिया। इनका वक्तव्य इस बात का प्रतीक है कि यह निश्चितता के साथ नहीं कहा जा सकता है कि इनकी सरकार कितने दिन चल सकेगी, यह कहना कठिन है। मान्यवर, यह कहा जाता है कि जब से जनता पार्टी की सरकार बनी तब से सभी को भय मुक्त कर दिया गया

[श्री देव बहादुर सिंह—]

है । आप देखें चोरों को भय मुक्त कर दिया, चोर बाजारों को भय मुक्त कर दिया और तस्करों को भय मुक्त कर दिया और इसीलिए दफा ५२ में रोज चर्चा होती है कि रोक लगानी चहिए, लेकिन कैसे हो, सभी तो भय मुक्त हैं । जेल में जब यह रहे थे तो इन चोर बाजारों और तस्करों के साथ साठ, गांठ की है और उन्हीं के पैसे से यह चुनाव लड़े हैं । कहा गया कि वह ऐसा कानून बनाना चाहते हैं जो प्रभावशाली होगा । मान्यवर, आप देखें कि हरदोई में सिटी मजिस्ट्रेट ने एक नोटिस जारी कर दिया कि आपात स्थिति मौजूद है और कार्यवाही की जा रही है । आप देखें कि अधिकारी इस तरह से बात करते हैं ।

कहा जा रहा है कि हम एक सा व्यवहार करेंगे और आप को याद होगा कि प्रधान मंत्री मोरारजी देसाई आये थे और श्रीमती इन्दिरा गांधी जी आई थीं । एक जगह पर प्रदर्शन किया गया तो लोगों को जेल भेज दिया गया और रायबरेली में लोगों को प्रदर्शन करने के लिए उकसाया गया । आज गृह मंत्री आये हैं और जो कोई प्रदर्शन करता है तो उनको जेल भेजा जा रहा है । विपक्ष को शक्तिहीन बनाया जा रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि जनता इनके साथ नहीं है । यह कहते हैं कि हम ट्रान्सफर नहीं करेंगे लेकिन आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है । इनका वक्तव्य कुछ होता है और कार्यवाही कुछ होती है । जितनी भी घोषणायें की जाती हैं, उन पर पालन नहीं किया जाता है । श्रीमन्, समय बहुत कम है । मैं एक दो बातें कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं ।

कई बार ऐसा हुआ कि यहां कोई मंत्री नहीं है या मुख्य मंत्री भी नहीं है । पता नहीं कौन नोट कर रहा है ? अब पता नहीं कि मुख्य मंत्री किन-किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहेंगे ? कोई नोट भी कर रहा है या नहीं ? इस सदन की कल से जितनी उपेक्षा हो रही है, आज तक इस सदन के इतिहास में किसी भी मुख्य मंत्री के जमाने में कभी भी नहीं हुई, जब से यह सरकार आई है, सदन के प्रति उनका जो दायित्व है, उसकी कितनी उपेक्षा की गई है, उतनी पहले कभी नहीं हुई । आज हम लोग आलोचना करते हैं उसे कोई नोट करता ही नहीं । पता नहीं, अपने हाथ से लिख कर पता नहीं कौन सी बात जा कर वहां बतायेंगे और कौन सी नहीं । फिर उसी के हिसाब से जवाब दिया जायेगा । श्रीमन् आलोचना बैठ कर सुनने में और नोट पढ़ लेने में बड़ा अंतर पड़ता है । श्रीमन्, मैं चाहूंगा कि आप हम लोगों की मदद करें । जितने भी मंत्री हैं और उनका जो सदन के प्रति उत्तरदायित्व है, उनका पूरा परिपालन करें और हमारी मांगे पूरी करें ।

इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्रीमती राम रति देवी (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, हम महिलाओं को भी बोलने का मौका दें ।

श्री अध्यक्ष—

आपको तो पुरुषों से ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है । आप तो पहले भी बोल चुकी हैं । आप बैठिये ।

श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)—

अध्यक्ष महोदय, मंत्रिमंडल को अपने शासन के सम्बन्ध में उसके दोष और अवगुणों के सम्बन्ध में जानकारी जिलाधिकारियों से होती है, समाचार-पत्रों से

होती है और स्वयं भी उनको जानकारी होती है। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी जो होती है, वह इस सदन में होती है। यह जानकारी माननीय सदस्यों के प्रश्नों एवं उनके दिये गये उत्तरों से होती है। कुछ ऐसी सी रस्म सी हो गई है, कुछ फारमैलिटी सी हो गई है कि प्रश्नों के उत्तर जिलाधिकारियों से सेक्रेटरी के पास आते हैं और उसका जबाब दे कर उस पर सील लग जाती है। ऐसा नहीं होना चाहियें।

अगर आप पिछले पांच सालों के आंकड़े देखें तो पता चलेगा कि जिन प्रश्नों के उत्तर आये, उनके जबाब दिये गये और फिर सील लग गई और उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। कभी-कभी जेल में अधिकारियों की तरफ से बड़े अत्याचार और अन्याय हो जाते हैं।

मैं आपके सामने चार-पांच उदाहरण सामने रखूंगा। अभी हाल में आगरा जिले में २३ जुलाई को एक उद्योगपति के घर की तलाशी हुई। रेपसीड के बाद दस लाख की संपत्ति बरामद हुई। अध्यक्ष महोदय, बड़े आश्चर्य की बात है कि २३ जुलाई को तलाशी हुई और उसकी फर्स्ट इनफारमेशन रिपोर्ट २२ अगस्त को लिखाई गई और जब कि इस कार्यालय में एक माननीय सदस्य ने उसके सम्बन्ध में प्रश्न प्रस्तुत कर दिया। तो एक महीने तक उसकी फर्स्ट इनफारमेशन रिपोर्ट का कोई पता नहीं। बड़े ताज्जुब की बात है। कोई कानून-कायदा नहीं, कानून-कायदे तो ताक में रख दिये जाते हैं। जिन अधिकारियों ने तलाशी ली, उन्होंने स्वयं अपने हाथों से उस संपत्ति को फर्म के मालिक को वापस कर दिया। बड़ी अजीबोगरीब बात है। मैं समझता हूं कि वहां के रीजनल फूड कंट्रोलर को इसके लिये सजा दिलानी चाहिये। एक महीने के बाद रिपोर्ट होना एक अजीबो-गरीब बात है।

दूसरी बात मैं आपके समक्ष मैनपुरी जिले की रखता हूं। वहां के सी० एम० ओ० १० जुलाई को अपनी सरकारी जीप द्वारा आगरा मनोरंजन के लिये गये। उनमें दो लेखाधिकारी इलाहाबाद भी गये थे। मैनपुरी में उन्होंने तेल डलवाया। जब जीप आगरे से वापस आ रही थी तो दुर्भाग्य से उन दोनों लेखाधिकारियों की ऐक्सीडेंट में मृत्यु हो गयी और मैनपुरी जिले के अस्पताल के हेड क्लर्क की मृत्यु हो गई। उनके साथ हमारे जिले का एक डाक्टर भी था, वह भी काफी घायल हो गया। आज तीन महीने हो गये हैं, कोई जांच पड़ताल नहीं हुई। सरकार इसके लिये समय मांगेगी। पता नहीं इसमें कितना समय लगना चाहिये था? ज्यादा से ज्यादा यह दो घंटे के अन्दर तहकीकात हो सकती थी और वहां पर दंड दिया जा सकता था।

अब मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं कि एक मुन्ना नामक आदमी को पुलिस के लोगों ने इतना मारा कि जब वह अंतिम श्वास लेने लगा तो

[श्री वीरेन्द्र पति यादव]--

उसका वारंट बनवाकर उसे जेल लिये जा रहे थे । वहां पर कोतवाली से जेल ५ मील थी और यहां का अस्पताल केवल १ मील है । जब गम्भीर अवस्था होती है किसी मुलिजम को पुलिस कस्टडी में तो सरकारी अस्पताल में दाखिल कर दिया जाता है । वह जेल जा रहा था कि रास्ते में ही मृत्यु हो गयी । समझदारी होती तो मुन्ना कहार का जीवन बचाया जा सकता था और उसे होस्पिटल में ले जाया जा सकता था । न्याय तो यह है कि जो भी इस प्रकार के कांड का जिम्मेदार व्यक्ति हो, चाहे वह बड़ा हो या छोटा हो उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ ।

फर्रुखाबाद के एक कृषि अधिकारी थे, उन्होंने अपने इन्सपेक्टर को ५ महीने से तन्ख्वाह नहीं दी । उसने ३० रजिस्टर्ड एकनोलेजमेन्ट ड्यू पत्र भेजे, लेकिन एक का भी उत्तर उसे नहीं मिला । हमारे शासन के स्टैंडिंग आर्डर्स हैं कि किसी का पत्र हो या प्रार्थना-पत्र आया हो उसको उत्तर अवश्य देना चाहिए ।

मैनपुरी का एक पांचवां मामला है । वहां पर एक दिनेश शंकर चतुर्वेदी नाम के व्यक्ति हैं जो सिंचाई विभाग में थे, उनकी सर्विस टरमिनेट कर दी गयी । उसने बहुत से आवेदन-पत्र वर्ष १९६३ से दिए सचिव महोदय को, लेकिन आज १४ वर्ष बीतने पर भी उसे कोई उत्तर नहीं दिया गया । यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि उनके मामले में कोई निर्णय लिया जा चुका है या नहीं । उसने इस समय तक लगभग २७ स्मृति-पत्र रजिस्टर्ड ए० डी० डाक द्वारा दिए लेकिन आज तक कोई उत्तर उसे प्राप्त नहीं हो सका है । तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन से कहना चाहता हूं कि जब ऐसी गम्भीर बातें हैं तो संबन्धित अधिकारी को दंड दिया जाना चाहिए । यहां पर सदन में प्रश्न पूछे जाने और मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए जाने ही काफी नहीं हैं यह जनता के प्रति न्याय नहीं है । सचिवों के द्वारा तैयार किए हुए उत्तर आ जाते हैं लेकिन बाद में कोई ऐक्शन नहीं होता है । तो मैं चाहूंगा कि सरकार को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए ।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम लोग यहां पर बैठते हैं तो शिष्टाचार के नाते मंत्रियों को यहां पर उपस्थित होना चाहिए। यह बड़े खेद की बात है । जिस समय यहां पर मुख्य मंत्री उपस्थित न हो तो किसी उच्च स्तर के मंत्री को यहां पर उपलब्ध रहना चाहिए । कल एक मंत्री आये भी फिर वे चले गये । उनके बाद एक उप-मंत्री साहब आये, उनका नाम मैं नहीं जानता हूं । जब सदन में सदस्यों को एतराज हुआ कि सदन में मंत्री जी को होना चाहिए तो हमारे उप मंत्री वहीं पर बैठे रहे, वे खड़े नहीं हुए । उन्होंने अपनी जबान नहीं खोली, उन्हें कहना चाहिए था कि मुख्य मंत्री जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं । संसदीय डिक्शनरी में उप मंत्री भी मंत्री के समान ही होते हैं । उन्होंने कह दिया होता कि हम उप मंत्री हैं और हम उनके स्थान पर कार्य कर रहे हैं । तो ऐसी दशा में मैं समझता हूं कि मिनिस्टर्स को सदन में उपस्थित रहना चाहिए ।

जहां तक पुलिस की कार्य शैली का प्रश्न है १९०२ में, पुलिस कमीशन बना, १९१९ में एक पुलिस कमेटी और १९६१ में पुलिस कमीशन बना और फिर १९७० में पुलिस कमीशन बना, इन सबने यह माना है कि अपराध छुपाये जाते हैं, उनकी वृद्धि को न्यूनतः दिखाया जाता है । अपराधों को न्यूनतः करना भी अपराध है । धारा १२७ व २७० इन्डियन पेनल कोड में केवल यही कहना प्रर्याप्त है कि कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना नहीं चाहता ।

संख्या २१--पुलिस, अनुदान संख्या ३--मंत्रि परिषद् अनुदान संख्या, ५--निर्वाचन अनुदान संख्या १८--सचिवालय, अनुदान संख्या 19--जिला प्रशासन अनुदान संख्या २५--अन्य प्रशासनिक सेवाएं, अनुदान संख्या ३६--सूचना तथा प्रचार अनुदान संख्या ३९--अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी कार्यक्रम अनुदान संख्या ४१--अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं तथा अनुदान संख्या ४४--अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

केवल यही कहना पर्याप्त है कि पूर्व इन्सपेक्टर जनरल श्री इस्लाम अहमद थे, उन्होंने स्वयं कहा है कमीशन की रिपोर्ट में कि मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए समय पर जो विभिन्न तरीके अपनाये गये, उनके बावजूद अभाग्यवश पुलिस अफसरों के भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं आयी। आज अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से भ्रष्टाचार को दूर करने का कार्य किया जा रहा है उस तरह से वह दूर नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार एक रजामन्दी की चीज है। दो पार्टीज का आपस में समझौता है। एक दूसरे को पैसा देता है। आपके द्वारा मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि अगर आपको भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना है तो बैड रेप्यूटेशन के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ ऐक्शन लेना चाहिए, साथ ही साथ सरकारी कर्मचारियों की इंटीग्रिटी जहां डाउटफुल हो वहां पर ऐक्शन लें, तभी यह दूर हो सकता है।

*श्री विजय राज सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैं मंत्रि परिषद्, सामान्य प्रशासन और पुलिस के ऊपर आज कटौती प्रस्तावों का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। पिछले ३ अक्तूबर से श्रीमती इंदिरा गांधी के चेलों ने अचानक ही लोकतंत्र के लिए बड़ी मुहब्बत दिखाई और लोक तंत्र इनको खतरे में नजर आ रहा है। इन लोगों को थोड़ा धैर्य रख कर यह सोचना चाहिए कि जब २५ जून, १९७५ को इस देश पर और इस देश की जनता पर कांग्रेस के लोगों ने एक तरफा युद्ध की घोषणा कर दी, बिलकुल बेकसूर लोगों को जेलों में भर कर बन्द कर दिया गया, मीसा लगाया गया, डी० आई० आर० लगाया गया, प्रेस का गला घोटा गया, पूंजीपतियों को डराया धमकाया गया, इतना ही नहीं, लोकतंत्र की हत्या करने के लिए ४२वां संविधान संशोधन पेश किया गया तो वह लोग, जिनके हाथ लोक तंत्र की हत्या से सने हैं, आज इंदिरा गांधी और उनके चेलों की गिरफ्तारी पर लोक तंत्र के लिए मोहब्बत की बात करते हैं और कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ यह सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। जब भ्रष्टाचार के आरोप में बन्द करते हैं तो आपको तकलीफ किस बात की है? ८ करोड़ का घोटाला लाइसेन्स देने पर हुआ है, जीपों का घोटाला हुआ है, तो मैं तो अपने मंत्रियों से मांग करना चाहता हूं कि जो इमरजेंसी के दौरान इस देश की जनता पर जुल्म ढाये गये, जो लोकतंत्र के खिलाफ साजिश हुई है, यह देश के खिलाफ अपराध है और इन लोगों को युद्ध बन्दियों की तरह एक युद्ध की विशेष अदालत में इन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा इनको दी जाय ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को सबक रहे कि जनता पार्टी की सरकार जब गद्दी में आयी थी तो लोक तंत्र के हत्यारे कांग्रेसियों को सख्त से सख्त सजा दी थी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री विजय राज सिंह—]

अब मैं प्रदेश के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । यह जब हमको आजादी मिली तो प्रदेश के प्रति व्यक्ति की आय २६० रुपया थी और १९७५–७६ में २६८ हुई और इसी बीच में देश की औसत आमदनी २४८ से बढ़ कर ३६६ हो गयी । इसी बीच में देश की औसत सालाना प्रगति ३·६ रही जबकि प्रदेश की औसत प्रगति २·२ रही । इसके अलावा, मान्यवर, ७ फीसदी जनता जो हमारे प्रदेश की कृषि पर आधारित है, लेकिन आज प्रति हेक्टेयर औसत पैदावार हमारे प्रदेश की देश की प्रति हेक्टेयर औसत से नीची है और पंजाब और हरियाणा से तो बहुत नीचे है । यही कहानी अन्य सामाजिक सुविधाओं में, शिक्षा में, इलाज की सुविधाओं में निरन्तर पीछे जाने की है । पिछले २५ सालों के नियोजित प्रयास के बावजूद हमारे प्रदेश के ६० फीसदी व्यक्ति गरीबी की रेखा के नीचे दम तोड़ रहे हैं ।

(इस समय १ बजकर ४३ मिनट पर, अधिष्ठाता,
श्री वीरेन्द्र पति यादव पीठासीन हुए ।)

जबकि देश का यह औसत ४८ फीसदी है । तो जिस मुद्दे पर मैं जोर देना चाहता हूं वह यह है कि इस प्रदेश को एक इकाई के रूप में लगातार रख कर तरक्की नहीं की जा सकती । जो छोटे–छोटे राज्य बनाये गये है, पंजाब, हरियाणा, हिमांचल प्रदेश, इन्होंने बहुत अधिक तरक्की की है । हमारे योजना विभाग ने भी, हमारे कृषि विभाग ने भी, हमारे सिंचाई विभाग ने भी इस प्रदेश को ५ इकाइयों में बांटा है पहाड़ी प्रदेश, पश्चिमी प्रदेश, बीच का प्रदेश और बुन्देलखंड । मैं थोड़े से आंकड़े देना चाहता हूं । मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ निरन्तर पिछले २०–२५ साल से ज्यादती और अन्याय हो रहा है और हमारी गाढ़ी कमाई का पैसा सूखा और बाढ़ के नाम पर पूर्वी उत्तर प्रदेश पर खर्च किया जाता रहा है । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में १९ और पूर्वी उत्तर प्रदेश में १५ जिले हैं । पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कहा जाता है कि हमने तरक्की की है । लेकिन हमने जो कुछ तरक्की की है वह अपनी खुद की मेहनत से की है, सरकार का हमारे ऊपर खर्च निरन्तर कम होता रहा है । आप देखें कि १९७४–७५ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर ३६ करोड़ ९२ लाख रुपये खर्च किये गये और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर ७५ करोड़ १९ लाख रुपये खर्च किये गये । १९७५–७६ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर ४३ करोड़ ६४ लाख और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर ८८ करोड़ ३४ लाख रुपये खर्च किये गये । १९७६–७७ में जो अनुमानित है वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर ७७ करोड़ ५६ लाख और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर ११९ करोड़ २२ लाख रुपया है और १९७७–७८ में जो प्रस्तावित है, वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर १२७ करोड़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर १७५ करोड़ रुपया है । इस तरह से हर साल लगभग दूने से ज्यादा या उसके आस–पास रुपया वहां पर निरन्तर खर्च किया जाता रहा है ।

इसके अलावा जो पैदावार के आंकड़े हैं वह भी बड़े बेहतरीन हैं । पैदावार के क्षेत्र में जो सिंचाई और बिजली के ऊपर खर्च किया गया पश्चिमी क्षेत्र पर, वह ६२ करोड़ ५ लाख रुपये है और पूर्वी क्षेत्र पर १०५ करोड़ ३१ लाख रुपये हैं । कृषि और इससे संबन्धित मामलों पर पश्चिम में २६ करोड़ ७ लाख और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ३३ करोड़ ३७ लाख रुपया खर्च किया गया । इसके अलावा जो खाद का वितरण हुआ उसमें देखिये । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ३,२१६ हजार मीट्रिक टन और पूर्वी उत्तर प्रदेश में २,५७० हजार मीट्रिक टन खाद ज्यादा दी गई । तो कृषि, सिंचाई, बिजली, खाद हर एक में हर साल इनको ज्यादा रुपया दिया गया । लेकिन पैदावार क्या हुई ? पूर्वी उत्तर प्रदेश में ६,६०० हजार मीट्रिक टन और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ८,१८८ हजार मीट्रिक

टन। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जो बुन्देलखंड के ५ जिले हैं, इनके बारे में सिर्फ एक ही बात काफी है। ये एक कुंमारी बेटी की सन्तान हैं, इनके ऊपर कुछ खर्चा नहीं होता प्रदेश का। तो यह जो भावना पुनर्गठन की बढ़ती जा रही है, यह बड़ी न्यायोचित मांग है, इसका पुनर्गठन होना ही चाहिए। अंग्रेजों ने आगरा प्रदेश और अवध प्रदेश को मिला कर यूनाइटेड प्राविन्सेज आफ आगरा एंड अवध बनाया था। १९२० में भी यह मांग उठी थी और महात्मा गांधी ने उस मांग का समर्थन किया था कि उत्तर प्रदेश का जो गठन है, वह अवैधानिक है। तो मैं यह मांग करता हूं कि पश्चिम के जो १९ जिले हैं मेरठ, आगरा और बरेली डिवीजन के इनका एक अलग प्रदेश निश्चित रूप से बनाया जाना चाहिये। अन्त में मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। यह प्रदेश का हमारा जो लक्ष्य है, प्रदेश की तरक्की हो, इसलिए आवश्यक है, छोटा परिवार सुखी परिवार। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य शान्त रहें।

* श्री राज किशोर तिवारी (जिला जौनपुर)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह सामान्य प्रशासन और पुलिस पर चल रही बहस के सम्बन्ध में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता हूं। कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करूं, उसके पहले मैं आपके माध्यम से, हमारे भाई देहलवी जी जो अभी बोले हैं, उन्हें बड़ा सदमा है उनके भीतर उन्होंने संकेत किया है कि आज प्रदेश में एक भयानक स्थिति पैदा हुई है, चारों तरफ गुंडागर्दी, डकैती, महिलाओं का अपहरण, ये जितनी घटनायें घट रही हैं और सरकारी कर्मचारी आज अपनी मांग लेकर जो सड़कों पर इधर से उधर मारे-मारे फिर रहे हैं, जितनी आज, जो भी स्थिति पैदा हुई है, वह सारी की सारी सम्भवतः उनके कथन के अनुसार कांग्रेस की साजिश पर हुई है। मैं उनसे नम्रतापूर्वक एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर वह गौर फरमावें और देखें आज के 'नवजीवन' के एक पृष्ठ पर छपा हुआ है, एक समाचार, अभी इस सदन के दो सम्भ्रांत मंत्री जो गोरखपुर के हैं, हमारे दिघे साहब और लारी साहब, दोनों आदमी गोरखपुर के मुसलमानों की सभा में एक जामा मस्जिद में बोलने के लिए गये थे और वहां मुसलमानों ने अपमानित करके सभा से निकाल दिया है, यह कह कर.. (व्यवधान) मैं यह जानना चाहता हूं अपने भाई देहलवी साहब से कि अगर ये दोनों सम्भ्रांत मंत्रियों को निकालने की साजिश कांग्रेस के लोगों की रही। (व्यवधान)..

श्री मधुकर दिघे (वित्त मन्त्री)--

अगर रही, तो कर देते, लेकिन रही ही नहीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राज किशोर तिवारी--

एक अखबार में छपा हुआ है कि दो सम्प्रदाय के मुसलमानों ने श्रीमती गांधी को एक पत्र लिखा है कि यहां का प्रशासन हमारी समस्याओं का समाधान करने में निश्चित रूप से असफल हो गया है, प्रतिदिन छुरेबाजी, गोली-बारूद चल रहे हैं, आपकी तरफ हमारी निगाहें हैं, आप ऐसी नेता हैं कि आपका दोनों सम्प्रदायों पर विश्वास है, आप यहां आवें और दोनों सम्प्रदायों के बीच में बैठ कर इस समस्या को हल करें। दोनों सम्प्रदाय आपका विश्वास कर रहे हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूं देहलवी जी से कि इसमें भी हमारी साजिश रही है, हमारी कांग्रेस की साजिश रही है? जो भी घटनाएं घट रही हैं, आप यह कह कर कि कांग्रेस की साजिश है, समस्या को टाल नहीं सकते। आप मुझे मना कर सकते हैं। आपकी आदत है हर बात कांग्रेस के खिलाफ कहने की। लेकिन भाई देहलवी साहब, आप अपने दल के लोगों के मनोभावों को पहचानें कि क्या वह कह रहे हैं। इसकी तरफ जरा देखें। मेरी साजिश से वह कह रहे हैं, तो मैं मानूंगा कि फिर आपका प्रशासन चौपट हो गया है। अगर ऐसा है तो मैं पूछना चाहूंगा कि यहां पर फिर आपको बैठने का क्या अधिकार रह गया है। आप इन कुर्सियों पर क्यों जमे हैं। मैं कठोर बात कहने का आदी नहीं हूं। लोग आपकी बौखलाहट को पहचानते हैं कि आपका शासन हिल रहा है। आपके खंभे डगमगा रहे हैं। आपके दल के लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आज अखबार में है। चौधरी साहब के आगमन पर छपा हुआ है। चौधरी साहब आज लखनऊ में आये हुए हैं मुख्य मंत्री का चुनाव करने के लिए। यह भी मेरी साजिश के कारण होगा। क्या यह भी साजिश हम लोगों की है?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य, ज्यादातर जो समाचार-पत्रों में दिया होता है, उसको कोई मान्यता नहीं देते।

श्री राज किशोर तिवारी--

मान्यवर, समाचार-पत्रों में जो अभिव्यक्ति होती है, जो टिप्पणियां होती हैं वह जन-मानस और जनता के भावों की प्रतीक होती हैं। आज आप सारे देश और प्रदेश के अखबारों को देखें उसमें टिप्पणियां और अग्रलेख देखें। सारे देश के लोग आपके शासन को चाहे वहां का शासन हो चाहे यहां का शासन हो, भर्त्सना कर रहे हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जनता पार्टी के शासन के विरुद्ध आज सारे प्रबुद्ध वर्ग के लोगों में, चाहे वकील हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे पढ़े-लिखे लोग हों, आप उन प्रस्तावों को देखें जिसमें आपकी सरकार की भर्त्सना हो रही है, श्रीमती इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के संबंध में। आप देखें आपका दमन-चक्र काम नहीं कर रहा है। सारे प्रदेश में धारा १४४ लागू करके १२ हजार कांग्रेसियों को जेलखाने में बन्द कर दिया गया है। जो नौजवान हैं, जो पत्रकार कहते हैं, अगर वही बात नौजवान कहने जाते हैं, युवक कहने जाते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी आपने गैर कानूनी की है, यह कहने के लिए युवक वर्ग जाता है तो कानपुर में, लखनऊ में, वाराणसी में, इलाहाबाद में, डंडों से उनके सर फोड़ दिए जाते हैं और हाथ तोड़ दिए जाते हैं और आप यहां बैठे-बैठे लोकतंत्र की दुहाई दिया करते हैं। आपका लोकतंत्र तो केवल कल्पना है, जिनकी आपने उम्मीदें बंधाई और एक नक्शा उनके सामने खींचकर उनको बहुत

कुछ देने की बात कही, आपने उनकी साजिश से चुनाव जीता। आज वही लोग आपके खिलाफ बगावत की झंडी लेकर खड़े हैं इसका क्या कारण है आप बताये ?

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय १ मिनट रह गया है।

श्री राज किशोर तिवारी--

मान्यवर, एक बात और कहूंगा। आप देखें, गुंडागीरी, डकैती किस तरह से हमारे प्रदेश में बढ़ती जा रही है। इसी लखनऊ में सदन के आस-पास में क्या-क्या हो रहा है। अभी परसों या नरसों की एक घटना है। गौतम पल्ली में एक महिला का पर्स छीन लिया गया, गले से जिंजीर छीन ले गए। मैंने तो केवल यह एक मिसाल दी है। सारे प्रदेश में ऐसी घटनायें हो रही हैं।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त।

श्री राज किशोर तिवारी--

मान्यवर, एक मिनट और चाहूंगा। ३० सितम्बर की बात है। एक दर्दनाक घटना के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा। केशव प्रसाद मिश्रा नाम के एक नौजवान को, जो बड़ियाहूं जिला जौनपुर के तेलहूपुर गांव का था, गुंडे ट्रैक्टर पर बैठ कर आये, कट्टा और छूरे से लैस होकर गांव में आये और लड़के को मारते हुए घसीट ले गए। उसको सार्वजनिक स्थान पर विद्यालय के पास पीटा गया।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री राज किशोर तिवारी--

तो मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह की जो दर्दनाक घटना घटी है उसकी जांच कर उचित कार्यवाही करें।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने सामान्य प्रशासन सम्बन्धी जो बजट प्रस्तुत किया है उसके समर्थन के लिए तथा विपक्ष ने जो कटौती प्रस्ताव पेश किया है उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, जो बजट प्रस्तुत किया गया है यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि विपक्ष द्वारा

[श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी]

इस पर कोई भी कटौती प्रस्ताव पेश नहीं किया जाना चाहिये था और इसका उन्हें समर्थन करना चाहिये था। यह सही था कि वह अपने सुझाव इस पर देते। यह उनकी स्वस्थ परम्परा होती। लेकिन केवल विरोध के लिए विरोध करना यह सही प्रतीत नहीं होता।

जहां तक सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि जनता पार्टी ने जिस स्वच्छ प्रशासन का जनता को आश्वासन दिया है, उस पर चलने के लिए वह पूरी तरह कटिबद्ध है और वह अलोकतंत्रीय ढंग से शासन करने वाली सरकार ने जो विरासत में भ्रष्टाचार दिया है उसको समाप्त करने के लिए कटिबद्ध है। यह सही है कि कोई जादुई छड़ी नहीं है कि एक दिन में हमारे प्रशासन में जो शिथिलता है, भ्रष्टाचार व्याप्त है वह समाप्त हो जाय। लेकिन जनता सरकार ने जो जनता से वायदे किए हैं, उन पर वह चलेगी और स्वच्छता लायेगी। इसके लिए उसने जो अपनी नीतियां निर्धारित की हैं वह बड़ी स्पष्ट हैं। भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए प्रभावी कार्यवाही की जा रही है और इस सम्बन्ध में जिला स्तर पर उन्होंने सतर्कता अधिष्ठान की नियुक्ति की है। यह सही है कि यह बड़ा सराहनीय कदम है लेकिन सरकार को मैं सुझाव देना चाहूंगा कि आपने भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए जिला स्तर पर जो सतर्कता अधिष्ठान नियुक्त किए हैं, उसमें आपने एक कमी रखी है और वह यह कि जिला अधिकारी के नियंत्रणाधीन कार्य करने के लिए सतर्कता अधिष्ठान है जिसमें पुलिस निरीक्षक एवं एक कांसटेबिल नियुक्त करने की व्यवस्था की जा रही है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। यदि कोई भी जिलाधिकारी भ्रष्टाचार करता है तो निश्चित है कि सतर्कता अधिष्ठान आपको निश्चित सूचना नहीं दे सकेगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के अधीनस्थ यह विभाग न रखा जाय। उसको स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाय ताकि जिलों की स्थिति से शासन को वह परिचित करा सकें।

श्रीमन्, इसमें होमगार्ड के सम्बन्ध में जो कहा गया है उसमें मैं समझता हूं कि होम गार्ड को महज एक अपने प्रदेश की रक्षा में सहायक न मानकर उसको ऐसा बना दिया गया है कि जैसे वह कांस्टेबिल और चौकीदार की नौकरी के लिए नियुक्त किया गया है। होमगार्ड की जो स्थिति है उसको यदि देखा जाय तो आप पायेंगे कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है। उनसे घरेलू कार्य लिया जाता है। वैसे तो पुलिस में जो छोटे कर्मचारी हैं, उनसे भी वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी कैसा व्यवहार करते हैं और उनसे घरेलू काम लेते हैं। इस प्रथा पर भी अंकुश लगाना नितान्त आवश्यक है। जो वर्तमान स्थिति है वह बहुत असन्तोषजनक है। मैं उन्नाव जिले की हालत बतला रहा हूं। वहां प्रतिदिन दो हत्याओं का एवरेज आता है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि जिस दिन दो पोस्टमार्टम न होते हों। शासन से इस जिले को क्रिमिनल जिला घोषित करने की मांग की गयी थी। मुझे जानकारी नहीं है कि वह क्रिमिनल जिला घोषित किया गया या नहीं किया गया लेकिन अगर १ अप्रैल से ३० सितम्बर तक के आंकड़े मंगाये जायं तो स्पष्ट होगा कि वहां क्राइम की स्थिति बढ़ी है। सरे आम दिन दहाड़े उन्नाव में दो हत्याएं हुईं और अपराधी भाग गए। यह कलंक की बात है, जनता पार्टी के लिए लज्जा की बात है। इसमें सरकार का दोष नहीं है, उन अधिकारियों का दोष है जो जनता पार्टी के चित्र को धूमिल करना चाहते हैं और इस पर उतारू हैं। विपक्ष को यह कहने का अवसर मिलता है कि अपराध बढ़े हैं। वैसे यह बात भी बड़ी साफ है कि ये अपने १९ महीने के कार्यकाल को देखें जब

लोकतंत्र को कैद करके डाल दिया था। गरीब जनता के ऊपर बर्बर अत्याचार किए थे और जनता का मुंह बन्द कर दिया था। उस समय यह कहां सो रहे थे? आज यह निर्भयता की बात करते हैं लेकिन उस समय इन्होंने इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ विद्रोह क्यों नहीं किया और क्यों नहीं जेलों को भर दिया? उस समय यह क्यों मौन रहे? उस समय तो यह केवल उनका यशोगान ही करते रहे। यहां, प्रशासन में शिथिलता है लेकिन वह दूर होगी और जो भ्रष्टाचार बढ़े हैं उनको दूर करने का प्रयास जनता पार्टी की सरकार करेगी। यह कह कर संतोष कर लेना काफी नहीं है कि अभी हमें ३ महीने हुए हैं। यह सही है कि कम समय मिला है और पिछली सरकार ने इतना अधिक भ्रष्टाचार बढ़ा दिया था क्योंकि इन्दिरा गांधी की नीति थी कि 'करप्ट एन्ड रूल'। इतने बड़े पैमाने पर व्याप्त भ्रष्टाचार को एक दिन में समाप्त नहीं किया जा सकता लेकिन इतनी लम्बी प्रतीक्षा करना भी ठीक नहीं है क्योंकि कहावत है 'काल करे सो आज कर आज करे सो अब, पल में प्रलय होयगी बहुरि करेगा कब'। इसलिए हमें शीघ्र ही कुछ करके दिखा देना है।

एक बात सूचना एवं प्रचार के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। हमारा प्रचार–तंत्र बहुत ही ढीला है। इसके पुनर्गठन की नितांत आवश्यकता है। हमारे प्रदेश में ६७ दैनिक समाचार–पत्र और २३१ समाचार–पत्र ऐसे हैं, जिनको शासन सुविधाएं प्रदान करता है। लेकिन यह बहुत कम हैं। यह तो पूर्ववर्ती सरकार ने जो यशोगान करने वाले समाचार–पत्र थे उनको सहायता दी थी और उन्हीं को अंकित कर दिया गया है। इसका पुनः सर्वेक्षण कराया जाय कि ऐसे कौन से समाचार–पत्र हैं जिन्होंने अलोकतांत्रिक कार्यों को ही लिखा है और ऐसे कौन से समाचार–पत्र हैं, जिन्होंने लोकतान्त्रिक कार्यों को लेकर उसको मजबूत बनाने में कार्य किया है। मैं कहना चाहता हूं कि, मान्यवर, छोटे–छोटे समाचार–पत्र बड़े महत्व के हैं। जिला स्तर पर निकलने वाले समाचार–पत्र या जो साधारण समाचार–पत्र हैं, उनको आपको आगे बढ़ाना चाहिए था। उनकी ज्यादा समस्यायें हैं, उनकी उपेक्षा न करें। उनको सुविधायें प्रदान करें उनको वही सुविधाएं प्राप्त करायें जो राजधानी के पत्रकारों को प्रदान करते हैं, क्योंकि वे आपके महत्वपूर्ण अंग हैं। उन पत्रकारों को वही सुविधायें प्रदान की जानी चाहिए।

श्री अब्दुल हलीम खां (जिला मेरठ)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे शिरकत करने का मौका दिया। यह बात सही है कि आज मुझे पहली बार इस माननीय सदन में बोलने का मौका मिल रहा है। लेकिन यह भी सही है कि हम जिनके लिए बोलना चाहते हैं, वे हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं। उनको शायद सुनने की फुरसत नहीं है। यह भी बदकिस्मती है कि जिनके बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, वह इस समय गैरमौजूद हैं। लेकिन इस उम्मीद से कि कोई इनको लिख रहा होगा और उन तक इसको पहुंचा देगा, मैं इस माननीय सदन के सामने चन्द सुझाव रखना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

आप बोलिये, मंत्री जी बैठे हुए।

श्री अब्दुल हलीम खां--

मान्यवर, जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में २/३ बातें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर अगर विचार करें और उनके हल करने का कोई तरीका निकालें तो मेरा ख्याल है कि उससे ऐडमिनिस्ट्रेशन की हालत सुधर सकती है। उनमें से एक बात यह है कि हमारे बहुत से डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनमें ७/७ और ८/८ साल तक एडहाक अरेन्जमेंट रहता है और वहां के कर्मचारियों को परमानेंट नहीं किया जाता। उसका नतीजा यह होता है कि उनको डिसेटिसफैक्शन होता है और इस उम्मीद में कि कभी उनका भी नम्बर परमानेंट के लिए आयेगा, वे रोज झगड़े खड़े करते रहते हैं। अगर इस सम्बन्ध में सरकार इस तरह की नीति बनायें कि उस डिपार्टमेंट के उन कर्मचारियों को जिनके ऐडहाक तरीके से तीन साल तक काम करने का मौका मिला है, परमानेंट कर दिया जायेगा, तो बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जायेगा।

इसी के साथ एक और बात की गुजारिश करना चाहता हूं कि जहां तक मुझे जानकारी है, पब्लिक सर्विस कमीशन में जब पुलिस फोर्स का या दूसरी सर्विसेस का सेलेक्शन होता है, तो पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जिनके ज्यादा नम्बर हैं उनको पब्लिक सर्विस कमीशन पी० सी० एस० में भेज देता है, जिनके कम नम्बर हैं उनको पुलिस फोर्स में भेज देता है और जिनके उनसे कम नम्बर होते हैं एलाइड सर्विसेज में भेज देता है। नतीजा क्या होता है कि जो पी० सी० एस० में होते हैं उनको बीस-बीस साल, पच्चीस-पच्चीस साल तक का इन्तजार करना पड़ता है, उनको कोई तरक्की का मौका नहीं मिल पाता। पुलिस फोर्स में जो लोग जाते हैं उनको थोड़े समय में, आठ-दस साल में ही डी० आई० जी०, एस० एस० पी० का रैंक मिल जाता है। वे लोग जो ज्यादा काबिल हैं, जिनको ज्यादा तरक्की मिलनी चाहिए थी उनको मौका नहीं मिल पाता लेकिन उनको मिलता है जिनको किसी वजह से वह हक नहीं है। इस तरीके से नम्बर के आधार पर पी० सी० एस० और पुलिस फोर्स में पब्लिक सर्विस कमीशन भेज देता है तो उनकी तरक्की के लिए कोई और तरीका निकालना होगा जिससे लोगों में असंतोष न बढ़े।

इसी सिलसिले में यह बात भी कहना चाहता हूं कि पुलिस का जिस तरह का इन्तजाम हमारे इस जमाने में है उसमें जब तक इस बात की तरमीम नहीं की जायगी कि इनवेस्टिगेशन करने वाले लोग बिलकुल अलग होंगे, जो लोग प्रोस्यूक्यूशन से ताल्लुक रखते हैं, मुकदमा अदालत में लड़ते हैं वे बिलकुल अलग होंगे तब तक इसमें सुधार की कोई आशा नहीं है।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं सेलेक्शन ग्रेड के सिलसिले में। इस वक्त ६२ जगहें खाली हैं। क्यों हैं, कैसे हैं, किसकी गलती से हैं, यह तो मैं नहीं जानता। इतना मैं कहना चाहता हूं कि जिनको तरक्की करने के बाद जगह मिलनी चाहिए थी उनको ६२ में से ६ जगहें मिली हैं और ५६ जगहें खाली हैं। इससे इस बात का अन्दाजा होता है कि सेक्रिटेरियट के अंदर भी इस तरह का तबका, वेटेड इन्ट्रेस्ट है, जो उन लोगों को जिन्हें तरक्की मिलनी चाहिए थी उनको तरक्की से रोकने के लिए कोई न कोई मुश्किल खड़ा करता है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना बहुत आवश्यक है।

अनुदान संख्या २१—पुलिस, अनुदान संख्या ३—मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या ५—निर्वाचन, अनुदान संख्या १८—सचिवालय अनुदान संख्या १९—जिला प्रशासन, अनुदान संख्या २५—अन्य प्रशासनिक सेवाएं, अनुदान संख्या ३६—सूचना तथा प्रचार, अनुदान संख्या ३९—अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी कार्यक्रम, अनुदान संख्या ९४—अन्य सामाजिक सामुदायि तथासेवाएं तथा अनुदान संख्या ४४—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

हमारी सरकार ने पार्टी के आधार पर एक पर्चा हमको भेजा है कि ३१ अगस्त के बाद किसी के तबादले की सिफारिश न की जाय। यह तो अलग बात है कि खुद उससे पहले किसी ने कोई सिफारिश की हो या न की हो। बहरहाल पार्टी का सदस्य होने के नाते एक पर्चा मुझको भी मिला जिसमें कहा गया कि ३१ अगस्त के बाद कोई विधान सभा का सदस्य किसी तबादले की सिफारिश नहीं करेगा। मैं तो इस बात को मानने वाला हूं कि तबादले के सिलसिले में किसी वक्त कोई सिफारिश न की जाय लेकिन मुझे विश्वास नहीं आता कि ३१ अगस्त के बाद तबादले नहीं हुए। सरकार की इस सिलसिले में साफ नीति होनी चाहिए। साफ-साफ उसको एक पालिसी बनानी चाहिए। तबादले करने के सिलसिले में क्या नीति रखनी चाहिए। मैं इस बात को मानने वाला हूं और ऐसा होना चाहिए कि कर्मचारी को तीन साल, पांच साल एक जगह पर, एक ब्लाक में, तहसील स्तर पर हैं, काम करने का मौका देना चाहिए। उनको टाइम बाउन्ड प्रोग्राम दिया जाना चाहिए कि तीन साल में, पांच साल में उनको इतना काम करना चाहिए। अगर वह काम पूरा नहीं होगा तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए तबादला कोई सजा नहीं है। तबादले हमेशा इस तरह होते हैं कि हम किसी में दिलचस्पी रखने वाले आदमी को किसी अच्छी आमदनी की जगह पर पोस्ट करवाना चाहते हैं इसलिए तबादले में दिलचस्पी लेते हैं। यदि किसी की शिकायत पर उस आदमी को दूसरी जगह भेजा जाय तो वह वहां भी अच्छा नहीं हो सकता है। लखनऊ के कलेक्टर का इन्तजाम सही न रखने के कारण गोरखपुर तबादला हो जाय तो वह वहां भी इन्तजाम अच्छा नहीं रखेंगे। इसलिए यदि किसी की शिकायत हो तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

एक और बात पब्लिक सर्विस कमीशन के डिसेन्ट्रालाइजेशन के बारे में कहना चाहता हूं। बहुत से फैसले पब्लिक सर्विस कमीशन में आठ-आठ, दस-दस साल से पड़े हुए हैं। सरकार कोई ऐसा तरीका निकाले कि जो नान गजेटेड स्टाफ हैं उनके लिए कोई और ऐसा कमीशन मुकर्रर करे जो समय के अंदर उनकी तरक्की के सिलसिले में उनकी जरूरतों को पूरा कर सके। इससे पब्लिक सर्विस कमीशन का जो काम बढ़ गया है वह भी कम हो जायगा और जो लोग इस कारण परेशान होते हैं कि उनके फैसलों में इतना समय लग गया उनकी परेशानी भी दूर हो जायगी।

मैं पुलिस के सिलसिले में दो तीन बातें इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। इस मुहकमे की तारीफ अथवा आलोचना पर मैं सदन का वक्त नहीं लेना चाहता। जहां तक मेरी निजी जानकारी है इस मुल्क के संविधान में अकलियत को जहां तक नमाज पढ़ने का ताल्लुक है मस्जिद बनाने का अख्तियार है। डेढ़ महीने इस सदन को चलते हो गए। यहां बहुत से मजालिम, जुर्म व अत्याचारों की चर्चा हुई

[श्री अब्दुल हलीम खां--]

अपोजीशन की तरफ से और जनता पार्टी की तरफ से भी लेकिन किसी ने भी इस बावत इस सदन में जिक्र नहीं किया। इस मुल्क में जो यह एक दूसरा तबका रहता है उसने सामने बैठे हुए आदमियों को तीस साल तक गुलामों की तरह वोट दिया लेकिन उसने उन पर जो जुल्म किए जनता पार्टी का भी इरादा उनमें कोई कमी करने का नहीं मालूम होता है। संविधान में हमको यह अख्तियार मिला जहां मस्जिद बनाना चाहते हैं बना सकते हैं लेकिन मेरठ के अन्दर जहां का मैं रहने वाला हूं ग्राम बचोली में मुसलमान ढाई साल से मस्जिद बनाना चाहते हैं वहां ए० डी० एम० ने मुआयना किया और जाकर देखा और अंजाम उसका यह मिला कि ३०, ४० अथवा ५० आदमियों पर दफा ११६ के मातहत अदालत में मुकदमा कायम कर दिया। पहले इसको दफा १०७/११७ कहते थे। अब उसमें तरमीम हो गई है। आप मालूम कराइये तो पता चलेगा कि वहां किसी फसाद का अन्देशा नहीं था। बिजली के मुताल्लिक कितनी अजीब बात है कि वहां के रहने वाले सैकड़ों हिन्दुओं ने दस्तखत किए कि मस्जिद बनाने में उनको कोई एतराज नहीं है लेकिन उसके बावजूद सैकड़ों आदमियों पर ११६ यानी १०७/११७ के मातहत मुकदमा कायम कर दिया गया।

इससे भी ज्यादा सदन को यह जानकर ताज्जुब होगा कि मेरठ के अन्तर्गत थाना देहलीगेट में क्या जुल्म ढाया गया। अंग्रेजों का जुल्म मशहूर है जैसे जलियानवालाबाग का कांड लेकिन इस माननीय सदन को यह सुनकर अजीब बात मालूम होगी कि थाना हेलीगेट में क्या-क्या जुल्म किए गए। एक मुलजिम के मुंह में दूसरे मुलजिम से पचासियों आदमी के सामने पेशाब कराया गया। उस जमाने के कलेक्टर और होम-मिनिस्टर के सामने जब यह मामला रखा गया तो होम मिनिस्टर ने उस पर कुछ नहीं किया। कलेक्टर ने सी० एम० को इंक्वायरी करने का आर्डर दिया। उस सरकार को खत्म हुए ६ महीने हो गये, नई सरकार को बने हुए ३ महीने हो गये, लेकिन उस थानेदार तथा उस थाने के अमले के खिलाफ, जिसने यह हरकत की, कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि यह बात अपनी जगह सही है कि पुलिस इस बात के लिए जिम्मेदार है कि वह हमारी रक्षा और हिफाजत करे। लेकिन एक बात मैं खासतौर से मौजूदा सरकार से कहना चाहता हूं कि एमरजेंसी के जमाने में मुजालिम हुए लेकिन जनता इससे राजी होने वाली सही है कि एमरजेंसी में हुए मुजालिम का रोज जिक्र किया जाय लेकिन आज जो लोग चाहे रेल में सफर करते हों, बस में सफर करते हों, घरों में रहते हों, सड़कों पर चलते हों वह इस बात को भी देखेंगे कि उनकी जान व माल महफूज है और यह पुलिस उनकी रक्षा कर सकती है या नहीं। जनता यह नहीं देखेगी कि कांग्रेस के खिलाफ निगेटिव वोट पर हमको जिता दिया और हम यहां आकर बैठ गए और न यह देखेगी कि इस सदन में आकर लोगों ने पिछड़े हुए लोगों, हरिजनों, गरीब किसानों व मजदूरों पर हुए जुल्मों पर कितने भाषण दिए बल्कि वह हमारे पाजिटिव वर्क को देखकर हमारा साथ देगी। जब कोई सरकार में बैठता है तो उसका अन्दाज बदल जाता है। मुझे कोई शिकायत नहीं है कि मौजूदा मिनिस्टर्स का भी यहां बैठने पर अन्दाज बदल गया। आपने सुर्ख बत्ती दिखला दी इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

धन्यवाद

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ। आप लोग (कई सदस्यों के खड़े होने पर) बैठें मैंने जगन्नाथ प्रसाद जी को बुलाया है।

अनुदान संख्या—२१पुलिस, अनुदान संख्या ३—मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या, ५—निर्वचान, अनुदान संख्या १८—सचिवालय, अनुदान संख्या १९—जिला प्रशासन, अनुदान संख्या २५—अन्य प्रशासनिक सेवाएं, अनुदान संख्या ३६—सूचना तथा प्रचार, अनुदान संख्या ३९—अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी कर्यक्रम, अनुदान संख्या ४१—अन्य सामाजिक तथा सा सामुदायिक सेवाएं तथा अनुदान संख्या 44—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं ।

*श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—

मानवीय अधिष्ठाता महोदय, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने पेश है। कल से इस पर बहस हो रही है पिछले वर्षों में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक दिन और पुलिस के लिए दो दिन मिला करते थे लेकिन यह बड़ी आपत्तिजनक बात है कि इस वर्ष दो ही दिन दो महत्वपूर्ण विभागों के लिए रखे गए हैं जिसके लिए विरोधी दल को खास आपत्ति है ।

मान्यवर, जनता सरकार कांग्रेस की खराबी की वजह से शासन में पदारूढ़ हुई । जो समस्यायें आज जनता के सामने हैं बेरोजगारी, महंगाई और अत्याचार की उसको दूर करने के लिए उसे पदारूढ़ किया लेकिन इन्होंने पूरी अपनी शक्ति विरोधियों का दमन करने में लगाई । मेरी सलाह है कि इन्हें अपनी शक्ति को देश का निर्माण करने के लिए लगाना चाहिए। कांग्रेस ने जो कुछ किया था उसके लिए उनको आसमान से उतार कर नीचे जनता ने गिरा दिया, काफी सजा उनको मिल चुकी है अब आपको जनता की समस्यायें सुलझानी हैं जिसके लिए आपको चुनकर भेजा है और आपसे वह अपेक्षा करती है कि आप कठिनाई दूर करेंगे । उसमें अपनी शक्ति आपको लगानी चाहिए। लेकिन वह आप नहीं लगा रहे हैं । बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, प्रदेश के अंदर अत्याचार बढ़ रहे हैं । जो मंत्रिमंडल यहां बैठा है उसको मेरी नेक सलाह है कि यह अपनी शक्ति को निर्माण कार्य में लगाए जिससे जनता के ऊपर अच्छा असर पड़ सके । मान्यवर, हमारे मंत्रिमंडल को इस काम के लिए मौका ही नहीं मिलता है कि वह निर्माण के कार्यों को देख सके । उसके अंदर जो घटक हैं वह उनको संभालने में ही जुटे हुए हैं और वह संभल नहीं रहे हैं । यह बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं बल्कि उन्हीं की पार्टी के नेता श्री बलराजमधोक ने जो भाषण गोरखपुर में दिया उसको पढ़ रहा हूं, उनका कहना है—एक विशेष परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए जनता के दबाव के कारण इसमें सम्मिलित दलों के नेता नकारात्मक आधार पर एकत्रित हुए थे आवश्यकता थी कि इस नकारात्मक आधार की जगह एकात्मक व वैचारिक आधार देने के कार्य को प्राथमिकता दी जाय, परन्तु हुआ इसके उल्टा। विभिन्न घटकों के नेताओं का अलगाव बनाए रखने में एक निहित स्वार्थ पैदा हो गया है । कोटा प्रणाली के बल पर वे अपने-अपने चाटुकारों को संगठित व शासन में स्थान दिलाने और अपना नेतृत्व बनाय रखने में होड़ लगाए हैं ।

तो मान्यवर, हमारे मंत्रिमंडल के जो लोग यहां बैठे हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि प्रदेश के निर्माण के लिए, १० करोड़ जनता के कल्याण के लिए अपने काम में संगठित होकर कार्य करें। यह मैं कोई बुरी भावना से नहीं कह रहा हूं। यह प्रदेश के हित की बात है। जो दो पुस्तकें पेश की गई हैं उनमें इनके कार्यों का मूल्यांकन नहीं है। हमारे मंत्री या माननीय वित्त मंत्री जी जो कल यहां मौजूद थे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जगन्नाथ प्रसाद--]

उनको अपनी नीतियों की यहां पर घोषणा करनी चाहिये थी कि हमारा प्रशासन किस दिशा में जाएगा। एक बात घोषणा-पत्र में उन्होंने कही कि हम प्रदेश को स्वच्छ प्रशासन देंगे, लेकिन स्वच्छ करने के लिए व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, प्रदेश में कमजोर और गरीब लोगों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको दूर करने के लिए मशीनरी में जो भ्रष्टाचार है, उसको दूर करने के लिए क्या दिशा वह देंगे, क्या चीजें अमल में लाएंगे उस तरफ उनका कोई भाषण नहीं हुआ। जिस पर इस तरफ बैठे हुए माननीय सदस्य विचार करते और अपने-अपने सुझाव देते। यह बात पहली बार यहां हुई कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बीमारी के कारण यहां स्वयं उपस्थित नहीं हैं और उनकी तरफ से जो भाषण वित्त मंत्री जी के द्वारा दिया गया, उसमें एक बात केवल की गई, कि कांग्रेस की 30 साल की सड़न। उसके अलावा कोई भी उनकी बात यहां नहीं हुई। मान्यवर, हमारा प्रशासनिक ढांचा, जिसमें मंत्रि परिषद् के बैठे हुए सदस्य और लखनऊ से लेकर जिला हेड क्वार्टर्स पर बैठे हुए डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर और यहां के बैठे हुए कमिश्नर सब इसमें आते हैं, यह एक बहुत बड़ा ढांचा है। प्रशासनिक सुधार की जिसकी हम अपेक्षा करते थे सरकार से उसके सुधार के लिए कोई उन्होंने एलान नहीं किया। तहसीलदार हेडक्वार्टर पर परगनाधिकारी को जाना होता है हफ्ते में दो बार। इसमें जीप का उपयोग होता है। इसके स्थान पर आपको चाहिए तहसील हेडक्वार्टर पर एस० डी० एम० का रखना, यह आप अवश्य करें और वहां उनके आवास के लिए व्यवस्था करें, ताकि जो प्रदेश का पेट्रोल पर रुपया खर्च होता है, वह खर्च बच सके। प्रदेश की जनता कर देती है। (लाल बत्ती होने पर) अभी तो हमें और समय दीजिए। मान्यवर, सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

एक बात मैं पुलिस प्रशासन के बारे में कहना चाहता हूं जिला हेडक्वार्टर से जो दूर थाने हैं, उन पर अधिकारियों का अच्छी तरह से नियन्त्रण नहीं होता है और वहां के पुलिस कर्मचारी मनमानी करते हैं दूर होने के कारण। मिसाल के तौर पर मैं दो थानों का हवाला देना चाहता हूं। एक जिला बहराइच में मोतीपुर का थाना है, जिसमें आए दिन पुलिस अधिकारियों की सहायता से वहां के बड़े लोग, छोटे लोगों और हरिजनों पर अत्याचार किया करते हैं। मेरे सामने अभी दो-तीन वारदात आए हैं वह दरख्वास्तें हमने जांच के लिए विशेष जांच अधिकारी के पास भेज दी हैं। उसी तरह से सीतापुर जिले में थाना तम्बौर है, जो तहसील लखीमपुर से मिला हुआ है, वहां जुलाई-अगस्त में वर्गों के बीच झगड़े हुए, जिसमें तम्बौर पुलिस ने ६० आदमियों को धारा ५१ में पकड़कर जेल भेज दिया। इस पर मैंने अधिकारियों से कहा, उन्होंने सुना, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। लेकिन उनकी तरफ से अत्याचार हुए, तो मेरा कहना यह है कि दूरस्थ थानों पर अधिक नियन्त्रण की आवश्यकता है। मैं एक चीज और आपके जरिये से कहना चाहता हूं...।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप बैठ जाइये। आप काफी समय ले चुके हैं।

(अनेक लोगों द्वारा समय देने का आग्रह करने पर) बैठिए सबको मौका मिलेगा, देर है अन्धेर नहीं।

(व्यवधान)

अनुदान संख्या २१—पुलिस, अनुदान संख्या ३,—मंत्रि परिषद्–अनुदान संख्या, ५—निर्वाचन, अनुदान संख्या १८—सचिवालय, अनुदान संख्या, १९—जिला प्रशासन, अनुदान संख्या २५—अन्य प्रशासनिक सेवाएं, अनुदान संख्या ३६—सूचना तथा प्रचार, अनुदान संख्या ३९—अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी कार्यक्रम, अनुदान संख्या ४१—अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं तथा अनुदान संख्या ४४—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

*श्री नेत राम सिंह (जिला एटा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं, जो प्रशासन का बजट माननीय मंत्री द्वारा पेश किया गया है, उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, आज दूसरा दिन है इस बजट को इस सदन में। दोनों दिन शासन के अधिकारियों की कमियों और पुलिस की कमियों की बात चली है। यह सत्य है कि कुछ थोड़े से अधिकारी उस प्रकार के हैं। उसका उदाहरण स्वरूप मैं आपके सामने अपने जिले की एक कहानी की ओर ले जाना चाहता हूं। मेरे जिले में एक जिला अधिकारी थे जिनका नाम ओम पाठक है। वे इमरजेन्सी काल में केवल इसलिए भेजे गए थे कि बड़े ती मार थे, लोगों को जबरदस्ती नसबन्दी कराकर उत्तर प्रदेश में अपना स्थान प्राप्त किया। जब प्रदेश में शासन बदला तो वे वहीं पर बने रहे। ऊपर से तो वह बदल गये लेकिन भीतर से नहीं बदले। १५ अगस्त को घंटाघर पर झंडे फहराने का सवाल आया। उन्होंने अपनी मर्जी से केवल कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए आदेश पास कर दिया और जनता पार्टी को शामिल कर दिया जब कि जनता पार्टी ने मेरी तरफ से उस सार्वजनिक स्थान पर झंडा लगाने के लिए कहा गया था। केवल एक ही राज था कि वे कांग्रेस का झंडा लगवाना चाहते थे। उसके बाद मैंने स्वयं १४ तारीख को डिस्ट्रिक्ट जज के यहां पेटीशन करके स्टे ले लिया और कांग्रेस वालों के उस मामले को बढ़ाया। उन्होंने उसका रिट हाईकोर्ट में किया। हाई कोर्ट से रिट ३० तारीख को खारिज हो गयी। हमारे माननीय मिश्र जी इस सदन में भाषण कर रहे थे तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी। मैं मिश्र जी से निवेदन करूंगा कि जो प्रतिज्ञा उन्होंने की उससे कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी अवहेलना कर रहे थे। ५ अगस्त, १९६५ को इस सदन में माननीया सुचेता कृपलानी ने एक प्रश्न के उत्तर में जो कहा था उसमें स्पष्ट रूप से यह कहा था कि घंटाघर पर किसी परिस्थिति में कांग्रेस का झंडा नहीं लगेगा। और इसी संदर्भ में सरकार के आदेश भी जारी हो गये। मैं उसको पढ़ कर सुनना चाहता हूं। "जी हां, इस प्रकार की मांग कासगंज नगर की जनसंघ शाखा की ओर से की गयी थी और कुछ व्यक्ति इस सम्बन्ध में जिलाधीश एटा से मिले भी थे जहां तक कार्यवाही किये जाने का प्रश्न है जिलाधीश ने अनौपचारिक रूप से सम्बन्धित कांग्रेस नेताओं से बातचीत की और कासगंज की कांग्रेस कमेटी ने २५ जनवरी को यह प्रस्ताव पास किया कि २६ जनवरी को इस घंटाघर पर कांग्रेस पार्टी के झंडे के साथ–साथ राष्ट्रीय ध्वज को भी फहराने की व्यवस्था की जाय चूंकि यह पोल जिस पर कांग्रेस का झंडा फहराया जाता है ८० फीट ऊंचा है इस लिए यह आवश्यक समझा गया कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए पोल ८० फीट से अधिक ऊंचा होना चाहिए।" कांग्रेस कमेटी की तरफ से अध्यक्ष, नगरपालिका से प्रार्थना की गयी कि वह तुरन्त लगभग ८५ फीट लम्बे बांस (पोल) का प्रबन्ध कर दें किन्तु वह इसका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नेत राम सिंह—]

प्रबन्ध नहीं कर सके । इसलिए २६ जनवरी, १९६५ को सदा की भांति घंटाघर पर केवल कांग्रेस पार्टी का ही झंडा फहराया गया । सरकार का मत है कि सार्वजनिक इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज ही फहराया जाना चाहिए । जांच करने के उपरान्त यह पाया गया है कि घंटा घर एक सार्वजनिक इमारत है अतएव इस पर किसी अन्य पार्टी का ध्वज नहीं फहराया जाना चाहिए । जिलाधीश एटा से इस बात का ध्यान रखने के लिए कहा गया है कि भविष्य में इस घंटाघर पर कांग्रेस पार्टी का ध्वज नहीं फहराया जाना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्ति पर है ।

श्री नेत राम सिंह—

मैं इस विचार का हूं कि वहां पर कांग्रेस का झंडा नहीं फहराया जायेगा ।

अब मैं सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हूं । जैसा कि मैंने बतलाया कि हमारा जिला बहुत ही जरायम वाला जिला है । हमारे यहां पर एक इन्सपेक्टर हैं जिनका नाम तोता राम है उनकी भावनायें उसी कांग्रेसी जमाने की हैं उनमें कोई तबदीली नहीं आयी है । आपको पता होना चाहिए एटा उत्तर प्रदेश में जरायम और बदमाशों में पहला स्थान रखता है । मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे यहां जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मुशीर अहमद वह हिस्ट्री शीटर हैं, वे डकैत थे । इसी प्रकार से लूटरी सिंह है, वह एक्स एम० पी० है उन्होंने भी बहुत से जरायम किए हैं ।

श्री श्यामधर मिश्र—

आप बैठे हैं और एक व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है और कहा जाता है कि डकैत हैं । आप इस पर अपनी व्यवस्था दें ।

श्री अधिष्ठाता—

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । माननीय सदस्य अपने भाषण को जारी रखें ।

श्री नत राम सिंह—

माननीय मिश्र जी अगर आप सच्चे होते तो आज नारायण दत्त जी जेल में बन्द न होते । आज उनके साथ केवल वही कुछ कांग्रेसी लोग हैं, जनता उनके साथ नहीं है ।

श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)—

अधिष्ठाता महोदय, कल से जो सामान्य प्रशासन पर चर्चा इस सदन में हो रही है । हमारे विरोधी पक्ष के साथियों न जिस तरह से सामान्य प्रशासन पर कीचड़ उछालने की कोशिश की है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस विरोधी पक्ष के वे लोग चाहे वे सत्ता में रहे हों, ये उनके सहयोगी थे । संयोग से जो दो पुस्तिकायें सामान्य प्रशासन के विषय में दी गई हैं, इनमें जनता पार्टी ने अपने तीन महीनों के शासन में क्या-क्या काम किए हैं, उनको पढ़ने का मौका

अनुदान संख्या २१--पुलिस, अनुदान संख्या ३--मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या ५--निर्वाचन, अनुदान संख्या 18--सचिवालय, अनुदान संख्या १९--जिला प्रशासन, अनुदान संख्या २५--अन्य प्रशासनिक सेवाएं, अनुदान संख्या ३६--सूचना तथा प्रसार, अनुदान संख्या ३९-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, संबंधी कार्यक्रम अनुदान संख्या ४१--अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं तथा अनुदान संख्या ४४--अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं।

नहीं मिला है। इसमें जिन बातों का उल्लेख है वे उस जमाने की हैं जब आप सत्ता में थे। मैं कहना चाहूंगा कि हमारी जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में बैठे हुए, जो साथी हैं, मैं उनसे कहूंगा कि इन पुस्तिकाओं में जिस प्रकार से कांग्रेसी शासन के कार्यों का उल्लेख है वह कांग्रेसी जमाने के कार्यों का उल्लेख है, इस तरह से उनको नहीं पेश करना चाहिए था। होना यह चाहिए था कि आपने अनुभवों से फायदा उठा करके जनता पार्टी को सुझाव देते और इसे समृद्ध करते। उनकी मात्र आलोचनायें ही करके आप सदन का समय बेकार कर रहे हैं। यह बात सही है कि आज जब सदन चल रहा है तो हमारे विरोधी पक्ष के साथी यह महसूस करते होंगे कि विरोधी पक्ष की जो भूमिका है, उसको हमारी जनता पार्टी के विधायक कार्यान्वित कर रहे हैं। हम लोग जो जनता से वायदा करके आये हैं कि हम केरल सरकार के अच्छे कामों की प्रशंसा ही नहीं करेंगे बल्कि उसके गलत कदमों को भी हम इंगित करेंगे और ऐसा हमने किया भी है।

जहां तक प्रशासन की बात है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो परम्परायें तीस वर्षों से अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही हैं और हमें विरासत में मिली थी, वही आज भी चली आ रही हैं अतः हमें ऐसे जनरल प्रशासन को बदलना पड़ेगा।

इधर-तीन चार महीनों से जो गतिविधियां चल रही हैं, उनको देखते हुए ऐसा लगता है कि आज भी हमारे सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए उच्च स्तरों पर बैठे हुए जो अधिकारी हैं, उसी प्रकार का प्रशासन चलाना चाहते हैं जिस प्रकार से विगत ३० वर्षों से चलता आ रहा है। मैं उन्हें आगाह कर देना चाहता हूं कि जनता पार्टी के प्रतिनिधि जो आज सरकार में बैठे हुए हैं, उन्हें कानूनों के भ्रम-जाल बुन करके जनता की सेवाओं की तरफ वे जनता पार्टी के रुझान को नहीं मोड़ सकते। उस जनता पार्टी के लोग सजग हैं और उस प्रशासन को बदल डालने के लिए कटिबद्ध हैं।

हमारी जनता पार्टी के प्रतिनिधि जो आज ऊंची कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, उनकी जो भाषा इमर्जेन्सी के पहले थी उसमें परिवर्तन नहीं आना चाहिए। मिसाल के तौर पर पुलिस प्रशासन हमारे मुल्क पर आज एक कलंक का टीका बना हुआ है। लेकिन जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद जो हम उम्मीद करते थे, जिन मौलिक सुधारों की योजनाओं का लोक पक्ष में रह कर हम सुझाव दिया करते थे, उन सुझावों की तरफ काम करने का प्रयास होगा। लेकिन पुलिस प्रशासन में किसी प्रकार के सुझाव जो हमारे प्रशासनिक विशेषज्ञ, जिन्होंने इस रिपोर्ट को बनाया है, कहीं भी उन सुधारों एवं सुझावों की बात नहीं कही है। जनता को किस तरह से स्वच्छ प्रशासन देने के लिए सरकार काम कर रही है और भविष्य में क्या करने जा रही है इनका कोई पता नहीं है। आज जिस तरह से पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर उसी तरह से पुलिस प्रशासन को आप चलाना चाहते हैं तो जनता की सेवा करने का आपका

[श्री विक्रमा राय---]

जो संकल्प है, वह अधूरा ही रहेगा। लेकिन आज उस वर्ग के क्राइम करने वाले नहीं है बल्कि बहुत अच्छे-अच्छे घरानों के बच्चे, जो विश्वविद्यालयों से निकलते हैं, या उनके बच्चे जो ऊंची-ऊंची जगहों पर बैठे हैं, वे क्राइम में हिस्सा ले रहे हैं। आज हमारे पुलिस वाले भी अनुसन्धान करने में असफल हो रहे हैं। आज हर थानों पर नयी-नयी जुर्मों को ढूंढ़ निकालने के लिए नये-नये तरीके और साधन होने चाहिए। आज जिस तरह से क्राइम्स की संख्या बढ़ रही है उसको देखते हुए हमारे जो महत्व के थाने हैं, उन पर वेन का होना अत्यावश्यक है। अगर वहां पर वेन की व्यवस्था नहीं होगी तो वे लोग ला एण्ड आर्डर को मेनटेन नहीं कर सकते हैं। जितने भी हमारे विरोध पक्ष के लोग हैं वे जनता पार्टी में बैठे हुए हमारे साथियों पर ३ महीने से प्रशासन की दृष्टिकोण पर काफी हमला कर रहे हैं। यहां पर दुनिया के इतिहास के जानकारी भी बैठे हुए हैं। उन्हें मालूम है कि जब कभी भी सत्ता का परिवर्तन हुआ है तो उसके बाद जो पहली सरकार के पोषक लोग होते हैं वे नयी सत्ता वालों को प्रारम्भ में बदनाम करने की कोशिश किया करते हैं। रूस और चीन में जब इन्कलाब हुआ था वहां पर कोई जनतांत्रिक अधिकार नहीं थे पहले वहां की सरकार निरंकुश थी। फिर वहां की सरकार आगे बढ़ी और उन्होंने कोशिश की कि वे अपना काम अपने घोषणा-पत्र के अनुसार ही करें लेकिन उनके रास्ते में भी बाधा आई। आज यहां पर भी जनता पार्टी की जो सरकार है वह जो कदम उठा रही है, आप देखें कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आगे बढ़ रही है।

मैं मान्यवर, आपके माध्यम से अपनी सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि वह ब्युरोक्रेसी जो ३० साल से जनता का शोषण करके इस मुल्क में बैठी हुई थी और जो लोग ३० साल से सत्ता का उपभोग कर रहे थे आज वे जनता पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं ला एण्ड आर्डर के नाम पर, जनता में अविश्वास पैदा करना चाहते हैं और कहते फिरते हैं कि जनता पार्टी कानून और व्यवस्था स्थापित करने में असमर्थ रही है। लेकिन हमारे जो पुराने लोग हैं, इतिहास के जानने वाले हैं, उन्हें मालूम है कि जब भी सत्ता में परिवर्तन होता है तो नयी सरकार के सामने कुछ संकट आते हैं, लेकिन हमें उनका मजबूती से सामना करना चाहिए, कटिबद्ध होकर सामना करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी के लोग जो वायदा करके आये हैं, उनको वे पूरा करें। अगर ये कांग्रेस प्रशासन के लोगों की तरह से भ्रष्टाचार का उन्मूलन करते रहे तथा महात्मा गांधी का नाम लेकर नारा देते रहे तो जो हाल कांग्रेस का हुआ है, वही इनका भी होगा लेकिन अगर जनता पार्टी के लोग उससे आगाह रहे और प्रशासन पर उन्होंने सख्त निगाह रखी तो विरोध पक्ष को कुछ भी कहने का मौका नहीं मिलेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और प्रस्तुत मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, सामान्य प्रशासन और पुलिस प्रशासन के बारे में जो कटौती के प्रस्ताव रखे गये हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं।

मान्यवर, ये दोनों विभाग इतने महत्वपूर्ण विभाग हैं जिनके ऊपर बहुत ही ठंडे दिल से गम्भीरता के साथ विचार करने की आवश्यकता है। प्रशासन लुंज-पुंज क्यों होता है? इधर से भी और उधर से भी माननीय सदस्य इसकी

आलोचना कर रहे हैं। प्रशासन लुंज-पुंज तभी होता है जब कमजोर सरकार होती है। अगर मजबूत सरकार है, सरकार से मेरा मतलब मंत्रिमंडल से है, मंत्रिमंडल अगर मजबूत होगा, सक्षम होगा और उसके अन्दर निर्णय लेने की क्षमता होगी तो नीचे जो हमारे अधिकारी हैं, उसको लागू जो करते हैं वह ठीक से काम करेंगे। श्रीमन्, हम देख क्या रहे हैं, जब आप भाषण कर रहे थे तो श्रीमन्, आपने कहा कत्ल की घटनाओं का उदाहरण दिया, आज भी श्रीमन् अगर हम देखें तो सामान्य प्रशासन और पुलिस प्रशासन के ऊपर बहस हो रही है और सरकार एवं मालवीय जी अकेले हैं। कल दिघे जी का भाषण भी मैंने सुन लिया, आप भी सन्तुष्ट नहीं हैं। तो कितनी अक्षम है सरकार। कल भी हमने देखा और आज भी।

मैं एक बात बताना चाहता हूं। पिछले दिनों में जब सामान्य प्रशासन और पुलिस प्रशासन के ऊपर सन् ४६ से लेकर जब भी बहसें हुई हैं जितने बड़े-बड़े अफसर हैं, कमिश्नर रैंक के, सेक्रेटरी, टोप अफीसर्स, वह सब आकर गैलरी में बैठते थे और सामान्य प्रशासन और पुलिस प्रशासन की आलोचनाओं को और उसके बारे में सुझावों को नोट करते थे। आज इसका अभाव रहा है कल से। हमारे माननीय सदस्य चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों उनको सुनकर यह साफ-साफ जाहिर होता है कि प्रशासन में गिरावट आ रही है और जो पकड़ होनी चाहिए वह नहीं है।

(इस समय सदन में दर्शक दीर्घा से शासन पक्ष की ओर परचे गिराये गये और नारा लगाया इंदिरा गांधी, जिन्दाबाद। उस व्यक्ति को विधान सभा रक्षकों द्वारा बाहर ले जाया गया।)

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

शांत रहें।

श्री ऊदल--

पकड़ का अभाव आज देखने को मिल रहा है। शान्ति और व्यवस्था के बारे में ठंडे दिल से और गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। आज अगर हम एक-एक जिले की रिपोर्ट देखें कि कितने अपराध हो रहे हैं, उन को किसने करवाया, उसमें एक दूसरे के विरुद्ध शिकायतें हो सकती हैं, आप हमारे ऊपर लांछन लगा सकते हैं, हम आपके ऊपर। कुछ ऐसा हो सकता है अगर हम एक-एक जिले की हत्याओं की, चोरियों की, डकैतियों की, राहजनियों की उठा कर देखें। मेरे पास कानपुर के सितम्बर और अक्तूबर महीने की रिपोर्ट है, अखबारों की। इसमें कुछ गलती हो सकती है। तो आप इस बात को देखेंगे कि पुलिस प्रशासन आज सक्षम नहीं है और इतना ही नहीं, जो पुरानी परम्परा थी जिसका जिक्र अभी श्रीमन् आपने भाषण में किया था कि जो कुछ रिपोर्ट आती

[श्री ऊदल--]

है उत्तर देने के लिए उसी को यहां सदन में पढ़ कर बता दिया जाता है। क्या सही है, क्या गलत है, किसने गलती की उसको क्या दंड दिया जाय यह भी निर्णय लेने की क्षमता आज इस सरकार में नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले १० वर्षों में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा है और वह दोष है कांग्रेस का और कांग्रेस सरकार का। लेकिन मैं आपसे कहता हूं और नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, जनता पार्टी के सदस्यों से कि इन्होंने जो गड़बड़ियां की हैं, जो भ्रष्टाचार किये हैं या जो गलत परम्परा प्रशासन में डाल दी है उसको दूर करने के लिए ही जनता ने आपको शासन सत्ता सौंपी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार गम्भीरता से इस प्रश्न पर विचार करे।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मैं उपस्थित हूं।

अधिष्ठाता--

मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि वह कृपा कर सामने का स्थान ग्रहण करें ताकि दृष्टि चेयर की उनके ऊपर भी रहे।

श्री ऊदल--

श्रीमन् पी० डब्लू० डी० में पुलिस का एक बहुत बड़ा फोर्स भ्रष्टाचार दूर करने के लिये लगाया गया है। इसी तरह से विद्युत परिषद में, एग्रीकल्चरल डायरेक्टोरेट में और कोआपरेटिव में एक-एक ए० ए० पी० के साथ बहुत बड़ा फोर्स भ्रष्टाचार रोकने के लिये लगा हुआ है। पुलिस फोर्स को शान्ति और व्यवस्था के काम में लगाने की जरूरत है। सरकार भ्रष्टाचार को दूर करे लेकिन जो पुलिस, विभागों में लगाई गई है, जिसको कांग्रेस सरकार ने ही लगाया था, जनता सरकार का यह कर्तव्य है कि उसको शान्ति और व्यवस्था कायम रखने में लगाया जाय।

एक बात और कहना चाहता हूं। भ्रष्टाचार दूर करने के लिये एक सतर्कता आयोग खुला हुआ है। लेकिन उस में वही इंस्पेक्टर, वही डी० ए० पी० सिविल पुलिस के हैं, जो रात दिन घूस लेते थे उनको भेजा जाता है। वे ठीक से जांच भी नहीं करते और आना भी नहीं चाहते। मेरा सरकार से यह सुझाव है कि इनको पुलिस विभाग में भेजिये और सतर्कता आयोग में डायरेक्ट रेक्रूट पर भर्ती कीजिये। सरकार इन प्रश्नों पर विचार करे। सिर्फ सतर्कता आयोग में पांच किस्म की ब्रान्चेज खुली हुई हैं। मैं इससे भी नहीं सहमत हूं। कांग्रेस ने खोली थीं आपको चाहिये कि सब को मिला कर सतर्कता आयोग को मजबूत करें।

सामान्य प्रशासन में, मुझे दुःख है कि आज जो हमारे अधिकारी हैं, चाहे सचिवालय में हों, चाहे जिले के प्रशासन में हों, सब ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, इस विवाद में मैं नहीं जाना चाहता। कुछ माननीय सदस्यों की शिकायत है कि कांग्रेस के पक्षधर हैं। लेकिन वे कहते हैं कि हम किसी के नहीं हैं। जिसकी सरकार है हम उसके हैं। आज विकास का युग है। उनकी जिम्मेदारी शान्ति व्यवस्था और प्रशासन चलाने के अलावा प्रदेश के विकास की भी है।

(लाल बत्ती जलने पर)

२१--पुलिस, अनुदान संख्या ३--मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या, ५-निर्वाचन, अनुदान संख्या १८--सचिवालय, अनुदान संख्या १९--जिला प्रशासन, अनुदान संख्या २५--अन्य प्रशासनिक सेवाएं, अनुदान संख्या ३६-सूचना तथा प्रचार, अनुदान संख्या ३९-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी कार्यक्रम, अनुदान संख्या ४१---अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं तथा अनुदान संख्या ४४---अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

श्रीमन्, मेरे २ मिनट हैं, ३ मिनट और दे दीजिये, ५ मिनट में मैं खत्म कर दूंगा ।

श्री अधिष्ठाता--

आप ३ मिनट और बोल लीजिये ।

श्री ऊदल--

आज अरबों रुपया विकास पर खर्च हो रहा है । यह किस के माध्यम से खर्च होगा ? यही सामान्य प्रशासन के लोग जो जिला स्तर पर बैठे हुये हैं उनकी जिम्मेदारी आज अरबों रुपया खर्च करने की है । अगर हम इनको आज के विकास युग में ठीक से ट्रेनिंग नहीं देते तो आज जो प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात है उसमें भी हमारा प्रदेश पीछे रह जायगा ।

अब मैं एकोनामी की बात करता हूं । जब यह सरकार बनी तो उन्होंने कहा कि हम एकोनामी करेंगे । आप भी सेक्रेटेरिएट के अन्दर घूमते होंगे । मैंने देखा कि इस सरकार के बनते ही लाखों रुपये का फर्नीचर नया आया । जो फर्नीचर जून, १९७७ तक इस्तेमाल होता था उसको निकाल दिया गया, वह नीचे गैलरियों में पड़ा हुआ है और नया फर्नीचर आज लाखों रुपये का खरीद कर कमरे को सजाया जा रहा है । मैं इसकी सख्त निन्दा करना चाहता हूं । इस नये फर्नीचर से अच्छा फर्नीचर है जो बदला गया है । यह छोटी-छोटी बातें हैं, इनके ऊपर सरकार को विचार करना चाहिए और सरकार को इस माननीय सदन के प्रति जो मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व है, उसको भी पूरा करना चाहिये । श्रीमन्, मुझे बड़ा दुःख है कि आज इस माननीय सदन की इस मंत्रिमंडल द्वारा जो उपेक्षा हो रही है, यह संसदीय इतिहास में देखने को आज तक नहीं मिला । इसकी मैं निंदा करता हूं । मैं बताना चाहता हूं एक लड़का बनारस में, जिसका नाम राजेश, पता हरितीरथ पोखरा का, दो साल पहले अपहरण कर लिया गया और आज तक उसका पता नहीं चला ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री ऊदल--

इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।
(कई माननीय सदस्यों एक साथ के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

आप शान्ति रखिये, मेरी भावनायें आपकी भावनायें हैं । आपको निराश नहीं होना चाहिये । आपको समय दिया जायगा ।

बाबा राम अधार यादव (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, मैं आपके द्वारा जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने अनुदान बजट पेश किया है उसका समर्थन करता हूं और कटौती का विरोध करता हूं। अब सवाल यह आता है कि प्रशासन जो है, सामान्य प्रशासन, इसकी कहां तक बात बतलाऊं, देश के अन्दर दो ही लोग हैं।

(व्यवधान)

श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)--

अधिष्ठाता महोदय, मुझे भी मौका दीजिये।

बाबा राम अधार यादव--

चाहे वह कांग्रेस सरकार हो, चाहे जनता सरकार हो, इस देश के अन्दर, जब भारत स्वतंत्र हो रहा था। मरहूम पंडित जवाहर लाल नेहरू ने दो चश्मा लगाया था, एक ऊंचे अधिकारियों के लिए और एक ऊंचे व्यापारियों के लिए। तो मरहूम पंडित जवाहर लाल नेहरू ने दो चश्मा लगाकर कांग्रेस का तो सफाया कर दिया। मगर मैं जनता सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि दोनों चश्मों को उतार कर काम करें, तब काम चल सकता है। आप देखें कि बीच में क्या-क्या व्यवधान सरकार चलाने में लगा देते हैं। आप देखेंगे कि एक तरफ कहा जाता है कि अब कोई तबादले नहीं होंगे दूसरी तरफ तबादले किये जाते हैं। मान्यवर, तबादला कोई प्रशासनिक ढंग से किया जाता है, तो उसकी रिपोर्ट सदन में आनी चाहिये। जैसा आज सवाल हुआ था सदन में कि उसका तबादला क्यों हुआ, तो उसका जवाब मुख्य मंत्री महोदय नहीं दे सके। आप देखेंगे कि बड़ी-बड़ी लिस्ट पी० डब्ल्यू० डी० के तमाम अधिकारियों की सितम्बर और अक्तूबर में उनके तबादले की निकल रही है। आप देखें कि इस तरह से उनके बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। वह परेशानी में हैं। मान्यवर, जब ट्रांसफर होता है, बड़े-बड़े अधिकारियों का ट्रांसफर होता है तो उनको बंगले मिल जाते हैं। मगर जो छोटे-छोटे कर्मचारी हैं उनका जब ट्रांसफर होता है तो उनको कहीं रहने की जगह नहीं मिलती है। इसके साथ ही साथ में एक बात और भी कह देना चाहता हूं कि सामान्य प्रशासन में आज जो स्वच्छ अधिकारी हैं उनको कोई पूछता नहीं है। आपको एक बात यह भी मालूम होनी चाहिये कि इसी सदन में मुझे एक रोज धमकी भरा पत्र मिला। श्री सुखपाल पांडे को मिला और शायद किसी अन्य सदस्य को मिला। तो उसपर पुलिस जांच हो रही है। हमको आश्वासन दिया गया है कि शैडो दे देंगे। शैडो लेकर हम क्या करेंगे। जब अभी तक इसकी जांच नहीं कर सके, एक पखवारा बीत चुका है, अभी जांच की कोई रिपोर्ट का पता नहीं चला, कि पुलिस ने क्या किया। इसका कारण यह है कि प्रशासन जो है वह स्वच्छ प्रशासन नहीं है इसमें कोई दो राय नहीं हैं। यह मैं कह देना चाहता हूं। आप देखें, कि आज सामान्य प्रशासन पर बहस चल रही है, पुलिस पर बहस चल रही है। अधिकारी गण जहां बैठते हैं वहां न तो मुख्य सचिव हैं और न गृह सचिव हैं। मान्यवर, हम लोग जब नगरपालिका में थे तो मुख्य नगर अधिकारी या इंजीनियर अगर नहीं होते तो हम कहते थे कि बैठक नहीं होगी। लेकिन यहां हमारी बात कौन सुनेगा? माननीय मुख्य मन्त्री जी तो बीमार पड़े हुये हैं, अस्वस्थ हैं, लेकिन अन्य जो मन्त्री हैं उनमें से कोई नहीं, बस एक आध यहां पर हैं। यह सदन की मर्यादा नहीं है। मैं बतला देना चाहता हूं कि यही हाल

रहा तो हम लोग जनता के बीच में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मंत्रिगण तो बंगले में बैठते हैं, मोटर में बैठकर उड़ जाते हैं और हम पैदल चलने वाले सदस्य जब सवाल करते हैं और सुरक्षा व्यवस्था की मांग करते हैं तब भी हमारी सुनवाई नहीं होती है। हम अधिकारियों के पास जाते हैं, जानते हैं कि अधिकारियों का व्यवहार अच्छा नहीं होता, अगर हम उनके पास जाते हैं तो हमको उचित और सही उत्तर नहीं मिलता है। अगर मंत्रीगण से कहते हैं तो वह लिखकर सचिव को भेजते हैं। सचिवालय का कायदा है कि महीनों तक उस पर कार्यान्वयन नहीं होता है, या तो वह चीज कहीं दब जाती है। यह हालत है सामान्य प्रशासन की।

पुलिस की बात है। लोग कहते हैं कि पुलिस बहुत खराब है। मैं कहता हूं कि पुलिस कब से खराब हुई? आप देखें कि इसमें यह जो अनुशासनहीनता आई है वह कब से आई है? आपात स्थिति से अनुशासनहीनता आई है। इसका कारण यह है कि कांग्रेसी सरकार ने पुलिस के कंधे पर बंदूक रख कर गोली दागी। पुलिस को बदनाम इस तरह से किया। और पुलिस के जरिये जनता का उत्पीड़न कराया गया। आज इसीलिये जनता और पुलिस का रिश्ता टूट चुका है। इसीलिये पुलिस की हालत बहुत खराब है। जो पुलिस के बड़े-बड़े अधिकारी हैं उनको तो लंबी-लंबी तनख्वाहें मिलती हैं मगर एक कांस्टेबिल को अगर ईमानदारी से कहा जाय तो जो अधिकारी हैं, उनके कुत्ते पर ज्यादा खर्च होता है, जितनी पुलिस कांस्टेबिल को तनख्वाह मिलती है। यही कारण है कि आज कानून और व्यवस्था बिगड़ रही है। पुलिस का बहुत बड़ा कर्तव्य है। मगर पुलिस को सुविधा नहीं है। पुलिस के संबंध में आप खासतौर से देखें, पुलिस के लोगों के लिये, जैसे जेलों में बैरिकें बनायी गयीं हैं वैसे ही पुलिस लाइन में उनके लिये बैरिकें बनायी गयीं हैं। खाट दे दी गयी है, उनके लिये कोई सुविधा या इंतजाम नहीं है।

इसी तरह से पी० ए० सी० की बात है। वह बेचारे कहां घूस लेते हैं, मगर उनके साथ क्या व्यवहार होता है? बड़े-बड़े पी० ए० सी० के अफसरों के घरों में अगर काम न करें, खुशिया बरदारी न करें तो वह बड़ी बुरी हालत करते हैं। यही कारण था कि १९७३ में पी० ए० सी० और पुलिस विद्रोह हुआ था। मैं सरकार को सजग करना चाहता हूं कि कम से कम बड़े-बड़े अधिकारियों का दिमाग सही करें। आप देखें कि हजरतगंज के चौराहे पर बापू की मूर्ति के नीचे पी० ए० सी० के निकाले गये लोग टेन्ट लगाये हैं। जो पुलिस विद्रोह हुआ और पी० ए० सी० का जो विद्रोह हुआ उसमें अभी भी लोग जेलों में हैं। क्या कारण है कि आज तक सरकार ने उस पर कोई निर्णय नहीं किया?

मान्यवर, यहां शिक्षक लोग आंदोलन करके बैठे हैं। ग्राम सेवक आये थे वहां मंत्री लोग जाते हैं और सभा को सम्बोधित करते हैं। क्या मतलब है ग्राम सेवकों से, क्या मतलब है बी० डी० ओ० और ए० डी० ओ० से। यह लोग कोई

[बाबा राम आधा यादव—]

काम नहीं करते हैं और राजनीति में जाते हैं। उनको तत्काल समाप्त करना चाहिये। सरकारी कर्मचारी जो हैं वह आन्दोलन पर चलते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार हमारी कमजोर है। इसलिये उनकी बड़ी हिम्मत हो गयी है और तमाम टेन्ट लगाकर बैठे हैं। दूसरी चीज स्कूल कालेज सब बन्द हो रहे हैं। यह सब अध्यापक लोगों की साजिश है। यह सब अपनी मांग के लिये आये हैं। तमाम एल० टी०, सी० टी० तथा बी० टी० सी० मारे मारे घूम रहे हैं लेकिन यह लोग स्कूल बन्द करके यहां आये हैं। यही हालत ग्राम सेवकों की है। उनको सात सौ रुपये वेतन मिलता है लेकिन आन्दोलन करते हैं। अफसोस है कि मंत्री परिषद, चाहे केन्द्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार, के लोग उनकी सभा को संबोधित करने जाते हैं जो कि अच्छे लक्षण नहीं हैं। उनसे पूछा जाय कि जो १० करोड़ लोग बेकार हैं जो भूखों मर रहे हैं वह क्या करें जबकि वह इधर-उधर मारे-मारे फिर रहे हैं। इसलिये सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये।

मान्यवर, दूसरी चीज पुलिस प्रशासन के अन्दर होम गार्ड और पी० आर० डी० बे मतलब की चीज है। यह या तो दरोगा जी की अर्दली करते हैं या थाने पर पड़े रहते हैं। जो होम गार्ड के लोग हैं सरकारी नौकरी में काम करते हैं और वहां से उनको तनख्वाह मिलती है लेकिन उसके साथ-साथ वह यहां से भी कुछ पाते हैं। पी० आर० डी० का भी यही हालत है। इसलिये इनको हटाना चाहिये।

मान्यवर, सतर्कता विभाग की जो बात कही गयी है तो उसमें वह पुलिस विभाग से आये हैं। जो भ्रष्ट हैं वही आये हैं। इसलिये उनको हटाया जाय और खुफिया विभाग में अलग से भर्ती होनी चाहिये। सिविल पुलिस से उनको नहीं लेना चाहिये। आप यह भी देखेंगे कि आपातकाल में जो अधिकारी पुलिस में रहे हैं चाहे वह इंस्पेक्टर हों या डी० वाई० एस० पी० रहे हों वह उसी जगह मौजूद हैं जहां आपातकाल में थे। उनको हटाया नहीं गया है। इसलिये उनको हटाना चाहिये। तीसरी चीज हमारे यहां एक कलेक्टर, श्री भूरे लाल शर्मा भेजे गये हैं जो कि अच्छे कलेक्टर हैं। मैं चाहूंगा कि इसी तरह के कलेक्टर हर जिले में ट्रेन्ड करके भेजे जांय। इसलिये यदि सरकार गलत काम करेगी तो मैं उसका विरोध करूंगा और सरकार को विवश करूंगा सही काम करने के लिये।

(अनेक सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

मैं चाहता हूं कि आप साहबान अधिक से अधिक बोलें, लेकिन एक मजबूरी भी होती है ...(शोर)।

(श्री श्याम सुन्दर गुप्त का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मैनजर सिंह (जिला बलिया)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। सदन को अनुभव होता है कि जो सूची आप को प्रस्तुत की जाती है उस सूची में से नाम पढ़ कर के आप वक्ता लोगों को बुलाते हैं। मैं आप से यह व्यवस्था चाहता हूं कि आप प्रारम्भ में ही वह सूची सुना दें ताकि वक्ता लोग उसी सूची के आधार पर बोलेंगे और वे ही सदस्य खड़े होंगे। अनावश्यक लोग खड़े नहीं होंगे और आप को भी बार-बार बैठिये न कहना पड़ेगा।

श्री अधिष्ठाता––

आपकी जो प्रार्थना होती है उसको ध्यान में रखा जाता है। यह आवश्यक नहीं की बुलाया ही जाय लेकिन संसदीय परम्परा के अनुसार जिस पर दृष्टि पड़ती है वही आमंत्रित कर लिये जाते हैं।

श्री मनेजर सिंह––

इस प्रकार का गलत तथ्य आप के पवित्र स्थान से नहीं आना चाहिये। बोलने वालों की लिस्ट से बुलवाते हैं अध्यक्ष जी या आप और लोगों से कहते हैं कि दृष्टि से बुलाते हैं। यह बिल्कुल ही तथ्यहीन है। इसलिये मैं सदन का त्याग करता हूं। गलत बयान आप ने किया।

(श्री मैनेजर सिंह सदन त्याग कर चले गये)

*श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कांग्रेस के बंधुओं के मुंह से इस इमरजेन्सी के समाप्त होने के बाद जब लोकतंत्र की दुहाई सुनता हूं तो आश्चर्यचकित रह जाता हूं। पिछले दो वर्षों में जिन्होंने यह नहीं समझा कि लोकतंत्र क्या होता है वे आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। मान्यवर, इस बहस के दौरान श्रीमती इन्दिरा गांधी की गिरफ्तारी की चर्चा की गयी है। आश्चर्य की बात है कि शायद समाचार पत्रों में हमारे कांग्रेस बंधुओं ने यह पढ़ा नहीं कि शाह आयोग के समक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी के ही वरिष्ठ सहयोगियों ने जो उनके शासन काल में थे उनके विरुद्ध गवाहियां दीं, साक्ष्य प्रस्तुत किया और इसके बाद भी अगर वे यह समझें कि श्रीमती इंदिरा गांधी निर्दोष हैं तो इससे ज्यादा आश्चर्य की बात हो नहीं सकती।

मान्यवर, मैं सामान्य प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लिये प्रस्तुत इस बजट अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे इस सम्बन्ध में एक बात विशेष रूप से कहनी है और वह पुलिस प्रशासन के बारे में। यह दुख की बात है कि आजादी मिले तीस वर्ष हो गये लेकिन आज तक पुलिस ने अपने आप को इस ओर सुधारने का प्रयास नहीं किया कि कैसे वैधानिक तरीके से, अनुसंधान कर के अपराधों का पता लगाया जाय। आश्चर्य होता है जब आज भी थानेदार थर्ड ग्रेड मेथड इस्तेमाल करता है केवल मार पीट के आधार पर, सलाखों से जला कर अपराधियों से उनके अपराध कबूल कराने की कोशिश करता है। मान्यवर थाने में एफ० आई० आर० लिखी जाती है। एफ० आई० आर० के आधार पर बड़े-बड़े जघन्य अपराधों का फैसला होता है कि अपराधियों को दंड दिया जाय या न दिया जाय लेकिन एफ० आई० आर० लिखने वाला दीवान प्रशिक्षित नहीं होता और यही कारण है कि बड़े-बड़े जघन्य अपराधी अदालत में जा कर छूट जाते हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्याम सुन्दर गुप्त—]

मेरा यह सुझाव है दीवान जो एफ० आई० आर० लिखते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाय ताकि तकनीकी गलतियों के कारण बड़े-बड़े अपराधी छूट न जायं। पुलिस के अच्छे कार्य-कलापों की तारीफ की जाय लेकिन इस बात की ओर ध्यान रखना चाहिये कि बड़ी-बड़ी वारदातें हो जाती हैं जिनका पता नहीं लगाया जाता। पुलिस की तारीफ इस बात पर तो की जा सकती है कि उन वारदातों का पता तत्परता से लगाया जाय। कत्ल, डकैती और चोरियां हो जाती हैं लेकिन पुलिस वाले समय से और तत्परता से मौके पर नहीं पहुंचते जिसके अपराधियों का पता वहीं चल पाता, इसके सैकड़ों तथा हजारों उदाहरण दिये जा सकते हैं। लाखों रुपये की चोरियां मेरे क्षेत्र में हुई लेकिन पुलिस की तत्परता न होने के कारण या प्रशासनिक गड़बड़ियों के कारण उनका पता नहीं चलाया जा सका। औरई में एक सर्राफ के यहां दो लाख रुपये की चोरी हुई। एक थानाध्यक्ष उसकी जांच कर रहे थे लेकिन दो महीने ही हुए थे पता चला कि बांदा उनका स्थानान्तरण कर दिया गया है। डी० आई० जी० से पूछा तो ज्ञात हुआ कि बांदा में उनकी ज्यादा आवश्यकता थी। मैं शासन का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि बुन्देलखंड ऐसा क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जहां भेज कर अधिकारियों को दंडित किया जाता है। मैं जब कानपुर रेंज में था बुन्देलखंड तब छटनी शुदा पुलिस कर्मचारी, थानेदार और थानाध्यक्ष बुन्देलखंड के ५ जिलों में भेजे जाते थे जिनको दंड देना होता था, जो अक्षम थे, काहिल थे और काम नहीं कर सकते थे। जब बुन्देलखंड डी० आई० जी० रेंज हो गया तो वही सारे थानेदार, जो अक्षम थे और सजा के आधार पर पिछड़े क्षेत्र में भेजे गये थे वहीं केन्द्रीभूत हो कर रह गये। बाहर से कोई थानेदार वहां आने को तैयार नहीं हुआ। मैंने मुख्य मंत्री, गृह सचिव तथा आई० जी० के सामने यह बात रखी की जालौन जनपद में १४ में से १० थानाध्यक्ष हैं, ४ में नहीं हैं। ऐसे सब इंस्पेक्टर हैं जिनको एस० पी० अगर थानाध्यक्ष बनाना चाहे तो नहीं बना सकता क्योंकि वे बहुत ही अक्षम, काहिल तथा अकर्मण्य हैं। उनको बदलने की आवश्यकता है। इस समस्या का जिक्र बड़े से बड़े अधिकारी से किया गया और पुनः इस दिन में, मैं इस समस्या के सम्बन्ध में निवेदन कर रहा हूं और यह अपेक्षा कर रहा हूं कि वर्तमान शासन इस समस्या को सुलझायेगा। डकैती प्रभावित हमारा क्षेत्र है, चम्बल घाटी के नजदीक मेरा जिला है इसलिये विशेष रूप से ऐसे थानाध्यक्ष तथा थानेदार वहां भेजे जायं जो सक्षम हों।

एक समस्या यह भी है कि अपराधियों का पता इस कारण नहीं चल पाता क्योंकि थानेदारों के पास काम बहुत अधिक रहता है। कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो ५, ६ घंटे इंटरोगेशन के लिये चाहिये तब अपराधी अपना अपराध कबूल करेगा या अन्य आवश्यक जानकारी उससे प्राप्त की जा सकती है। मेरा यह सुझाव है कि विशेष कर उन जिलों में जो डकैती से प्रभावित एरियाज हैं वहां एक एंटी डकैती इंस्पेक्टर की नियुक्ति की जाय और एक ऐसे पुलिस इंस्पेक्टर की नियुक्ति भी करें जिनके जिम्मे कोई थाना न हो, कोई प्रशासनिक कार्य न हो ला एंड आर्डर के सिलसिले में बल्कि जिनका काम केवल क्राइम की जांच पड़ताल हो।

श्री अधिष्ठात —

दो मिनट में आप समाप्त करें।

२१ --पुलिस, अनुदान संख्या ३---मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या, ५-- निर्वाचन, अनुदान संख्या १८---सचिवालय, अनुदान संख्या १९ - जिला प्रशासन, अनुदान संख्या २५--अन्य प्रशासनिक सेवाएं, अनुदान संख्या ३६ सूचना तथा प्रसार, अनुदान संख्या ३९ --अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी कार्यक्रम, अनुदान संख्या ४१ --अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं तथा अनुदान संख्या ४४---अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

श्री श्यामसुन्दर गुप्त---

अगर इस प्रकार की नियुक्तियां की जायं तो गम्भीर अपराधी पकड़े जा सकते हैं। वह इंस्पेक्टर क्राइम प्रिवेंशन के काम को अपने हाथ में ले और जिस थाने का यह मामला है उसे पूरा सहयोग दे। इससे ज्यादा से ज्यादा अपराधों की रोकथाम हो सकती है और क्राइम पर काबू पाया जा सकता है।

मान्यवर, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। कांग्रेस भाईयों की तरफ से हरिजनों को बड़ी दुहाई दी जाती है और बहुत कुछ मात्रा में उससे प्रभावित हो कर जनता पार्टी की सरकार ने भी कुछ कदम उठाये हैं जिससे समाज में ला एंड आर्डर की सिचुवेशन पैदा हो गई है।

श्री अधिष्ठाता---

समय समाप्त हुआ।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त---

मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूं कि अपराधियों की कोई जाति नहीं हुआ करती है। चाहे चोर हो, चाहे कत्ल करने वाला हो वह किसी भी जाति का हो सकता है। अगर वह अपराधी है तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिये। आज कुछ ऐसे निर्देश गये हैं कि अगर कोई हरिजन पकड़ा जाता है तो उस पर त्राहि-त्राहि मचानी शुरू हो जाती है। अगर जरा से हरिजन अपराधी को कसा जाता है तो कांग्रेस के बन्धु चिल्लाते हैं और पुलिस का थानेदार अपने को अक्षम पाने लगता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं हमारे यहां रेहड़ा में एक लम्बी चौड़ी चोरी का पता लगा उस पर थानाध्यक्ष ने कार्यवाही चलाई और एक हरिजन उसमें पकड़ा गया। उस थानेदार को इसलिये निलम्बित कर दिया गया कि उसने चोरी कबूलवाई और एक हरिजन को उसने पकड़ा। इसका नतीजा क्या हुआ मान्यवर, कि रेहड़ा के नजदीक मधोपुर में भी एक लम्बी चोरी हुई तो उस पर थानाध्यक्ष कहते हैं मैं इसमें अपने लिए मुसीबत नहीं लूंगा मेरे सामने रेहड़ा के थानेदार का केस मौजूद है।

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री श्यामसुन्दर गुप्त---

मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। इस समस्या को विशेष रूप से ध्यान में रखने की बात है इसमें विशेष रूप से सतर्कता की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि हरिजनों पर अत्याचार न हों और जो उन पर अत्याचार करते हैं उनको सजा दी जाय। लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि केवल इस बात का बहाना लेकर और प्रचार के माध्यम से प्रभावित हो कर ऐसे काम भी न किये जायं कि जिससे प्रदेश में ला एण्ड आर्डर की समस्या हो जाय और हरिजनों को भी इससे लाभ होने वाला नहीं है। इन शब्दों के साथ में इस मांग का समर्थन करता हूं।

श्री रामआसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, सामान्य प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के सम्बन्ध में जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, सामान्य प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज हम देख रहे हैं कि इस सदन के अन्दर जो चर्चा होती है उसमें सिर्फ पिछले ३० साल की गाथायें दुहराई जाती हैं। पिछले ३० सालों से कांग्रेस ने क्या किया और क्या नहीं किया यही बातें कही जाती हैं। इस सम्बन्ध मे जो बातें यहां प्रकट की गई हैं उन भावनाओं के साथ मैं भी हूं। पिछले ३० सालों में कांग्रेसी शासन के समय में सामान्य प्रशासन ढीला हुआ, भ्रष्ट हुआ और जितनी कमियां हो सकती थीं, वह सब आईं। अगर वह कमियां न आईं होती तो जनता को यह महसूस न होता कि उनको बदला जाय और जनता पार्टी के शासन को कायम किया जाय तो जब नया शासन आया है तो इसकी जिम्मेदारी भी नयी है, वह यह कि जन-समस्याओं को सुलझाये। लेकिन पिछले ३ महीनों के अनुभव में यह बात जाहिर होती है कि जनता पार्टी के शासन ने इसका अनुभव नहीं किया और कांग्रेस की नींव पर ही वह अपना महल बनाना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं था, तो जिस वक्त बजट पेश किया गया था उस समय वित्त मंत्री जी कम से कम उन नीतियों की तरफ भी संकेत करते। जिन नीतियों को वह प्रतिस्थापित करना चाहते हैं। ऐसा न करके उन्होंने सदन के सामने सिर्फ यह रास्ता खोल दिया सोचने के लिए कि वह पुरानी नींव पर ही नया महल खड़ा करना चाहते हैं। सामान्य प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन इनकी जिम्मेदारी मंत्रि परिषद् पर है। सामान्य प्रशासन ढीला हो तो हम सोचेंगे कि मंत्रि परिषद् में कहीं ढिलाई अवश्य है, जिसकी वजह से उसमें ढिलाई है। हम रोज सुनते हैं अध्यक्ष महोदय की तरफ से, कोई ही दिन ऐसा बीतता होगा, जब किसी मंत्री या उप मंत्री को उनकी तरफ से नये-नये निर्देश न दिए जाते हों। हर आदमी यह कहने के लिए बाध्य हो जाता है कि मंत्रि परिषद् के लिए एक प्रशिक्षण विद्यालय खोला जाए और मंत्रियों को पहले उसमें प्रशिक्षित किया जाए, तब फिर वे सदन में आवें। इतना अवश्य कहूंगा कि मंत्रि परिषद् को जिन उत्तर-दायित्वों के प्रति जागरुक होना चाहिए, उसमें सदन कमी पाता है।

इस तीन महीने के अनुभव ने यह भी दिखाया है कि जनता पार्टी के शासन ने सामान्य प्रशासन या पुलिस प्रशासन में जनता के सामने कोई नई बात नहीं रखी, कोई नई रूप-रेखा जनता के सामने पेश नहीं की। केवल एक काम किया, चाहे जिस विभाग का मंत्री हो, उसने चपरासी से लेकर अधिकारियों के तबादले तक का काम अपने हाथ में लिया। चपरासियों से लेकर अधिकारियों तक की दोनों के तबादले की लिस्ट उनके यहां आपको मिलेगी। इसके अलावा और कोई नया काम नहीं हुआ है। उनके कमरों के बाहर लिखकर अवश्य लगा दिया गया है कि तबादले के विषय में कोई बात न करे, लेकिन अन्दर केवल तबादले के अलावा और कोई बात नहीं होती है। तबादले किये जाते हैं और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार कभी-कभी आवश्यक रूप से किये जाते हैं, लेकिन यह भी देखा जाता है कि उससे प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यक्षमता पर कोई आंच तो नहीं आ रही है। ३१ अगस्त के बाद कोई तबादले न करने के आदेश दिए गये, लेकिन उसके बाद भी कोई विभाग न बचा होगा, जिसमें बड़े पैमाने पर ट्रांसफर न किये गये हों। आपकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए था। तीन महीने के बाद भी यह देखने को मिलता है और यदि स्थिति न बदली तो मैं समझता हूं कि भविष्य उज्जवल नहीं है, अंधकारमय ही है।

शान्ति व्यवस्था का जहां तक सम्बन्ध है, कहा यह जाता है कि प्रदेश में शान्ति व्यवस्था कायम है कई बार इस तरह की बातें आईं। सदन में भी ऐसी

अनुदान संख्या २१--पुलिस, अनुदान संख्या ३--मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या ५--निर्वाचन, अनुदान संख्या १८--सचिवालय, अनुदान संख्या १९--जिला प्रशासन, अनुदान संख्या २५--अन्य प्रशासनिक सेवाएं, अनुदान संख्या ३६- सूचना तथा प्रचार, अनुदान संख्या ३९--अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी कार्यक्रम्, अनुदान संख्या १४--अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं तथा अनुदान संख्या ४४--अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

बातें आईं । जब बाहर गोलियां चल रही थीं और यहां कहा जा रहा था कि सब शान्त है । प्रदेश में शान्ति व्यवस्था कायम नहीं है, अपराध बढ़े हैं, तमाम तरह के जुर्म बढ़े हैं, लोग भय और आतंक से पीड़ित हैं । हम कह सकते हैं कि जितना इमरजेंसी में लोग पीड़ित थे, उतना आज नहीं हैं, लेकिन घटनाओं का सिलसिला कम नहीं है । जो सिलसिला शुरू हुआ है वह बढ़ता गया तो मैं समझता हूं कि आपातकालीन स्थिति में हुए जुल्मों को भी आप पीछे छोड़ देंगे । अब मैं आपके सामने रखूंगा । पी०ए०सी० के लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं आपने वायदा किया था तथा कांग्रेस के शासन म मांग की थी कि उनको नौकरी में वापस लिया जाय, उनकी सजाओं को रद्द किया जाए । आप आज शासन में हैं, मैं चाहूंगा कि आप उनकी मांगों पर गौर करें और उनको नौकरी में लें । आज तमाम श्रेणी के लोग विभिन्न मांगों के लिए हड़ताल कर रहे हैं, मांगें जो जायज हैं, इस सिलसिले में जितना काम किया जा सकता है आप काम करने की कोशिश कीजिए ।

(इस समय ३ बजकर ४० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

पशु चिकित्सक छात्र हड़ताल कर रहे हैं । १०७ होम्योपैथिक छात्र ५ महीने से ज्यादा समय से लड़ रहे हैं । होम्योपैथिक छात्रों के ऊपर विधान सभा के बाहर सबसे पहले लाठी चार्ज हुआ । और इससे भी ज्यादा शर्म की बात है कि ३० सितम्बर को हरदोई जेल में जिस तरह से उनको बेरहमी से लाठियों से पीटा गया वह एक बेजोड़ मिसाल है । तीन छात्रों की हालत गम्भीर है और दो छात्र जिला अस्पताल में भरती किये गये । सरकार कहती है कि लड़के पिरामिड बना रहे थे और ऊपर से गिरे । जिस लड़के ने आत्मदाह का संकल्प किया था उसको सबसे ऊपर होना चाहिए था । ऊपर से छात्र गिरता तो सबसे ज्यादा चोट उसको लगती । लेकिन चोटें दूसरे छात्रों को आयीं । टांग तोड़ी गयी, सिर फोड़े गये, बहुत तरह की यातनाएं उनको दी गयी यह जो जुल्मों का सिलसिला शुरू हो रहा है इसको रोका जाना चाहिए और उनकी मांगों के ऊपर जो रवैया हमारे स्वास्थ्य मंत्री या माननीय मुख्य मंत्री ने अपनाया है वह अच्छा नहीं कहा जायगा । सहानुभूति पूर्वक उनकी मांगों पर विचार कर उनको पूरा किया जाना चाहिए ।

मैं एक बात हरदोई की कहना चाहूंगा । हरदोई जिले के जो राजस्व मंत्री हैं, बड़े संकीर्णतावादी दृष्टिकोण से जिले में काम कर रहे हैं । कार्यक्रम जिलों में खूब लगाते हैं । लेकिन एक ही काम होता है कि वहां पर कौन अधिकारी उनके मन का है, कौन मन का नहीं । जिनके नाम के आगे सिंह लगा होता है चाहे वह यू० पी० के किसी कोने में हो वह हरदोई में लाया जायगा परम्परा रही है कि एक थानेदार दोबारा उसी थाने में उस पद पर नहीं आ सकता । लेकिन हरपालपुर थाना है, वहां थानाध्यक्ष दोबारा उनकी इच्छा के मुताबिक तैनात किया गया । परम्परा है कि एक जेल का सुपरिनटेंडेंट दोबारा नहीं जायगा । लेकिन नाम के आगे 'सिंह' लगा है इसलिए दोबारा भी आया । मैं चाहूंगा कि जनता पार्टी का

[श्री राम आसरे वर्मा--]

शासन इस तरह से संकीर्णतावादी दृष्टिकोण को छोड़े। अगर इस तरह का संकीर्णतावादी दृष्टिकोण बना रहा है तो अच्छी बात नहीं होगी।

एक सदस्य---

सिंह कोई हर एक लगाता है।

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, पुलिस के बारे में, पुलिस के कामों पर अंकुश लगाना चाहिए। लेकिन आज उसको निरंकुश बनाने का प्रयास किया जा रहा है जनता पार्टी के शासन की ओर से। पुलिस की अनेक शिकायतें आती हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। माननीय मुख्य मंत्री के यहां शिकायत जाय तो उत्तर में लिखकर आता है कि दिखला रहा हूं। तो पता नहीं दो-ढाई महीने बीतने के बाद भी उनका दिखलाने का काम पूरा नहीं हो पाता।

श्री अध्यक्ष---

वर्मा जी, अब कृपा करके समाप्त कीजिए।

श्री राम आसरे वर्मा---

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो अनुदान प्रस्तुत है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं आपका आभारी हूं कि आपने ऐसे नाजुक मौके पर बोलने का मौका दिया जब कि तमाम लोग बोलने के लिए कोशिश कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि मौजूदा जो शासन है उसमें लोगों के विचार, उनकी मांगें अधिकतर बदली हुई हैं। जहां तक प्रशासन का सवाल है उसमें हमारी कमियां जरूर हैं कि हमने सरकार में आते ही उन लोगों पर कड़ाई नहीं की जिन लोगों ने प्रशासन को खराब किया है। यह उसी का नतीजा है। लाल फीताशाही और नौकरशाही हमारे ही बीच के हैं और हम लोग उनकी आलोचना भी करते हैं और तारीफ करते हैं। पिछली सरकार ने दबाव डालकर गलत काम करवाया था और जब हम न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं तो अधिकारी घिसी-पिटी रिपोर्ट भेज देते हैं और हमारे मंत्रीगण उस कमी को पूरा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अधिकारियों को तो चाहिए कि अगर किसी काम में गलती हुई है तो वे मंत्रियों को बतायें कि यह सत्य है तो सही न्याय दिया जा सकता है, लेकिन अधिकारी ऐसा कर नहीं रहे हैं जिसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कुछ अफसर ऐसे हैं जो अपने खास मातहतों को अच्छे-अच्छे स्थानों पर रख देते हैं और जो योग्य अधिकारी होते हैं उनको उनकी योग्यता के अनुसार पद मिल नहीं पाता है जिसके कारण बदनामी हो रही है। पुलिस का नजरिया बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। पुलिस की जहां पर ड्यूटी लगाई जाती है वहां पर उच्च पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं रहते हैं। पेट्रोलिंग ड्यूटी में जिन लोगों को लगाया जाता है वे अपनी ड्यूटी पर नहीं मिलते हैं वह किसी होटल में बैठे मजे उड़ाते हैं। जैसा कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी ने और हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की विशेषकर कानपुर के लिए कि वहां पर पुलिस कमीशन नियुक्त किया जायेगा,

लेकिन अभी तक उसकी नियुक्ति नहीं की गई है। हालात बिगड़ रहे हैं। माननीय सदस्य आते हैं चले जाते हैं, लेकिन सदन इसी तरह से रहता है। अगर इस जनता सरकार ने उन वादों को पूरा नहीं किया जिनको उसने जनता के सामने किया था तो नतीजा यह होगा कि जनता का विश्वास इस सरकार से उठ जायेगा।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस तरफ भी सदन के अधिकारियों को तवज्जह जानी चाहिए। हमारा ध्येय लोकतन्त्र और प्रजातन्त्र में अटल विश्वास रखने का आज भी मौजूद है। आप देखिए बंगला देश में क्या हुआ ? वहां की क्या हालत है ? इसी तरह से आप पाकिस्तान की हालत देखें, वहां क्या हुआ? इस देश की तबाही, यहां फैले भ्रष्टाचार का क्या कारण है ? मेरी दृष्टि में इसके तीन कारण हैं। एक तो भ्रष्टाचारी नेता, दूसरे भ्रष्टाचारी आफिसर्स और तीसरे भ्रष्टाचारी कैपिटलिस्ट (शमशियेर) यह उसकी बड़ी मजबूत ताकत हैं ये लोग मिलजुल करके प्रजातंत्र को नष्ट करना चाहते हैं। वे यह समझते हैं कि जनता सरकार जो है, वह हमारी काली करतूतों को पकड़ेगी, हमारी चालों को पकड़ेगी। वह सबसे पहले जनता सरकार को खत्म करना चाहते हैं क्योंकि इसे आए अभी ३ माह ही हुए हैं। अभी तो उसका बजट आपके सामने आया है।

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि कानपुर में जो शिया-सुन्नी दंगा हुआ, ये सब उन लोगों के काम हैं चाहे वे अफसर हों, कांग्रेसमैन हों या कोई भी मैन हों, ये सब इस सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। इस सरकार को कलंकित करना चाहते हैं। इस सरकार को कमजोर करना चाहते हैं।

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं अभी पिछले दिनों हमारे मुख्य मंत्री जी ने कानपुर से निकलने वाले 'सियासत' अखबार को दिखाते हुए कहा कि कानपुर में शिया-सुन्नी दंगे इस अखबार में छपी एक खबर से हुए। मैं यह पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या बात इसमें छपी है जिससे दंगा हो गया। आखिर मुख्य मंत्री जी ने अब तक उस पर बयान क्यों नहीं दिया ? यह बात हमें सफाई से मालूम होनी चाहिए।

आज कुछ लोग ऐसे हैं जो हरिजनों और ऊंची जाति वालों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, शिया-सुन्नियों को आपस में लड़वाना चाहते हैं तो इस तरह से इंसानियत का आज खून हो रहा है और ऐसे में आप चाहेंगे कि कोई सरकार व्यवस्थित रूप से काम करे, यह कोई भी नहीं कर सकता है। चाहे वह सरकार सत्ता पक्ष की हो या विरोधी पक्ष की हो।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट, मक्कार और बेईमान आफिसरों को आप तुरन्त निकाल दें जो आज भी अपना प्रभुत्व जमाये रखना चाहते हैं। आप उन आफिसर्स को निकालकर लाइए जो बेचारे ईमानदार हैं और एक कोने में पड़े हुए हैं और नियमों का पालन करते हैं आपसे गुजारिश है

[श्री बाबू बदरे]

कि आप ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को कहीं ऐसी जगह भेज दें, जहां कम से कम चार दिनों तक कोई उनसे बात न करने वाला हो ।

भ्रष्टाचार की माननीय सदस्यों न बड़ी चर्चा की । मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर भ्रष्टाचार आया कहां से ? ये तीस वर्षों से कांग्रेस शासन से चला आ रहा भ्रष्टाचार उन लोगों की बदौलत आया है जो भ्रष्टाचार की कमाई से पले हैं पढ़े हैं । ऐसे लोग भ्रष्टाचारी हो सकते हैं, समाजवादी नहीं हो सकते । उनमें भ्रष्टाचार रहेगा, क्योंकि उनमें वही भ्रष्टाचारी खून है । उनमें समाजवादी खून नहीं है । इसीलिए आज भ्रष्टाचारियों की तादाद अधिक है और समाजवादियों की कम है । जब तक यह भ्रष्टाचारी खून रहेगा, भ्रष्टाचार रहेगा और कोई उपाय नहीं है, भ्रष्टाचार खत्म करने का । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

आज यह सदन बड़े गम्भीर विषय पर चर्चा कर रहा है। यह मसला किसी पार्टी का प्रश्न नही है बल्कि यह मसला सारे देश का है, पूरे समाज का है ।

भ्रष्टाचार की बीमारी कोई नई बीमारी नहीं है । यह बड़ा भयंकर और संक्रामक रोग है । मान्यवर, स्वतंत्रता के तीस वर्षों के पश्चात् गरीबी आज भी बनी हुई है तो यह चिन्ता का विषय है लेकिन शर्म की बात नहीं । इसको इस स्थिति से उभारने के लिए हम कड़ा परिश्रम करेंगे, पसीना बहायेंगे और प्रदेश को समृद्धि की ओर ले जायेंगे । किसी राष्ट्र का शारीरिक स्वास्थ्य यदि खराब तो वह ठीक किया जा सकता है लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह रहा है कि पिछले ३० वर्षों में भ्रष्टाचार और अन्याय उधर बैठे हुए लोगों ने फैलाया है, उससे सम्पूर्ण राष्ट्र को इन्होंने जर्जर बना दिया है, जिसके लिए इस देश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी ।

मान्यवर, यह बहुत बड़ा पाप है कि अब भ्रष्टाचार आज हमारे राष्ट्र का डनड स्वायजन्ड हो गया है, हमारे खून में शामिल हो गया है । उसके निराकरण के लिए यह कहा गया है कि करप्शन एन्ड सैक्रिफाइस बिगिन्स फ्रम एबव । भ्रष्टाचार और त्याग ऊपर से आरम्भ होता है । जनता पार्टी ने राजनीतिक भ्रष्टाचार पर हाथ डाला है, ऊपर के जो लोग राजनैतिक भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उन पर हाथ डाला है, लेकिन प्रशासकीय भ्रष्टाचार के बारे में दो रायें नहीं है कि वह आज भी वैसा ही बना हुआ है, जैसा कि पहले था । उसमें कुछ वृद्धि ही हुई है, कमी नहीं आई है । भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़े कौन ? माननीय ऊदल जी ने जो कहा है वह सही है कि अफसरशाही ने चुने हुए लोगों को, मंत्रियों को प्रसन्न करने के लिए नए-नए फर्नीचर और नयी साज-सज्जा का प्रबन्ध किया है । भ्रष्टाचार तो एक अधिकार हो गया है, श्रीमन्, कहीं भी किसी भी कार्यालय में चले जाइए परसेन्टेज बंधी हुई है, वह खुलकर ली जाती है । नौकरशाही और प्रशासन में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको दूर करने के लिए कौन संघर्ष करेगा ? अगर करना है तो इसी सदन में बैठे हुए लोगों को करना होगा । भ्रष्टाचार कहां से आरम्भ होता है ? सत्तागत ऐश्वर्य की चकाचौंध आज जन साधारण नागरिक येन-केन प्रकारेण प्रयास करता है कि वे भी वैसा ही वैभवशाली जीवन यापन करे जैसे ऊपर के

लोग करते हैं, नतीजा यह होता है कि हर आदमी या हर अफसर अधिक से अधिक धन अर्जन करने की कोशिश करता है ।

(एक सदस्य के माननीय अध्यक्ष तथा भाषणकर्त्ता के बीच में आने पर)

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, जब कोई माननीय सदस्य बोले तो उनके और आपके बीच में किसी को आना जाना नहीं चाहिए। यह अभी हुआ है और हमेशा से होता रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

वह ठीक है । माननीय सदस्य इस बात का ध्यान रखें कि जब कोई माननीय सदस्य बोल रहे हों, उनके और पीठासीन अध्यक्ष के बीच में नहीं आना चाहिए। यह शिष्टता के विरुद्ध है और नियम विरुद्ध भी है ।

श्री राम दत्त जोशी—

तो मान्यवर, मैं स्वच्छ प्रशासन की बात कर रहा था । राजनीतिक भ्रष्टाचार को ठीक करना तो जनता पार्टी की सरकार ने आरम्भ कर दिया है लेकिन प्रशासनिक भ्रष्टाचार को दूर करने में अभी सफल नहीं हुए हैं, क्योंकि जिनके हाथ में सत्ता है वह अफसरशाही हम लोगों को भ्रष्ट करने में लगी हुई है । त्याग और भ्रष्टाचार परस्पर भले ही विरोधी हो लेकिन उनमें एक सम्बन्ध है । भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने की पहली शर्त है कि कुछ त्याग और कुर्बानी करने वाले लोगों को आगे आना होगा । हमारे नेताओं ने राजघाट में जाकर कसम खायी थी कि हम मितव्ययिता करेंगे और सादगी से रहेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि कोई मितव्ययिता और सादगी इस सदन में, प्रशासन में, हम देखने को नहीं मिली है । मैंने प्रस्ताव रखा था कि माननीय सदस्यों का वेतन ५०० रु० होना चाहिए, एक हजार रुपया नहीं । लेकिन मेरे प्रस्ताव के अनुसार कोई त्याग करने के लिए तैयार नहीं हुआ, तब लोग मुझसे नाराज ही हुए। मैं हमेशा सेकेन्ड क्लास में ही सफर करता हूं और ५०० रु० मासिक कुल लेता हूं और मेरा प्रस्ताव है कि सभी माननीय सदस्यों को सेकेन्ड क्लास में सफर करना चाहिए। यह मैं इसलिए कह रहा हूं . . . .

(श्री देव बहादुर सिंह के कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय देव बहादुर जी, आप रनिंग कमेन्ट्री न कीजिए।

श्री राम दत्त जोशी—

पुलिस के भ्रष्टाचार के बारे में जस्टिस मुल्ला का ऐतिहासिक फैसला है जिसमें उन्होंने कहा था कि "इफ दियर इज एनी विगेस्ट गैंग आफ आउट लौज इन

[श्री राम दत्त जोशी]

इंडिया, दैट इज इंडियन पुलिस फोर्स'। यह बात उस समय की है जब कि हमारे प्रदेश म डाक्टर सम्पूर्णानन्द, चीफ मिनिस्टर थे। पुलिस में जो भ्रष्टाचार रहा है जो उनके जुल्म रहे हैं वह पैसा कमाने के लिए करते थे, लेकिन इमरजेंसी में भेड़ियों के मुंह को आदमियों का खून लगा दिया। इमरजेंसी के दौरान डेढ़ लाख मुकदमें डी० आई० आर० के अन्तर्गत झूठे बनाने का पुलिस को हुक्म दे दिया गया और झूठे मुकदमें बनाए गए, झूठ का कारखाना खुल गया। डी० आई० आर० के झूठे मुकदमें बनाने में पुलिस का कोई अपना स्वार्थ नहीं था उन्हें कोई प्राप्ति नहीं हुई धन की, अर्थ की। उनको जानबूझ कर हुक्म देकर भ्रष्ट किया गया अन्याय और जुल्म ढाने के लिए झूठे मुकदमे बनाने के लिए पुलिस को मजबूर किया गया। लेकिन एक बार जहां भेड़िए के मुंह को आदमियों का खून लग जाता है तो फिर वह और कोई चीज नहीं खाता। श्रीमन्, वही भ्रष्ट पुलिस हमें विरासत में मिली है, वही प्रशासन विरासत में मिला है। इसके विरुद्ध संघर्ष करने के लिए राजनीतिक लोगों को आगे आना चाहिए। लेकिन पहली शर्त यह है कि जो कसम हमने राजघाट में खाई है मितव्ययता की और सादगी की उसको अपने ऊपर ईमानदारी से लागू करें तब हम कह सकते हैं कि ऐयाशी खत्म होनी चाहिए, भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, मितव्ययता आनी चाहिए। इन शब्दों के साथ में प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं।

(कुछ के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

अब इस पर विवाद समाप्त होगा और मैं जो कटमोशनों के प्रस्तावक है उनको अवसर दूंगा। उसके बाद में मुख्य मंत्री जी बोलेंगे। आप सब अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री यशपाल सिंह--

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन के उन सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने इस विवाद में अपना हिस्सा लिया और मान्यवर, मैं इस रूप में और भी उनका आभार प्रकट करता हूं, चाहे उधर के बैठने वाले मेम्बरान हों या इस पक्ष के हों, दोनों पक्ष के लोगों ने मेरे प्रस्ताव का भावनात्मक ढंग से अनुमोदन किया. . . .

एक सदस्य--

आवाज नहीं सुनाई दे रही है।

श्री बाबू बदरे--

आपकी आवाज में कोई दम नहीं रह गया। बैठ जाइए।।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठिए।

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, मैं कह रहा था कि मैं उन माननीय सदस्यों का और भी आभारी हूं कि उन्होंने चाहे हमारे ३० साल के प्रशासन की बुराई की, लेकिन इन तीन महीनों में जो यह सरकार कर रही है उसकी जबरदस्त आलोचना की। सभी ने एक मत होकर माना है कि प्रदेश में शान्ति व्यवस्था की हालत बदतर हुई है। जो इलजाम कि हमारे ऊपर लगाया जाता है कि ३० साल में हमने कूड़ा-कर्कट इकट्ठा किया है, माननीय दिघ जी ने अपना भाषण शुरू करते समय कहा था,

मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर इन माननीय सदस्यों की राय का कुछ इस सरकार के सामने वजन है तो वह यह बात मान ले कि इन तीन महीनों में उन्होंने उस खड्डे को और भी ज्यादा भर दिया कूड़ा–कर्कट से। मान्यवर, शान्ति व्यवस्था की हालत, हरिजनों पर होने वाले अत्याचार और इसके अतिरिक्त इस सदन में बैठने वाले मेम्बरान की जिन्दगी के खतरे और इसके साथ ही साथ विद्यार्थियों में असंतोष तमाम कालेज बन्द हैं और यही नहीं....

श्री अध्यक्ष––

माननीय यशपाल सिंह जी, आप पुनरावृति मत कीजिए अपने भाषण में। आपको तो केवल जो आलोचना है उसका उत्तर देना है।

श्री यशपाल सिंह––

मैं पुनरावृति नहीं कर रहा हूं।

श्री बाबू बदरे––

व्यवस्था चाहता हूं। ये नेता विरोधी दल की सीट पर कैसे खड़े हुए हैं? जैसे मुख्य मंत्री जी की सीट पर कोई नहीं बैठ सकता ऐसे ही नेता विरोधी दल के लिए भी वही लागू होता है। इस पर व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष––

यह कोई व्यवस्था नहीं है, आप बैठिए।

श्री यशपाल सिंह––

पी० ए० सी० में बढ़ा हुआ असन्तोष इस बात का साफ द्योतक है कि इस जनता पार्टी की सरकार ने तीन महीने के अन्दर प्रदेश की वह हालत उससे बदतर कर दी है कि जिसके बारे में उनकी बहुत ज्यादा शिकायत है कि हमने ३० वर्षों में की।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं पुलिस प्रशासन में कुछ सुझाव पेश करना चाहता हूं। सिविल पुलिस का जहां तक ताल्लुक है उससे भारी संतोष न जनता में है और न माननीय सदस्यों को है। सी० आई० डी० पर कुछ भरोसा लोग करते हैं। लेकिन सी० आई० डी० का बजट अगर देखें तो करीब–करीब वही है जो पिछले वर्षों में था। माननीय मुख्य मंत्री जी को चाहिए कि सी० आई० डी० को एफेक्टिव बनाये और जनता का विश्वास प्राप्त करें। मेरा तो यह भी उनसे निवेदन है कि सिविल पुलिस से उसको बिल्कुल जुदा कर दें। उसका आई० जी० बिल्कुल अलग से मुकर्रर हो और जो सिविल पुलिस से उसमें लोग भेजे जाते हैं वह भी बन्द हों। सिविल पुलिस के लोग सी० आई० डी० में आना पसन्द नहीं करते हैं। उनको सिविल पुलिस में चार्म रहता है। इसलिए सी० आई० डी० स्केल में बढ़ोत्तरी कर दें उनके बाल–बच्चों का ध्यान रख कर। तो मैं समझता

[श्री यशपाल सिंह--]

हूं कि उनमें संतोष होगा और वह इधर-उधर भागेंगे नहीं और जनता को भी लाभ होगा ।

इसके साथ-साथ में एक निवेदन और करना चाहता हूं कि इस माननीय सदन में भ्रष्टाचार की आवाज बहुत बुलन्द हुई है । इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार का कारण केवल प्रशासनिक नहीं है । इसमें अगर हम गहराई से देखें तो आर्थिक दृष्टिकोण इसमें पहली बात है । इसके बाद प्रशासनिक है और तीसरा नैतिक । तो इस आर्थिक प्रश्न को कैसे हल किया जाय मेरी समझ में यह कोई मामूली प्रश्न नहीं है । समाज के हर वर्ग का अध्ययन करके यह देखना पड़ेगा कि उनके जीविकोपार्जन के लिए उनको हमें क्या देना है, चाहे वह खेतिहर मजदूर हों, चाहे कृषक हों, चाहे किसी बिजनेस में काम करते हों या हमारे प्रशासन में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पद पर हों, बतलाया जाता है कि भ्रष्टाचार ऊपर से है, मैं भी यही मानता हूं, लेकिन पोलिटिकल इंटरफियरेन्स भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा कारण है । जबकि उसको समाप्त नहीं किया जायगा तब तक भ्रष्टाचार पर काबू पाना असम्भव है । हमारे प्रधान मंत्री जी जब यहां आए थे, अपने दल के सदस्यों को उन्होंने सम्बोधित किया था इशारतन उन्होंने कहा था कि पोलिटिकल इंटरफियरेन्स कम से कम हो ।

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त कीजिएगा।

श्री यशपाल सिंह--

नैतिकता के आधार पर फिर उनको दंडित किए जाने का प्रश्न आता है और जो भ्रष्टाचार में इन्वाल्व्ड पाए जायं उनको दंडित किया जाय ।

अब मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को चूंकि कल वह नहीं थे मैंने अपने जिले की तीन वारदातों का जिक्र किया था । उनके पास वह नोट होंगी । वहां पर हरिद्वार में पुलिस को १५ हजार रुपए माहवार सट्टे से इन्कम है । अगर मुख्य मंत्री जी उसको समाप्त करवा दें तो जिला उनका अनुगृहीत होगा । इन शब्दों के साथ में आशा करता हूं कि माननीय सदन के सभी सदस्य मेरे कटौती के प्रस्ताव को पास करेंगे ।

(व्यवधान--श्री रेवती रमण रस्तोगी और श्री खान गुफरान जाहिदी एक साथ बोलने लगे ।)

(व्यवधान)

श्री रेवती रमण रस्तोगी (जिला कानपुर)--

औरों को समय देते हैं, तो मुझे क्यों समय नहीं देते ? ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए ।

श्री खान गुफरान जाहिदी (जिला फतेहपुर)--

मान्यवर, सदन का समय बढ़ा दिया जाय । माननीय सदस्य ने गलत बात कही है....(व्यवधान)....

२१--पुलिस, अनुदान संख्या ३--मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या, ५--निर्वाचन, अनुदान संख्या १८--सचिवालय, अनुदान संख्या १९--जिला प्रशासन, अनुदान संख्या २५--अन्य प्रशासनिक सेवाएं, अनुदान संख्या ३६--सूचना तथा प्रचार, अनुदान संख्या ३९--अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रम, अनुदान संख्या ४१--अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं तथा अनुदान संख्या ४४--अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

श्री अध्यक्ष--

इस पर अब विवाद समाप्त हो गया है ।

श्री खान गुफरान जाहिदी--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने गलत बात कही है, इस पर मुझे कुछ कहने का मौका दीजिए और सदन का समय बढ़ा दीजिए। (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष--

मैंने माननीय श्याम धर मिश्र को बुला लिया है ।

श्री खान गुफरान जाहिदी--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने गलत बयान दिया है । (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष--

उसके बाद आपको मौका दिया जायगा ।

श्री श्याम धर मिश्र--

इधर जो पूंजीगत, योजनागत रुपए हैं वह कम होते जा रहे हैं और राजस्व का व्यय जो है वह अधिक होता जा रहा है । मेरे कटौती के प्रस्ताव के उत्तर में किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया और इस तरह का मुझे कोई जवाब नहीं आया कि जो हमने शिकायत की थी, भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जो हमने शिकायत की थी जुडिशियरी के सम्बन्ध में, स्क्रीनिंग के सम्बन्ध में, सर्विसेज के सम्बन्ध में, लालफीताशाही के सम्बन्ध में । जो हमने शिकायत की थी, इस पर कोई भी माननीय सदस्य हमसे मतभेद नहीं रखते और कम से कम मैं तो यह कह सकता हूं कि वह हमसे न केवल मतभेद नहीं रखते, पूरे तौर से हमें समर्थन देते हैं ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शान्त रहिये कृपया ।

श्री श्यामधर मिश्र--

उत्तर प्रदेश की सतर्कता आयोग की एक पुस्तक बंटी हुई है कार्य कलापों के सम्बन्ध में । उसके दूसरे पैरा में लिखा हुआ है--आयोग का कार्य एक परामर्शदात्री निकाय के तौर पर ही है क्योंकि किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत पर जांच करने अथवा कराने के अधिकार आयोग को नहीं दिये गये हैं । इसलिए इसका पूरे तौर से दायित्व नहीं निभाया जाता है । इसमें पूरी बातें लिखी हुई हैं । मैं समझता था कि विजीलेंस के सम्बन्ध में, सतर्कता विभाग के सम्बन्ध में या जो प्रश्न उठाया गया, यह जो विभाग है, इसको पूरे अधिकार दिये जा रहे हैं, अगर दिये जायेंगे या दिये जाने की सम्भावना है, वह भी हमारे सामने किसी माननीय सदस्य ने नहीं रखा । एक श्रीमन् और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वह यह है कि, आप करीब दो बजे जब अपने कक्ष में थे अधिष्ठाता महोदय पीठासीन थे, तो कासगंज के झंडे के सम्बन्ध में व्यवस्था उठायी, उन्होंने कह दिया कि श्रीमती सुचेता कृपालानी जब यहां की मुख्य मंत्री १९६५ में थीं, तो उन्होंने एक वक्तव्य दिया था सदन में और उसको उन्होंने पढ़कर सुनाया और इस अभिप्राय से सुनाया कि अगर उसका नतीजा निकाला जाय तो कांग्रेस का झंडा वहां नहीं रह जाना चाहिये । मान्यवर, मुझे दो मिनट दिये जायं । मेरे पास पूरी फाइल है, वक्तव्य भी है ।

श्री मधुकर दिघे--

सरकारी फाइल है ।

श्री श्यामधर मिश्र--

सरकारी फाइल कैसे होगी । प्रोसीडिंग की कापी है । उसे मैं पढ़ रहा हूं । श्रीमन्, आप मंत्री हैं आप जानते हैं कि सरकारी फाइल कैसे होगी । जब आप मंत्री नहीं रहेंगे तब आपके पास भी नहीं रह जायगी । श्रीमन्, मैं पढ़ रहा हूं । यह प्रश्न शारदा भक्त सिंह, श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री तम्बेश्वर प्रसाद, श्री हरीश कुमार मगवार, श्री दयाराम शाक्य ने पूछा था । सन् ६५ की बात है । श्रीमन्, प्रश्न यह था--

"क्या मुख्य मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि कासगंज, जिला एटा में घंटाघर पर राष्ट्रीय महत्व के दिवसों पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराने हेतु कासगंज के नागरिकों ने अत्याधिक प्रयास किया तथा जिलाधीश एटा से भी इस सम्बन्ध में व्यवस्था हेतु मिले ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमन्, इस पर उत्तर दिया गया था । 'जी हां', इस प्रकार की मांग कासगंज नगर की जनसंघ शाखा की ओर से की गई थी और कुछ व्यक्ति इस सम्बन्ध में जिलाधीश, एटा से मिले भी थे । जहां तक कार्यवाही किये जाने का प्रश्न है जिलाधीश ने अनौपचारिक रूप से सम्बन्धित कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की । (शोर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शांत रहें । पढ़ने दिया जाय ।

श्री श्यामधर मिश्र--

और कासगंज की कांग्रेस कमेटी ने २५ जनवरी को यह प्रस्ताव पास किया कि २६ जनवरी को इस घंटाघर पर कांग्रेस पार्टी के झंडे के साथ-साथ राष्ट्रीय

ध्वज को भी फहराने की व्यवस्था की जाय क्योंकि वह पोल जिस पर कांग्रेस का झंडा फहराया जाता है, ८० फीट ऊंचा है इसलिये यह आवश्यक समझा गया कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिये पोल ८० फीट से अधिक ऊंचा होना चाहिये। (शोर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग सुनें। आप लोग शांत क्यों नहीं रहते ?

श्री श्यामधर मिश्र--

श्रीमन्, मैं पढ़ रहा हूं। मुझे आपके आदेश से चलना है। इनके आदेश से नहीं। कांग्रेस कमेटी की तरफ से अध्यक्ष, नगरपालिका से प्रार्थना की गई कि वह तुरन्त लगभग ८५ फीट लम्बे बांस (पोल) का प्रबन्ध कर दें। किंतु इसका प्रबन्ध नहीं कर सके। इसलिये २६ जनवरी, १९६५ को सदा की भांति घंटाघर पर केवल कांग्रेस पार्टी का ही झंडा फहराया गया।

उस समय तक यही फहराया गया। श्रीमन्, अब मैं आगे चलता हूं। (शोर)

श्री अध्यक्ष--

आप कहने दीजिये। शांत रहिये।

श्री श्यामधर मिश्र--

पूरी बात सुनें। आप लोग मुझे बैठा नहीं सकते। मेरी बात सुननी पड़ेगी।

श्री खान गुफरान जाहिदी--

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है। अगर हाईकोर्ट में केस चल रहा है तो इसको इस तरह का विवाद बनाया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष--

केस से इसका ताल्लुक नहीं है। आप लोग बैठ जायं। सुनें।

श्री श्याम धर मिश्र--

सरकार का मत है कि सार्वजनिक इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज ही फहराया जाना चाहिये। जांच करने के उपरांत यह पाया गया कि घंटाघर एक सार्वजनिक इमारत है। अतएव इस पर किसी अन्य पार्टी का ध्वज नहीं फहराया जाना चाहिये। (शोर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शांत रहें।

श्री श्यामधर मिश्र---

जिलाधीश, एटा से इस बात का ध्यान रखने के लिए कहा गया है कि भविष्य में इस घंटाघर पर कांग्रेस पार्टी का ध्वज नहीं फहराया जाना चाहिये। (शोर)

श्री अध्यक्ष---

आप लोग शांत क्यों नहीं रहते ?

श्री श्यामधर मिश्र--

यह विवाद ६५ तक चलता रहा। सन् २१ से लेकर ६५ तक चलता रहा। मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं कि केवल कांग्रेस का ध्वज चलता रहा।

एक सदस्य--

गलत है।

श्री श्यामधर मिश्र--

मैं बयान दे रहा हूं हो सकता है कि गलत हो। आप बयान देंगे हो सकता है सही दें। १९६५ के बाद वहां नगरपालिका ने प्रस्ताव किया।

श्री अध्यक्ष---

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब आपको कट मोशन रखने का अधिकार नहीं, जवाब देने का है।

श्री श्यामधर मिश्र--

९-८-६५ को जिला एटा की नगरपालिका ने यह प्रस्ताव किया। उसकी कापी है लेकिन समय न होने से मैं नहीं पढ़ रहा हूं। मान्यवर, वहां कांग्रेस का झंडा लगा और राष्ट्रीय ध्वज भी लगा। १९७७ को १४-८-७७ को डी० एम०, एटा का आर्डर होता है कि राष्ट्रीय ध्वज लगे वह सबसे ऊंचा हो और आठ बजे से साढ़े आठ बजे तक लगाया जाय। साढ़े ८ से सवा ९ तक कांग्रेस का ध्वज लगाया जाय और उसके बाद जनता पार्टी का ध्वज लगाया जाय। तीन दिन बाद सेशन जज का आर्डर होता है कि मैजिस्ट्रेट का आर्डर ठीक नहीं है। उसमें हाईकोर्ट में अपील होती है जिसका आर्डर मेरे पास है। उसमें इलाहाबाद के जज कहते हैं कि 'नहीं'। जज का हाईकोर्ट में क्वेश करते हैं। इसके माने स्टेटस को रखा जाय। वहां कांग्रेस पार्टी का झंडा नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज है और फारवर्ड ब्लाक का झंडा है। जनता पार्टी के झंडे पर किसी को एतराज नहीं है बल्कि सुख है। लेकिन दुख इनको इस बात का है कि कांग्रेस का झंडा क्यों लगाते हैं। इस बात के लिये हमारे विरोधी दल के नेता गिरफ्तार किये गये हैं इसीलिये हमको जवाब देना पड़ा।

(व्यवधान-शोरगुल)

श्री अध्यक्ष---

आप लोग शांत रहें।

श्री श्यामधर मिश्र--

मान्यवर, शिया-सुन्नी का १९७४ का एग्रीमेन्ट था उसको उठाया गया क्योंकि इस सरकार ने उसको बदला है। जिस कारण बदला, अपोजीशन को कान्फीडेन्स में लिये बिना ? इसका हमको कोई उत्तर नहीं दिया गया। इसलिये हमको कोई संतोष नहीं है इनके वक्तव्यों और जवाबों से। बल्कि जो बात कही गयी है, सही बातें हैं। मुझसे वह सहमत हैं चाहे हां में चाहे जो बात कहें।

श्री अध्यक्ष--

गुफरान साहब आप कोई आक्षेप नहीं करेंगे और केवल अपनी सफाई देंगे।

श्री देव बहादुर सिंह--

इनके और मंत्री जी के बोलने के बीच से कोई नहीं बोल सकता है। ऐसा नहीं होता है। आप व्यवस्था मान्यवर, दें।

श्री अध्यक्ष --

कोई व्यवस्था नहीं।

श्री खान गुफरान जाहिदी--

मान्यवर, हमारे एक माननीय सदस्य श्री बाबू बदरे ने सियासत अखबार के बारे में जो बातें कहीं वह गलत हैं। लखनऊ में दंगा २८ सितम्बर को हुआ तो उससे पहले कोई चीज न तो सियासत अखबार में और न दूसरे अखबारों में थी। अखबार में जो अंग्रेजी फैलाने की बात कही गयी है वह गलत है। जब इन माननीय सदस्य की बात इस अखबार में छपती है तो वह अखबार अच्छा है और जब न छपे तो अखबार बुरा है। इसीलिये मैं कहना चाहता हूं कि वह अखबार बुरा नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

आप पर निजी आक्षेप नहीं था।

श्री खान गुफरान जाहिदी--

अखबार का नाम लिया गया था।

श्री अध्यक्ष--

लेकिन कोई आक्षेप होता तो ठीक था चूंकि आक्षेप अखबार पर किया गया तो....

श्री खान गुफरान जाहिदी--

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरह की बात गलत है। सियासत अखबार ने जनता पार्टी के लिये जिस तरह काम किया है वह सारी दुनिया को मालूम है। कभी कांग्रेस वाले एतराज करते थे अब हमारे सदस्य ने किया....

श्री अध्यक्ष--

ठीक है ।

*मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)--

(तालियां) अध्यक्ष महोदय, कल बजट प्रस्तुत करते समय मैं उपस्थित नहीं हो सका था और मेरी ओर से मेरे वित्त मंत्री दिघे जी ने बजट प्रस्तुत किया था। उनके प्रस्तुत करने के पश्चात् इस सदन में कटौती के प्रस्ताव पेश किये गये जिनके सम्बन्ध में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये । उनके साथ-साथ सत्ता पक्ष की तरफ से, हमारी तरफ से भी समर्थन में हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये। मैं उन सभी लोगों का स्वागत करता हूं उनके सुझावों का क्योंकि लोकतंत्र में कोई भी शासन या कार्य तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक सुझावों का सम्मान या आदर न किया जाय क्योंकि उन सुझावों के आधार पर कुछ सुधार करने की प्रेरणा और बल मिलता है । इसलिए जिन माननीय सदस्यों ने कल से लेकर आज तक अपने विचारों को सदन में रखा और कुछ सुझाव दिये मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं । उसके साथ ही साथ यह अवश्य है कि जो लोग विपक्ष में बैठे हैं उन लोगों की तरफ से कुछ ऐसे भी प्रश्न किए गये जवाब देने के लिए, विशेष रूप से कुछ ऐसे मसले उठाये गये जिन मसलों के पश्चात् कोई ठोस रचनात्मक सुझाव नहीं दिए गये । जो पिटी-पिटाई बात आलोचना की होती है वही बात विपक्ष की तरफ से रखी गयी । इसलिए उनके सुझावों में जो सुझाव मिलने चाहिये थे वे न मिल सके । यह अवश्य है कि मैं उपस्थित नहीं था लेकिन जो बातें उन लोगों ने कही हैं वे मेरे सामने हैं, जिन लोगों ने अपने विचार रखे हैं उनके विचार मेरे सामने हैं इसलिए उन विचारों को देखने के बाद, समझने के बाद, उन पर अपनी दृष्टि डालने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि आलोचना सिर्फ आलोचना के लिए की गयी कोई रचनात्मक सुझाव देने के लिए नहीं की गयी है क्योंकि जो परिस्थिति आज है जिन परिस्थिति में जनता पार्टी की सरकार बनी आप जानते हैं इसकी चर्चा हो रही है । उसके साथ-साथ शांति और व्यवस्था की भी चर्चा काफी हुई है । एक बात अवश्य है जिसे इस संदर्भ में स्पष्ट करना बहुत ही आवश्यक समझता हूं और वह यह कि जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो ··· (बिजली चली गयी)

(बिजली चली जाने पर मुख्य मंत्री का भाषण कुछ समय के लिए स्थगित रहा और इसी बीच विजिटर्स गैलरी से पर्चे फेंके गये तथा नारे लगाये गये ।)

(बिजली आ जाने पर)

श्री राम नरेश यादव--

यह अवश्य है कि आपात स्थिति के चलते रहते जो लोग आज विपक्ष में बैठे हैं पुलिस का सहारा किस तरह से लेते थे वे इसे अच्छी तरह से जानते हैं । केवल अपने सम्मान के लिये, जगह-जगह सलामी लेने के लिये और अपने पदों को सुशोभित करने के लिये उसका प्रयोग होता था ।

श्री श्याम धर मिश्र--

वही आज भी हो रहा है । (शोरगुल)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शान्त रहिये । जिस तरह से उन्होंने सुना था आप भी सुनिये ।

श्री राम नरेश यादव--

इसी लिए आज विपक्ष में बैठे हुए लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं । इन लोगों ने ही पुलिस को ऐसा बना दिया था कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल के सीखचों में बन्द कर दो। आज वही लोग पुलिस प्रशासन की आलोचना कर रहे हैं और आलोचना करते समय वह यह भूल जाते हैं कि उन्होंने अपने शासन काल में पुलिस के जिम्मे कौन से काम सौंपे थे । अब वह जमाना नहीं रहा । हम लोग अब लोकतंत्र में सांस ले रहे हैं । हर व्यक्ति को अच्छी तरह से अपने विचारों को रखने का अधिकार है और जब अपने विचारों को रखने का अधिकार है तो वह जिस तरह से चाहे शासन की आलोचना करने का अधिकार भी रखता है । इसलिए यह जो अधिकार उनको मिला है जिसके अन्तर्गत वह आलोचना कर रहे हैं यह उनको जनता पार्टी की ही देन है और इसके लिये उनको जनता पार्टी को बधाई देना चाहिये जिसने आपको इस लायक बनाया ।

श्री देव बहादुर सिंह--

सदन में भी आलोचना नहीं कर सकते थे क्या यह मंशा है आपकी ? (शोर)

श्री राम नरेश यादव--

धैर्य के साथ आप सुनें । यह जो आप खड़े होकर बोलते हैं और समाचार-पत्रों में वे सब बातें आती हैं तो आप अपने सीने पर हाथ रख कर ठंडे दिल से सोचें कि असेम्बली में जो कार्यवाही होती थी उसे न छपने के लिये, प्रकाशित न होने देने के लिये जो कानून आपने बनाया था उसे जनता पार्टी की सरकार ने ही रद्द किया और यह जनता पार्टी की (व्यवधान) आपको बड़ी देन है ।

इसीलिए जब हम वहां चर्चा करते हैं तो हमारी नीति स्पष्ट है कि शांति और व्यवस्था ठीक ढंग से कायम रहे । कानून की दृष्टि में चाहे कोई छोटा हो या कितना ही बड़ा हो सब बराबर है और अगर कानुन की दृष्टि से वह अपराधी पाया जायेगा तो उसे बरदाश्त नहीं किया जायेगा । (तालियां) (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शांत रहिये । यह अत्यन्त अनुचित है कि व्यवधान डाला जाय ।

श्री श्यामधर मिश्र--

१२ लड़के मोरारजी भाई की मीटिंग में पकड़े गये ।

श्री राम नरेश यादव--

मैं जानता हूं जो उधर बैठे हुए हैं, हमारे विरोधी दल के नेता श्री तिवारी जी कासगंज (एटा जिले में) में बंद हैं। अभी दो दिन हुए भूतपूर्व प्रधान मंत्री भी गिरफ्तार हुई (व्यवधान)।

श्री देव बहादुर सिंह--

उनको अदालत ने छोड़ा, आप लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी।

श्री राम नरेश यादव--

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का जो ३० वर्ष का इतिहास रहा है उसमें हमारे देश के किसी भी बड़े से बड़े पूंजीपति को जेल के कटघरे में नहीं रखा गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

शांत रहिये।

श्री राम नरेश यादव--

कानून की दृष्टि में हमारे देश में हर इंसान बराबर है किसी को क्षमा नहीं किया जायेगा। (व्यवधान) शांति और व्यवस्था हम कायम रखेंगे इसीलिए आप लोग उतावले होते होंगे। ऐसे लोगों के लिए संविधान में संशोधन करके व्यवस्था कर दी गई कि उनके खिलाफ कभी मुकदमे नहीं चलाये जा सकेंगे। हम लोकतंत्र में रूल आफ ला में विश्वास रखते हैं यह रूल आफ ला जंगल नहीं है। कानून में कोई बड़ा और छोटा नहीं है, सब समान हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं रखा गया है (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शांति रखें। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं अगर आप भी शोर मचायेंगे और उधर से भी व्यवधान होगा तो भाषण सुनना मुश्किल हो जायेगा। यह मेरा कर्तव्य है कि अगर कोई व्यवधान डाले तो उसे रोकूं। लेकिन अगर आप ही व्यवधान डालेंगे तो कार्यवाही चलना मुश्किल होगा। आप लोग शांत रहें। सबसे ज्यादा शोर आप लोग मचाते हैं।

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, हमारी नीति स्पष्ट है (व्यवधान) आप जानते हैं कि ३० साल तक आप अंधेरे में टटोलते रहे इसी लिए कुछ नहीं मिल सका। जनता पार्टी की नीति स्पष्ट है। हम चाहते हैं कि हम गांधी जी के रास्ते पर उस अंत्योदय की कल्पना पूरी करें जिसके लिए बहुत दिनों तक संघर्ष किया। इसलिए जैसा कि बजट में भी मैंने कहा था कि हमारा बजट इस बात का द्योतक है कि गिरे हुए आदमी को, दबे हुए आदमी की आय बढ़े और कम आय वाले को ऊपर उठाया जाय और इसके लिए जो आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, जिन्होंने बड़ी आलोचना की है, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपका चौकीदार....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अरुण कुमार जी, मैं आपको चेतावनी देता हूं, आप अब रनिंग कमेन्ट्री न कीजिए। (व्यवधान)

श्री श्यामधर मिश्र--

क्या उधर से बोल रहे हैं, बताइये क्या आप कह रहे हैं [× ×] बैठे हैं, [× ×] उधर बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शान्त होकर बैठिए, मानसिंह जी आपलोग शान्ति रहिये, आप शान्त रहिये। (व्यवधान)।

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)--

श्रीमन्, आप तो कम से कम जनतन्त्र की रक्षा कीजिए।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शान्त रहिए, बार-बार आप लोग खड़े होते हैं यह शोर ठीक नहीं है। शान्त रहिये, आप क्या कहना चाहते हैं हमसे कहें।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, वह यह कि माननीय श्यामधर जी ने अभी कहा यह [× ×] बैठे हैं। इसी पर मेरी आपत्ति है, मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं, यह शब्द वापस ले लिए जांय या सदन की कार्यवाही से निकाल दिए जाएं। ये गैर-संसदीय शब्द हैं।

श्री अध्यक्ष--

मानसिंह जी मैं आपको चेतावनी देता हूं, सदन से निकालने के लिए मुझे बाध्य होना पड़ेगा। आपने चोर कहा? (व्यवधान) कार्यवाही में क्या है, मैं देखूंगा, यदि उन्होंने चोर कहा है। मैं आपसे फिर कहता हूं आप बैठ, आपको इतनी समझ होनी चहिए . . . । (व्यवधान)

श्री श्यामधर मिश्र--

वह जो बैठे हैं, उन्होंने कहा है, देखिए फिर कह रहे हैं। (व्यवधान)

एक सदस्य--

[× ×]।

श्री श्यामधर मिश्र--

फिर कहा है कि [× ×] (व्यवधान)

नोट--[× ×] यह अंश श्री अध्यक्ष द्वारा दिनांक १४ अक्तूबर, १९७७ को दी गई व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

देवबहादुर जी आपको सदन से निकाल दूंगा अन्यथा आप शान्ति रहिए। आप व्यवस्था करने दीजिए। आप शान्त क्यों नहीं रहते ह। मैं यह कह रहा हूं कि इस प्रोसीडिंग को देखा जाएगा, इस पक्ष के किसी आदमी ने चोर कहा है, तो उसको मैं बाध्य करूंगा वापस लेने के लिए और यदि आपन कहा है .....

श्री श्यामधर मिश्र--

मैंने [× ×] कहा है। मैं नाम बताता हूं उनका जिन्होंने [× ×] कहा है।

श्री अध्यक्ष--

मैं इस पक्ष के लोगों से कहना चाहता हूं, आप इसकी अहमियत नहीं समझ रहे हैं और सदन का समय नष्ट कर रहे हैं और व्यवस्था कायम करने में मदद नहीं करना चाहते हैं। मैं प्रोसीडिंग देखूंगा।

जिधर से भी किसी ने चोर शब्द का इस्तेमाल किया है प्रोसीडिंग्स से निकाल दिया जायगा। और उस व्यक्ति न इस सदन का अपमान किया है, इसके लिए उनको क्षमा मांगने के लिए बाध्य करना पड़ेगा और आपने सारी पार्टी को कहा है, चोर है, आपका भी यह कार्य संसदीय प्रणाली के विरुद्ध है। मैं यह देखूंगा, अगर इधर से कहा गया तो इधर से क्षमा मांगनी होगी और आपको भी इसके लिए क्षमा मांगनी होगी। यह सदन का अपमान है। श्यामधर जी, आप उत्तेजित न हों। यह अत्यन्त अनुचित है।

श्री श्यामधर मिश्र--

मैं नाम बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

मैं सदस्यों से कहना चाहता हूं। माननीय मुख्य मन्त्री (व्यवधान) देव बहादुर जी आपको आखरी चेतावनी देता हूं।

(श्री अरुण कुमार के खड़े होने पर)

मैं मार्शल से निकलवा दूंगा अगर आप बोले। आप बैठिए। आप जाइये। बाहर। आपका यह आचरण--आप बैठ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इधर के माननीय सदस्य उत्तजित न हों, शान्ति रखें। माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण शान्ति के साथ सुन।

माननीय मुख्य मंत्री (माननीय मुख्य मंत्री बोलने के लिए खड़े हुए) (श्री शतरुद्ध प्रकाश के खड़े होने पर) मैं बार-बार अनुरोध करता हूं। लगता है मुझको सदन को स्थगित करना पड़ेगा। शतरुद्ध जी और कुछ लोग बार-बार मेरे कहने के बावजूद खड़े होते हैं। मैं कहना चाहता हूं, कुछ रूलिंग पार्टी की परम्पराएं होती हैं। कुछ रूलिंग पार्टी के लोगों का कर्तव्य है। उनमें इतनी शिष्टता होनी चाहिए कि जब नेता सदन खड़े हों उनको अत्यन्त शान्तिपूर्वक उनकी बात को सुनना चाहिये। और अगर विरोधी पक्ष की तरफ से व्यवधान होता है तो उसको रोकना अध्यक्ष का काम होता है। जब आप लोग व्यवधान करते हैं तो इससे सदन की कार्यवाही में बाधा पड़ती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी तरफ से व्यवधान हुआ तो मैं सदन को स्थगित कर दूंगा।

नोट--[× ×] यह अंश श्री अध्यक्ष द्वारा दिनांक १४ अक्तूबर, १९७७ को दी गई व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि हमारी सरकार और जनता पार्टी की नीति निश्चित रूप से इस बात की है कि हमारे प्रदेश का और देश का जो कम आय वाला वर्ग है, और जो बहुत दबा और पिछड़ा हुआ है उसी को ऊपर उठाया जाय, उसकी आमदनी बढ़ाई जाय, शासन उसी आधार पर चल भी रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो तीस साल के अन्दर पिछली सरकार की नीति चलती रही, चौकीदार जो गांवों में रहता था, जिसके जिम्मे यह काम दिया गया था कि कोई भी घटना गांव में हो, उसके हल्के में हो वह जाकर थाने में उसकी सूचना दे, इसके लिए उसको १० रुपये प्रतिमास मिल पाता था, लेकिन इस लिए कि जनता पार्टी और उसकी सरकार की नीति है इसलिए दस रुपये से बढ़ाकर १५ रु० तनख्वाह कर दी है। यह सब से बड़ी चुनौती पिछली सरकार के लिए है। (व्यवधान) हम जानते हैं कि वह भी कम है लेकिन जो हमारी वित्तीय स्थिति है उसको देखते हुए इतना कर दिया है जो पिछली सरकारें थीं, जो सामने बैठे हुए लोगों की थीं, उनके हिस्से में यह नहीं पड़ा कि पचास फीसदी वह बढ़ा दें। यह भी वह नहीं कर सके। ऐसा करके ४५ हजार ५७७ लोगों को इस सरकार ने लाभ पहुंचाया है।

इसके साथ ही साथ इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पुलिस और पी०ए०सी० जिनकी जिम्मेदारी शान्ति और व्यवस्था की है, सरकार को इस बात को महसूस करना चाहिए कि रात दिन वह अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और जो उनको मिलना चाहिए वह उसको मिल नहीं पाता है। इसीलिए बीमा योजना लागू की गई थी और अब हमने कल्याण निधि खोल दिया है। तो जो लाभांश होगा वह उसी में जमा होता रहेगा और वह उनके कल्याण के लिए ही खर्च किया जायेगा। यह पहला काम जनता पार्टी की सरकार ने किया है और किसी सरकार ने नहीं किया। इस बात को देखते हुए कि सचमुच हमारे प्रदेश में जिस तरह की स्थिति है, आज श्रमिकों में आन्दोलन बढ़ रहे हैं, विद्यार्थियों में, कर्मचारियों में, स्कूलों में हर जगह जहां देखें आन्दोलन दिखाई पड़ते हैं और हमें उन आन्दोलनों का मुकाबला करना है, विशेष रूप से इमरजेन्सी के बाद जब हमारी जबान बन्द थी, हड़ताल नहीं कर सकते थे, सत्याग्रह नहीं कर सकते थे और अपनी मांग नहीं पेश कर सकते थे। जब हमारी जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन लोगों की जबान खुल गयी तो स्वाभाविक है कि उन लोगों ने अपनी-अपनी मांगों को लेकर सामने आये और इस लिए सामने आये कि जनता पार्टी से उनको बहुत आशायें थीं, लेकिन विरोधी पक्ष के लोग विद्यार्थियों को, अध्यापकों को और मजदूरों को भड़का कर आन्दोलन और अशान्ति पैदा करने की चेष्टा कर रहे हैं।

श्री श्यामधर मिश्र—

अपना काम नहीं देखेंगे।

श्री अध्यक्ष—

कम से कम आपको तो संयम रखना चाहिए।

श्री राम नरेश यादव--

इसलिए इस बात को महसूस करते हुए कि यहां पर जो परचे बाजी हो रही है यह सारा का सारा षड़यंत्र कांग्रेस के लोगों का है और उनके द्वारा किया जा रहा है ।

श्री देव बहादुर सिंह---

यह चार्ज लगा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये ।

एक सदस्य--

कैसे आये हैं उनकी जानकारी करा दी जाये ।

श्री अध्यक्ष---

कोई जानकारी नहीं है ।

श्री राम नरेश यादव--

इसीलिए पुलिस प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए 104 इन्स्पेक्टर, 140 हैड कान्स्टेबिल और ५५० कान्स्टेबिल की नियुक्ति का प्राविधान अपने बजट में किया है । ट्रैफिक इन्सपेक्टर और ट्रैफिक पुलिस का भी प्राविधान किया गया है । यह इस बात को सिद्ध करता है कि सचमुच हम पुलिस को सुदृढ़ करना चाहते हैं । इसीलिए उनकी संख्या में वृद्धि करने का प्राविधान अपने बजट में किया है ।

इसके साथ ही साथ अपराध जो होते रहते हैं, तो देखा जाये कि सड़कों के अभाव में और जहां पर आने जाने के साधन कम हैं और वहां पर अपराधों की वृद्धि होती है, उनको कम करने के लिए नयी 16 गाड़ियों को चलाना आरम्भ किया है जिन पर वायरलेस सेट रहेगा जिससे जहां पर कोई घटना होगी तो उसकी जानकारी हो जाया करेगी और पेट्रोलिंग करेंगे जिससे जो अपराधों में वृद्धि हो रही है उस पर काबू पाया जा सके । इसके साथ ही साथ हमने 12 जिलों के 31 ग्रामीण पुलिस चौकियों में भी टेलीफोन और वायरलेस रेडियो आदि की व्यवस्था कर दी है इस आय व्ययक में । इनके माध्यम से जहां कहीं भी किसी प्रकार की कोई घटना हो जाये तो रेडियो और टेलीफोन के माध्यम से सूचना मिलने के बाद तुरन्त कार्यवाही हो सकेगी । आप देखें कि सुदूर गांवों में जहां चौकियां बड़ी दूर-दूर हैं और उनसे संदेश शीघ्र थानों में नहीं आ सकते ऐसे स्थानों में आवागमन व संचार साधनों के न होने के कारण बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है और समय पर कार्यवाही नहीं हो पाती है । इन सब बातों को ध्यान में रखकर ग्रामीण चौकियों पर इस प्रकार की व्यवस्था की गई है ।

श्री अध्यक्ष--

सदन का समय 15 मिनट और बढ़ाया जाता है ।

श्री राम नरेश यादव--

अभी तक प्रदेश के 19 जिलों के जिलाधिकारियों की गाड़ियों में रेडियो और टेलीफोन आदि की व्यवस्था थी । शेष ३८ जिलों में भी इसकी व्यवस्था कर दी गई है जिससे यदि कहीं कोई घटना हो जाये, तो उसकी सूचना मिलते ही तत्काल उस पर कार्यवाही की जा सके और स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सके । इन सब बातों का प्राविधान मैंने अपने बजट में किया है ।

अनुदान संख्या २१--पुलिस, अनुदान संख्या ३--मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या ५--निर्वाचन, अनुदान संख्या १८--सचिवालय, अनुदान संख्या १९--जिला प्रशासन, अनुदान संख्या २५--अन्य प्रशासनिक सेवाएं, अनुदान संख्या ३६--सूचना तथा प्रचार, अनुदान संख्या ३९--अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी कार्य क्रम, अनुदान संख्या ४१--अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं तथा अनुदान संख्या ४४--अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

अभी हमारे माननीय श्याम धर मिश्र जी, श्री रियासत हुसैन जी और माननीय मोती राम जी ने कुछ चर्चा की है। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि जिन थानों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। ४० हजार की आबादी पर एक थाना होना चाहिये। यह बात श्याम धर जी ने कही थी। जब वह थानों के बढ़ाने की बात करते हैं तो वह एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव क्यों रखते हैं? आपको यह सोचना चाहिये कि अगर कटौती की जायेगी तो यह सब काम कैसे होंगे। आपको तो हमने जो बजट रखा है, उसमें सहयोग करना चाहिये।

श्री श्याम धर मिश्र--

आप बतायें कि एक रुपया क्यों रखा जाता है। यह तो नियम की बात है।

श्री राम नरेश यादव--

यह कहा गया कि वाराणसी में दो अक्तूबर को पुलिस थानों पर उपवास किया गया और लखनऊ में गांधी पार्क में एक पी० ए० सी० कर्मचारी हैं उनमें असंतोष व्याप्त है, इसकी बड़ी चर्चा की गई। मैं कहना चाहता हूं कि जब कहीं भी असंतोष होता है तो यह देखना चाहिये कि उसके पीछे कौन सी शक्तियां हैं? कौन सी राजनीतिक शक्तियां काम कर रही हैं। ये शक्तियां जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए काम कर रही हैं। ये वही लोग हैं जो अभी तक सत्ता में थे, अब आज सत्ता से बाहर रह कर वही काम कर रहे हैं ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शांति बनाये रखें। अरुण कुमार जी, आप इतने उच्छृंखल क्यों बन रहे हैं?

श्री राम नरेश यादव--

जैसे राज्य कर्मचारी परिषद्, पुलिस परिषद् और पी० ए० सी० के ये लोग निकाले हुए लोग हैं। इनका पी० ए० सी० से कोई संबंध नहीं है। हमारी पुलिस और पी० ए० सी० आज उतनी ही अनुशासित हैं जितनी पहले थी। जब कभी भी अशांति और अव्यवस्था पैदा होगी, तो वह उसी अनुशासन से स्थिति का डट कर मुकाबला करेगी (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शांति से बैठें।

श्री हरि केवल प्रसाद (जिला देवरिया) --

जब तक माननीय मुख्य मंत्री जी ....

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शांति बनाये रखें। मुझे अत्यन्त खेद है कि सत्ता पार्टी के लोग अपनी परंपरा का पालन नहीं करते। अगर वे कोई बात कहना चाहते हैं तो उसे सुझावरूप में मुख्य मंत्री को दे दें। आप लोग बैठें। (व्यवधान)

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, कल और आज एटा जिले की स्थिति पर काफी चर्चा की गई। कासगंज का मामला कोई नया नहीं है। मैंने पहले भी संकेत किया था कि इसको नया कह कर इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिये। हमारे श्याम धर मिश्र जी उस सारी परिस्थिति को अच्छी तरह से जानते हैं और जान बूझ कर इस मामले को उठा रहे हैं। कानून की दृष्टि में चाहे बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, उसको क्षमा नहीं किया जायगा। जो भी आदमी दफा १४४ को तोड़ने का प्रयास करेगा, चाहे वह कोई भी हो कानून के अन्दर उसको गिरफ्तार कर के जेल में भेज दिया जायगा।

मैं माननीय सदस्यों को यह भी बता देना चाहता हूं जैसा कि श्यामधर जी ने चर्चा की, १९६५ में जब सुचेता जी प्रदेश की मुख्य मंत्री थीं, इस बात को स्पष्टतया व्यक्त किया था कि जिलाधीश को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं, उस पर किसी भी दल विशेष का झंडा नहीं फहराया जायेगा और हमारी सरकार ने भी आदेश दिए हैं कि जहां कहीं भी सार्वजनिक स्थान होंगे उन पर राष्ट्रीय झंडा ही फहराया जायगा और कोई दूसरा झंडा नहीं फहराया जा सकता। तिवारी जी से मैंने कहा था कि आप कानून को अपने हाथ में न लें। क्योंकि कानून तो अपना रास्ता पकड़ता ही है। परिणाम भी वही हुआ। कानून के अन्तर्गत वे गिरफ्तार हुए। तो यह कहना कि वहां पर हमेशा कांग्रेस का झंडा फहराया जाता था, यह बात नहीं रह जाती है। हमने इस बात को हमेशा ध्यान में रखा है कि शांति व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिये। वहां पर हजारों की संख्या में लोग गये और दफा १४४ को तोड़ने का प्रयास किया। सरकार की कभी भी मंशा नहीं रही है कि कानून और व्यवस्था कहीं पर भंग हो। कासगंज के अन्दर हमने गिरफ्तार किया और उन्हें जेल में भेज दिया। इसलिए वहां पर जो शांति व्यवस्था को भंग करने की बात कही गई है वह उचित नहीं है। हमने जो किया है वह कानून के अन्तर्गत ही किया है। आप लोगों को तो धन्यवाद देना चाहिए। मैं इस संदर्भ में चाहे वह लखनऊ का मामला हो या चाहे, वह कानपुर का मामला हो या प्रदेश के किसी भी हिस्से का मामला हो शांति और व्यवस्था रखने के लिए जो भी कठोर से कठोर कदम होंगे, वे उठाये जायेंगे ताकि प्रदेश की जनता में किसी भी प्रकार की अशान्ति न हो सके।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं यदि माननीय मुख्य मंत्री जी आज्ञा दें।

श्री अध्यक्ष—

जब वे नहीं बैठ रहे हैं तो आप बैठ जाइये।

श्री राम नरेश यादव—

इस सिलसिले में एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं। विपक्ष की ओर से हरिजनों के ऊपर होने वाले अत्याचार की बड़ी चर्चा की गई है। ऐसा करके पिछली सरकार के जो कुकृत्य हैं, उनको छिपाने का प्रयास किया गया है। जिन अपराधों की चर्चा हो रही है अगर उन पर हुए पिछले अपराधों को देखें, जो उनके साथ तत्कालीन सरकार हुआ है, तो आपके रोंगटे खड़े हो जायेंगे। हरिजनों पर जो अत्याचार पिछले वर्षों में हुए हैं, उनके आंकड़े में सदन में आप लोगों को

संख्या २१--पुलिस, अनुदान संख्या ३--मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या ५--निर्वाचन, अनुदान संख्या १८--चिकित्सालय, अनुदान संख्या १९--जिला प्रशासन, अनुदान संख्या २५--अन्य प्रशासनिक सेवाएं अनुदान संख्या ३६--सूचना तथा प्रचार, अनुदान संख्या ३९--अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी कार्यक्रम, अनुदान संख्या ४१--अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं तथा अनुदान संख्या ४४--अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

सूचना के लिए रखना चाहता हूं। हत्याएं १९७५ में हरिजनों के ऊपर ७३ हुई थीं, ये आंकड़े १ जनवरी से लेकर ३१ जुलाई तक के हैं। १९७६ में हत्याएं ६१ और १९७७ में ६१। हिंसात्मक अपराध १९७५ में २४०, १९७६ में २२३, और १९७७ में १८५। बलात्कार की घटनाएं १९७५ में ४३, १९७६ में ५५ और १९७७ में ४०। इस तरह से ये आंकड़े बताते हैं कि १९७५–१९७६ में जबकि इमरजेंसी लगी थी, उस समय भी ये हत्यायें और ऐसी चीजें कम नहीं हुईं, इतना बताना चाहता हूं। यह वास्तव में सही है कि जो पिछड़ा समाज, जो गरीब तबका जो गांव में रहता था, वह आज जाग गया। अपने अधिकारों के लिए जब जगता है तो कहीं न कहीं ऐसी घटनाएं घटित होना स्वाभाविक है। क्योंकि जब आपके हाथ में हुकूमत आई थी तो आपने उसको उठने न दिया, केवल उसके अधिकार कागज तक सीमित थे हमने तो उन्हें १८ फीसदी नौकरियों में स्थान दिये हैं। लेकिन जनवरी, १९७७ तक उनको कुल ११.८ फीसदी भी पुलिस विभाग में नौकरियों में स्थान किसी तरह से हो पाये थे, जबकि आई० पी० एस० और पी० सी० एस० में केवल १० और ६ फीसदी ही थे। यह देन आपकी है और जहां तक जनता पार्टी का सम्बन्ध है, जनता पार्टी अब सजग है और जो गलतियां आपने की हैं ३० वर्षों के अन्दर कि हरिजनों के लिए रिजर्वेशन करने के बाद भी स्थान नहीं दिया है तो जनता सरकार पहली सरकार होगी जो सरकारी नौकरियों में जो निर्धारित रिजर्वेशन है उसे देने का पूर्ण प्रयत्न करेगी और उसमें मैं कह देना चाहता हूं कि कहीं कटौती या दिक्कत नहीं होगी।

एक बात और कह देना चाहता हूं। श्यामधर जी ने और दूसरे साथियों ने इस बात की चर्चा की कि लखनऊ के कांड के समय (व्यवधान) में उसकी चर्चा विशेष नहीं करूंगा; क्योंकि जुडिशियल इंक्वायरी की हमने घोषणा कर दी है, सारे मामले उसके अन्तर्गत आयेंगे, लेकिन इतना अवश्य बता देना चाहता हूं कि ७४ में जो एग्रीमेंट हुए थे, उसमें से हमने एक भी नहीं तोड़ा है, बल्कि उसके आधार पर काम किया है, यह स्पष्ट बताना चाहता हूं। इसीलिए हमने १९६९ और ७४ के एग्रीमेंटों को वितरित करवा दिया है। किसी को तोड़ा नहीं है। अब कैसे ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई, किस तरह से घटनाएं हुईं और घटना क्रम चल रहा है, इन पर जुडिशियल इंक्वायरी सारे तथ्यों की जांच करेगी और समीक्षा करेगी।

श्री देव बहादुर सिंह--

कानपुर में नहीं कराई जुडिशियल इंक्वायरी ?

श्री राम नरेश यादव--

कानपुर का जहां तक सवाल है, वह आपने लखनऊ की चर्चा को उठा करके सदन के अन्तर्गत, बाहर कानपुर में होने का अवसर दिया ....

श्री रियासत हुसैन--

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

क्या व्यवस्था है ? मुख्य मंत्री जी बैठ जाइये ।

श्री रियासत हुसैन--

मैं व्यवस्था चाहता हूं कि यह माननीय सदन प्रदेश के हर विषय के ऊपर जांच करने और विचार करने के लिए ही बना है । और प्रजातंत्र का इसलिए मन्दिर कहलाता है । मुझे बड़ा खेद है माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि चूंकि इस सदन के अन्दर चर्चा हुई, इसलिए कानपुर के अन्दर दंगा हुआ । मैं इस पर व्यवस्था चाहता हूं कि क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह उचित कहा और मैं इसी के ऊपर माननीय मुख्य मंत्री को माननीय सदन के अपमान का भी नोटिस देता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

जब आप नोटिस देंगे तब मैं इस पर विचार करूंगा ।

श्री रियासत हुसैन--

नोटिस देना अलग बात रही ।

श्री ऊदल--

माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि लखनऊ की चर्चा सदन में करने से कानपुर में दंगा हुआ । १३ आदमी मारे गये । माननीय मुख्य मंत्री जी के इस रवैये के कारण मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री ऊदल कम्युनिस्ट दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मैंने आपसे व्यवस्था चाही थी ।

श्री अध्यक्ष--

आपने कहा कि मैं नोटिस दूंगा । तो तब मैं उस पर विचार करूंगा ।

श्री रियासत हुसैन--

मैंने आपसे एक स्पष्ट चीज पर व्यवस्था चाही कि माननीय मुख्य मंत्री ने यह कहा कि चूंकि इस सदन के अन्दर चर्चा हुई उसके कारण कानपुर में दंगा हुआ । तो मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि क्या यह उचित है कि इस सदन को इस बात का दोषी ठहराया जाय कि इस सदन के अन्दर चर्चा होने के कारण कानपुर में दंगा हुआ ?

श्री अध्यक्ष--

आपने कहा कि मैं नोटिस दूंगा ।

श्री रियासत हुसैन--

नोटिस तो माननीय मुख्य मंत्री को दूंगा । आपसे तो व्यवस्था इस बात की चाहता हूं ...

संख्या २१– पुलिस अनुदान संख्या ३- - मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या, 5 निर्वाचन, अनुदान संख्या १८ सचिवालय, अनुदान संख्या १९- - जिला प्रशासन, अनुदान संख्या २५–अन्य प्रशासनिक सेवाएं, अनुदान संख्या ३६ सूचना तथा प्रसार, अनुदान संख्या ३९– अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी कार्य क्रम, अनुदान संख्या ४१-- अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं तथा अनुदान संख्या ४४--- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं ।

श्री अध्यक्ष---

आपने जो व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित किया है वह स्वयं विशेषाधिकार की अवहेलना से जुड़ गया है क्योंकि और कोई आपका औचित्य का प्रश्न ही नहीं है । आप तो यह कहते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कह कर सदन का अपमान किया । जहां तक माननीय सदस्यों के अधिकारों का सवाल है, यह पूर्णतया सक्षम हैं किसी भी विषय पर अपने विचार प्रकट करने के लिए । लेकिन जो आपने कहा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस पर जो टिप्पणी की है आया वह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है या नहीं, इस पर बाद में विचार करूंगा ।

सदन का समय बढ़ाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)---

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

१९७७–७८ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या २१---पुलिस, अनुदान संख्या ३–मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या–५–निर्वाचन, अनुदान संख्या–१८–सचिवालय, अनुदान संख्या १९–जिला प्रशासन, अनुदान संख्या २५–अन्य प्रशासनिक सेवायें, अनुदान संख्या ३६–सूचना तथा प्रचार, अनुदान संख्या ३९–अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रम, अनुदान संख्या ४१-अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें तथा अनुदान संख्या ४४–अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें (क्रमागत)

*(मुख्य मंत्री) श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि सदन में चर्चा हुई । सदन में चर्चा होने का मतलब यह है कि सदन को अधिकार है, सभी माननीय सदस्यों को अधिकार है अपने विचारों को रखने का, लेकिन ऐसे समय में जबकि हम शान्ति और व्यवस्था की बात करें और सदन में कुछ इस तरह की चर्चा आवेश में आकर करने लगें तो उसका असर दूसरी जगहों पर पड़ता है और इसके परिणामस्वरूप कुछ इस तरह की बातें होती हैं । यह मैं कह रहा था । इससे माननीय सदस्यों को विचलित नहीं होना चाहिये ।

जहां तक सामान्य प्रशासन का सवाल है, मैं दो–एक बातें अवश्य कहना चाहता हूं । शासन में जिस तरह से खर्च हो रहा था यह पहली जनता पार्टी की सरकार है जिसने १३,५०,९०० रुपये प्रशासन के सम्बन्ध में कटौती करके जो रुपया

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम नरेश यादव]

गलत तरीके से इधर-उधर व्यय हो रहा था उसको बचाया है और इसके साथ-साथ इस बात का प्रावधान किया है कि जितने जिलाधीश और अन्य जिलाधिकारी हैं वे जहां-कहीं भी किसी तरह की शिकायतें सुनें उनको सुनने के बाद तत्काल उनको दूर करने की भी कोशिश करें। यही वजह है कि आज शिकायतों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। यही नहीं, बल्कि हफ्ते में एक दिन उनकी सुनवाई के आदेश जारी कर दिए गए हैं जिनके अनुसार उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया है।

इस तरह की बातें हो रही हैं। ट्रांसफर की भी चर्चा बहुत कुछ हुई। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपात्कालीन स्थिति के दौरान जिस तरह से सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कांग्रेसी हुकूमत ने, पिछली सरकार ने किया था, सरकार में आने के बाद उसकी जानकारी होती रही, इसलिए ट्रान्सफर भी होते रहे। लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं कि अब केवल प्रशासनिक स्तर को छोड़कर किसी भी तरह के ट्रान्सफर इस समय नहीं हो रहे हैं। उसमें न राजनीति की हानि हो रही है, न कोई ऐसा प्रयास किया जा रहा है। इस तरह की अगर चर्चा होती है, तो हमारी जनता पार्टी की सरकार की तरफ से नहीं है। ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

देव बहादुर सिंह जी, आप लोग कम से कम शांति से सुनिये।

श्री राम नरेश यादव--

इस सम्बन्ध में एक बात और कह देना चाहता हूं, शायद सतर्कता अधिष्ठान की भी चर्चा की गई है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कि २३-६-७७ से ५-१०-७७ तक जो ट्रैप डाले गए, केवल तीन महीने के अन्दर जनता पार्टी की सरकार में ११३ नान-गजटेड और ६ गजटेड अधिकारी आज तक पकड़े गए। यह काम ऐसा है, जिस काम को सतर्कता विभाग बड़ी मुस्तैदी के साथ कर रहा है। जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया था कि इस विभाग को अलग रखा जाय, यह अगर अलग संवर्ग बनेगा, तो अच्छा प्रशासन चलेगा और ठीक से काम चलेगा। माननीय सदस्य ने जिन परिस्थितियों में कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसको वह वापस लें और जो हमारी तरफ से जो प्रस्ताव रखा गया है, वह उसको पारित करने में सहयोग दें ....। (व्यवधान)

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)--

मान्यवर, कल रात में इस मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यों ने कुछ मुआहिदा किया था कि इस शिव-सुन्नी फसाद को ठीक करने के लिए, पीस कायम करने के लिए, उस मुआहिदा के ऊपर माननीय मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य दिलाया जाय। पुलिस सामान्य बजट के ऊपर माननीय मुख्य मंत्री जी चर्चा करेंगे। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि लखनऊ में १३ मौतें रिपोर्टेड हैं, कानपुर में ७ मौतें रिपोर्टेड हैं।

श्री अध्यक्ष--

श्री बोरा, अब इस पर भाषण नहीं होगा। आप क्या स्पष्टीकरण मांगना चाहते हैं ?

अनुदान संख्या २१--पुलिस, अनुदान संख्या ३--मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या ५--निर्वाचन, अनुदान संख्या १८--सचिवालय, अनुदान संख्या १९--जिला प्रशासन, अनुदान संख्या २५--अन्य प्रशासनिक सेवाएं, अनुदान संख्या ३६--सूचना तथा प्रचार, अनुदान संख्या ३९--अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी कार्य क्रम, अनुदान संख्या ४१--अन्य समाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं तथा अनुदान संख्या ४४--अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं।

श्री डी० पी० बोरा--

इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी से आपने कहा था कि वक्तव्य देने के लिए मुआहिदा के ऊपर, वह टाला जा रहा है।

श्री अध्यक्ष--

श्री बोरा, मुख्य मंत्री जी से इसके सम्बन्ध में आपसे कुछ बात-चीत हुई थी, जैसे उसमें क्या-क्या हो रहा है, गिरफ्तारी के बारे में, लोगों को कम्पेंसेशन देने के बारे में, जुडिशियल इन्क्वायरी का ऐलान तो पहले कर ही चुके हैं, एक मांग इस तरह की है कि कानपुर के बारे में जुडिशियल इन्क्वायरी हो, इसके अतिरिक्त जो और प्रश्न थे, तो उनके बारे में आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे ?

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, लखनऊ का जहां तक सम्बन्ध है, मैंने मृतक के परिवार को, उनके उत्तराधिकारियों को देने का और जो घायल हैं उनके लोगों को, जिनका नुकसान हुआ है उन लोगों को यह सारी मैंने पहले घोषणा कर दी और उस सम्बन्ध में सरकारी स्तर पर विवरण तैयार किया जा रहा है कि किसको-किसको उनकी चोट के अनुसार कितना-कितना मिलना चाहिये सारी चीजें हो रही हैं। जहां तक सहायता पहुंचाने का सवाल है, सहायता पहुंचाने का काम हो रहा है। सरकार सारी चीजें कर रही है। सरकार का ध्यान इस ओर है।

श्री डी० पी० बोरा--

मुआहिदा हुआ था उस पर बता दें।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये।

श्री राम नरेश यादव--

पांच लोगों को पांच, पांच हजार रुपये दिए जा चुके हैं। कानपुर में जितने लोग मरे तो पांच-पांच हजार रुपये वहां दिये जायेंगे। माननीय, सदन के अन्दर इस सम्बन्ध में मैंने घोषणा किया है। वहां पर मैजिस्ट्रीयिल इन्क्वायरी हो रही है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद चाहेंगे, तो जुडिशियल इन्क्वायरी करायेंगे।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें। इसमें ऐसा था कि रात को बातें हुयी थीं। ३०० गिरफ्तारियां हुईं। मालवीय जी भी साथ थे। तो कर्फ्यू में जो लोग गिरफ्तार हुये हैं उनको छोड़ दिया जाय। १०७ में जो गिरफ्तार हैं उनकी स्क्रीनिंग करा दी जाय और जहां सब्सटेंटिव ऐक्शन है, उन पर विचार किया जाय। ऐसी बातें थीं।

श्री राम नरेश यादव—

अध्यक्ष महोदय, जब आपकी मौजूदगी में यह बातें हुई हैं तो स्क्रीनिंग करेंगे, लोग छोड़े जायेंगे। विश्वास दिलाता हूं कि जो बातें हुई हैं उसमें किसी भी तरह की ढिलाई नहीं होगी, उसका पालन सरकार की तरफ से होगा।

(श्री शफीकुर्रहमान वर्क के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। रात जो बातें हुई हैं, मुख्य मंत्री जी ने अभी उसके बारे में कहा है। कानपुर के बारे में रात भी हमने कहा था। तो इस पर वह विचार करेंगे। जहां तक कम्पेन्शेशन का सवाल है या जो लोग भर्ती हैं तो बताया कि ५ मृतकों को रुपया मिल चुका है। बाकी मृतकों को ५-५ हजार रुपया दिया जायगा। मुख्य मंत्री जी स्वयं इसके लिए कमिटेड हैं। जो लोग घायल हैं उनको अधिक से अधिक ढाई हजार रुपये, उनकी स्थिति के मुताबिक, उनको दिए जायेंगे। जहां तक गिरफ्तारियों का सवाल है, कर्फ्यू में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, बात हुई है कि छोड़ दिया जाय। जो १०७ में गिरफ्तार हुये हैं, कुछ समाज विरोधी तत्व हैं, उनकी स्क्रीनिंग करने के बाद वे छोड़ दिए जायेंगे। जहां तक सब्सटटिव ऐक्शंस की बात है, कत्ली हैं, आग लगाने वाले वगैरह हैं, उसमें माननीय मसूद साहब से, सब लोगों से बात-चीत हुई है, जिनकी इसमें गिरफ्तारी हुई है उनका भी इन्वेस्टीगेशन होगा, अगर कोई आंशिक सी चीज है जिसके खिलाफ विशेष सबूत नहीं है तो उनको छोड़ने पर सरकार विचार करेगी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जो कुछ भी बातें हुई हैं, उनका पालन होगा। तो मैंने इसमें बतला दिया है। इसके बाद कोई विवाद की आवश्यकता और नहीं है।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

आप बैठ जायें मैं अब अनुमति नहीं दूंगा। (शोर)

(श्री यशपाल सिंह को पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष—

क्या आप अपनी कटौती का प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री यशपाल सिंह —

मान्यवर, यह माननीय सदन मेरे प्रस्ताव के साथ है तब वापस लेने का क्या प्रश्न उठता है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

एक स्पष्टीकरण मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करिये थोड़ी देर शान्त रहें, बैठ जायें, कृपा कीजिए थोड़ी।

(श्री खान गुफरान जाहिदी के खड़े होने पर)

२१—पुलिस, अनुदान संख्या ३ – मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या ५ निर्वाचन, अनुदान संख्या १८—सचिवालय, अनुदान संख्या १९ – जिला प्रशासन, अनुदान संख्या 25—अन्य प्रशासनिक सेवाएं, अनुदान संख्या ३६— सूचना तथा प्रचार, अनुदान संख्या ३९—अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी कार्य क्रम, अनुदान संख्या ४१—अन्य समाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं तथा अनुदान संख्या ४४—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं ।

गुफरान साहब बाद में आप मुझसे बात कर लीजिएगा । मैं गुफरान साहब से और अन्य सदस्यों से कहूंगा, मुख्य मंत्री जी एक बात कह चुके हैं । इस सवाल को हल करना है । आप मुख्य मंत्री जी से बात कर लीजिए मैं भी इसमें हायक होने के लिए तैयार हूं । अब इस पर विवाद बन्द कीजिए ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण कराना है ।

श्री अध्यक्ष—

अब इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

जनता पार्टी की नीतियों से सम्बन्धित एक मामला है ।

मान्यवर, मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी जो मुख्य मंत्री जी ने पी० ए० सी० के सम्बन्ध में बात कही है, उसमें मैं समझता हूं कि जो सुना है, वह गलत सुना है ।

श्री अध्यक्ष—

अब समय नहीं है । सारे अनुदान पेश करने हैं । आप बाद में मुख्य मंत्री जी से मिलकर इसका स्पष्टीकरण ले लें ।

(श्री खान गुफरान साहिबी के पुनः खड़े होने पर)

गुफरान साहब आप मेरे कक्ष में आ जायेंगे वहां मुख्य मंत्री जी भी आयगे तो हम लोग मिलकर बात कर लेंगे ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मेरा एक व्यवस्था का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष—

अब कोई व्यवस्था नहीं । आप बैठें ।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि ३० वर्ष की संसदीय प्रणाली को हम देख रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं अध्यक्ष भी मंत्री का वक्तव्य देता हो । इसलिये कानपुर के सम्बन्ध में मुझे संतोष है क्योंकि आपका जवाब आया है ।

श्री अध्यक्ष--

मैं भी नागरिक हूं इसलिये चाहता हूं कि शांति व्यवस्था में मदद करूं।

श्री श्याम धर मिश्र--

मान्यवर, सतर्कता विभाग में पूरी फाइल का गंज की जो है, यदि आज्ञा दें, क्योंकि मुख्य मंत्री जी का आप काम कर रहे हैं, तो मैं पूरी फाइल आपको दे सकता हूं और आप जो निर्णय करेंगे वह मान्य होगा। इसी के साथ में कटौती का प्रस्ताव वापस नहीं लेता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१-पुलिस के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २१-पुलिस के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २८,५७,२६,४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३-मंत्रि परिषद् के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष मे अनुदान संख्या ३-मंत्रि परिषद् के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २४,१२,६०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५-निर्वाचन के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५-निर्वाचन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५१,६३,६०० रुपया से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

संख्या २१--पुलिस, अनुदान संख्या ३ मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या, ५--निर्वाचन, अनुदान संख्या २५ अन्य प्रशासनिक सेवाएं अनुदान संख्या ३६--सूचना तथा प्रचार, अनुदान संख्या ३९--अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रम, अनुदान संख्या ४१--अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं तथा अनुदान संख्या ४४--अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८--सचिवालय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १८--सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३,११,९६,७०० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९--जिला प्रशासन के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १९--जिला प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४,२०,३५,७०० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५--अन्य प्रशासनिक सेवाओं के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २५--अन्य प्रशासनिक सेवाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,०८,८२,३०० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३६—सूचना तथा प्रचार के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३६—सूचना तथा प्रचार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ७२,४१,३०० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९—अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३९—अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्ध कार्य—क्रम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,११,३२,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१—अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४१—अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४,२०,७०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४४—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४४-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ८६,२२,९०० रुपय से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मधुकर दिघे (संसदीय कार्य मंत्री)--

अभी माननीय उप नेता विरोधी दल, मिश्र जी ने आप पर आक्षेप किया था। इधर से कुछ सदस्यों ने यह सूचना दी सदन में कि माननीय अध्यक्ष और हम लोगों ने मिलकर शान्ति व्यवस्था कायम करने के अच्छे इरादे से जो प्रयत्न कल रात किया था उसकी सूचना यहां सदस्यों को दे दी जाय और मुख्य मंत्री जी अगर उसको स्वीकार करते हैं तो उनकी स्वीकृति का ठप्पा भी यहां लग जाय। यह सूचना विस्तार से आपने सदन को दी, मुख्य मंत्री से स्वीकृति प्राप्त होने पर इस पर श्री मिश्र ने आप पर आक्षेप किया कि मुख्य मंत्री के ऊपर मुख्य मंत्री बन कर आप कार्य चलाना चाहते हैं। यह उनका आक्षेप बहुत अशोभनीय और आपत्तिजनक है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर आप व्यवस्था दें। यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है। यह जानबूझ कर आक्षेप किया गया है :

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रश्न उपस्थित किया है वास्तव में यह व्यंगात्मक आक्षेप है और उनको इस प्रकार का आक्षेप नहीं करना चाहिये।

श्री खान गुफरान जाहिदी (जिला फतेहपुर)--

एक खास बात रह गयी है और वह यह कि जब तक दोनों पक्ष में कोई दूसरा मुआहिदा नहीं होगा उस वक्त तक न अलम निकलेंगे, न ताबूत निकलेंगे और न जुलूस निकलेगा, यह फैसले में शामिल है।

श्री अध्यक्ष--

इस पर हमने कोई कमिटमेंट नहीं किया है। मुख्य मंत्री जी से हम इस पर बातचीत करेंगे।

श्री शफीकुर्रहमान वक (जिला मुरादाबाद)--

मैं चाहता हूं कि आज ही बयान दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

श्री बिहारी लाल हंस, श्री देवबहादुर आदि द्वारा युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा दिनांक ४ अक्तूबर, १९७७ को आकाशवाणी, लखनऊ के मिथ्या प्रसारण के विरुद्ध प्रदर्शन करने पर उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाना तथा लखनऊ जेल में उन्हें उच्च श्रेणी न दिया जाना। यह मैंने केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है।

श्री मोहन सिंह, श्री हरिकेवल प्रसाद और श्री रबीन्द्र सिंह के भाटपाररानी, देवरिया स्थित पं० मदन मोहन मालवीय डिग्री कालेज के छात्रों द्वारा २ अक्तूबर से छात्र संघ के लिए आमरण अनशन तथा ६ अक्तूबर को प्रबंधकों तथा छात्रों के बीच गोली चलने से कुछ व्यक्तियों का घायल होना। इसे मैंने वक्तव्य के लिए स्वीकृत किया है। माननीय शिक्षा मंत्री जी कब वक्तव्य देंगे ?

शिक्षा मंत्री (श्री काली चरन)--

१४ तारीख कर दिया जाय।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला व राणसी)--

हमारे वाले में भी सुन लें। मेरे वक्तव्य पर कुछ नहीं कहना है। केवल निवेदन सुन लें। मैं यह कह रहा हूं कि यह इतना महत्वपूर्ण है कि अवलम्बनीय महत्व का है इस पर तत्काल सूचना मिलनी चाहिये। मैंने सुबह भी कहा था जो प्रोसीडिंग का पार्ट बना है। लड़के जेल में बैठे हुए हैं, उनकी दुर्दशा हो रही है, उन्हें आज ही वक्तव्य देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री यह माननीय श्यामधर जी और अन्य सदस्यों ने एक सूचना दी है कि युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा दिनांक ४ अक्तूबर, १९७७ को आकाशवाणी, लखनऊ के मिथ्या प्रसारण के विरुद्ध प्रदर्शन करने पर उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाना तथा लखनऊ जेल में उन्हें उच्च श्रेणी न दिया जाना जब कि उनका कहना है कि पोस्टग्रेजुवेट हैं। इसको मैंने केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है। कृपया कल वक्तव्य दे दीजिये क्योंकि यह स्थानीय मामला है, सूचना मिल सकती है।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७७

सचिव--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४९ के अन्तर्गत सदन को सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७७ जो विधान सभा द्वारा दिनांक ७ सितम्बर, १९७७ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक ७ अक्तूबर, १९७७ को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९७७

सचिव--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४९ के अन्तर्गत सदन को सूचना देता हूं कि (२) उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९७७, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक ८ सितम्बर, १९७७ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक ७ अक्तूबर, १९७७ को वापस प्राप्त हो गया है।

दर्शक दीर्घा से सदन में पर्चे फेंकने और नारे लगाने की घटनायें

श्री अध्यक्ष--

आज सदन में दर्शक दीर्घा से जो पर्चे फेंकने की घटना हुई है उसके सम्बन्ध में मार्शल, विधान सभा ने मुझे नीचे लिखी सूचना दी है। 'आज दिनांक ७ अक्तूबर, १९७७ को लगभग २-५५ बजे जिस समय सदन की कार्यवाही चल रही थी, शासन पक्ष के पीछे की दर्शक दीर्घा से एक व्यक्ति ने ऊपर से सदन में कुछ पर्चे फेंके तथा 'इंदिरा गांधी जिंदाबाद' का नारा लगाया। दीर्घा में तैनात कर्मचारियों ने उस व्यक्ति को तुरंत ही अपने वश में करके उसे वहां से हटा दिया। उस व्यक्ति के पास से कोई भी दीर्घा का प्रवेश-पत्र प्राप्त नहीं हुआ। वह व्यक्ति अपना नाम ब्रजनारायण शर्मा तथा अपने को गोरखपुर का निवासी बतलाता है। उसके पास से प्रवेश-पत्र उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि उसको किस के द्वारा प्रवेश-पत्र जारी किया गया था....। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने इस बात को छिपाने के लिये ही अपना दीर्घा प्रवेश-पत्र भी जान बूझकर कहीं फेंक दिया।

सदन में गिरे पर्चों की प्रति इस रिपोर्ट* के साथ संलग्न है तथा वह व्यक्ति उस समय से मार्शल की अभिरक्षा में बैठाया हुआ है। मैं समझता हूं कि यदि सदन सहमत हो तो उक्त व्यक्ति को, जितनी देर वह मार्शल की हिरासत में रह चुका है, उस सजा को पर्याप्त मानते हुए, अब छोड़ दिया जाय। मैं इस सम्बन्ध में सदन की राय जानना चाहता हूं।

कई सदस्य--

छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए।

(सर्वसम्मति से उन्हें छोड़ देने का निश्चय हुआ।)

सदन का समय पुनः बढ़ाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

दिघे जी आप १५ मिनट के लिए सदन का समय बढ़ाने का प्रस्ताव कर दें।

श्री मधुकर दिघे (संसदीय कार्य मंत्री)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि १५ मिनट सदन का समय बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि इस सदन का समय १५ मिनट और बढ़ा दिया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*छापी नहीं गयी।

दर्शक दीर्घा से सदन में पर्चे फेंकने तथा नारे लगाने की घटनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--

आज ४ बजकर २५ मिनट पर अपराह्न के समय दूसरी बार दर्शक दीर्घा से पर्चे फेंकने और नारे लगाने की घटना हुई। इस सम्बन्ध में मार्शल से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, वह इस प्रकार है :--

आज दिनांक ७ अक्तूबर, १९७७ को अपरान्ह ४.२५ बजे दूसरी बार शासन पक्ष की ओर की ऊपर की दर्शक दीर्घा से चार व्यक्तियों ने 'छात्र एकता जिन्दाबाद' के नारे लगाये तथा सदन में कुछ पर्चे फेंके। इन चारों व्यक्तियों के नाम क्रमशः श्री अवधेश प्रसाद, श्री प्रदीप पाण्डे, श्री संगम लाल विद्यार्थी एवं श्री शकतेन्द्र कुमार हैं तथा इन व्यक्तियों को प्रवेश-पत्र माननीय उप मंत्री, पशुधन की संस्तुति पर बनाए गये हैं....

श्री देवबहादुर सिंह--

यह उप मंत्री कौन हैं ?

श्री अध्यक्ष--

श्री मुख्तार अनीस, उप मंत्री, पशुधन।

श्री श्यामधर मिश्र--

अब आप देखें श्रीमन्, यह हम पर आरोप लगाते हैं, जबकि सत्ता पक्ष वाले ही आपस में सब करा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

फेंके गये पर्चे एवं चारों व्यक्तियों के प्रवेश-पत्र* संलग्न हैं। रिपोर्ट के अनुसार श्री अवधेश प्रसाद, श्री प्रदीप पाण्डेय, श्री संगम लाल विद्यार्थी एवं श्री शकतेन्द्र कुमार जिन्होंने दर्शक दीर्घा से पर्चे फेंके और नारे लगाकर सदन की कार्यवाही में व्यवधान किया है, घटना के बाद से मार्शल की हिरासत में हैं। इस प्रकार सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना सदन का स्पष्टतया अवमान है। मैं समझता हूं कि अब तक मार्शल की हिरासत में रहने के समय को सदन के उक्त अवमान का पर्याप्त दण्ड मानते हुए, सदन की कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात् उक्त चारों अभियुक्तों को रिहा कर दिया जाय।

यदि सदन उपर्युक्त प्रस्ताव से सहमत हो तो तदनुसार कार्यवाही की जाय।

अनेक सदस्य--

छोड़ दिया जाए।

(सदन की सर्वसम्मति संस्तुति से उन्हें छोड़ देने का निश्चय हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

अब मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं। यदि माननीय सदस्य दर्शक दीर्घा के पास ईश्यू करने में सावधानी नहीं बरतेंगे तो मैं सारी दीर्घाओं के पासों को कैंसिल करूंगा। मैं सदस्यों से चाहता हूं कि वे सतर्कता बरतें और आगे यह भी सोचना पड़ेगा कि इस प्रकार से जो दीर्घा से व्यवधान डालेंगे उनको कारावास का कठोर

---

*छापे नहीं गये।

दण्ड दिया जाय और यह दिया जाएगा । मैं माननीय सदस्यों और दलों के नेताओं से कहना चाहता हूं कि जो इस तरह के पास ईश्यू करेंगे, यह उनकी जिम्मेदारी होगी और दलों के नेताओं का कर्तव्य है कि वह इस तरह के पास ऐसे व्यक्तियों को ईश्यू न करें, उनके बारे में सोंचे ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, अब तक जनता सरकार के दल की ओर से पास आए हैं, इसलिए इनके पास बन्द कर दिए जाएं ।

जलपान गृह में अव्यवस्था के सम्बन्ध में शिकायत

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

एक छोटा सा निवेदन आपसे जो रेस्टरां है, कैफेटीरिया है, उसके सिलसिले में करना चाहता हूं । श्रीमन्, यह सदन अब ६, ७ बजे तक बैठता है और ८ बजे तक बैठने की नौबत आयेगी । जो कैफेटीरिया है सदन के परिसर में है । इसलिए यह अन्दाजा लगता है कि उसका टाइमिंग और उसकी सेवाएं माननीय सदस्यों और उनसे सम्बन्धित लोगों की सुविधाओं के लिए हैं । लेकिन मुझे ऐसा आभास हुआ, सवा तीन बजे मैं एक कप काफी पीने के लिए गया, मुझे ऐसा आभास हुआ, मैनेजर साहब वगैरह से बातचीत हुई । न काफी थी, न चाय थी, न कोई चीज ऐसी थी जो खायी जाती । मुझे ऐसा आभास हुआ उनके कथन से कि वह इस सदन की सुविधा के लिए नहीं हैं बल्कि उनके प्रोग्राम के मुताबिक सदन वाले चाहें तो उसका इस्तेमाल करें । आप बुलाकर इस मामले को साफ करें, वह हमारे लिए हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

मैंने इसी मकसद के लिए २९ सितम्बर को एक उच्चस्तरीय मीटिंग बुलायी थी । लेकिन ऐसी परिस्थितियां हुईं कि २९ तारीख को उस मीटिंग को स्थगित करना पड़ा । वस्तु स्थिति यह है कि यह प्रश्न विचाराधीन है । साथ-साथ में दोनों पक्षों के सदस्यों से भी निवेदन करूंगा कि पहले इस बात की व्यवस्था की गयी थी कि केवल सदस्य रेस्टरां में जायं । लेकिन उसका कार्यान्वयन करना असम्भव हो गया क्योंकि सदस्यों का सहयोग नहीं मिला । यह प्रश्न कि किस प्रकार सदस्यों को सुविधा प्रदान की जा सके, विचाराधीन है । आप सबसे मिलकर इसका कोई न कोई हल निकाला जायगा ।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण उपकुलपति का घेराव तथा आमरण अनशन के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

*काली चरण (शिक्षा मंत्री)--

२० सितम्बर, १९७७ को लगभग १/१/२ बजे दोपहर को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ६००-७०० के विद्यार्थियों की एक भीड़ कुलपति के निवास स्थान पर पहुंची और निवास में जबरदस्ती घुसने की चेष्टा की । पुलिस ने मुख्य भीड़ को बाहर रोक दिया और कुछ छात्र नेताओं को कुलपति से मिलने के लिये अन्दर आने दिया । २५ छात्र नेता कुलपति के निवास स्थान पर क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठ गए । छात्रों द्वारा कोई ज्ञापन तो प्रस्तुत नहीं किया गया परन्तु उनकी मुख्य मांग यह थी कि विश्वविद्यालय में प्रवेश संख्या में अत्यधिक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री काली चरण—]
वृद्धि की जाय जिससे कि प्रवेश संख्या आपातकालीन स्थिति के पूर्व की ही न रखी जाय वरन् आपातकालीन स्थिति के पूर्व जिस प्रतिशत तक के विद्यार्थी भर्ती किये गये थे, उस प्रतिशत तक के सभी विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाय। इन मांगों पर उन्होंने जिला प्रशासन और अध्यापकों के कई बार प्रयास करने के बावजूद भी उनसे विचार-विमर्श करने से इन्कार कर दिया। छात्रों के सामान्य अनुशासनहीन व्यवहार को देखते हुए और इस अंदेशे से कि कहीं स्थिति उग्र रूप न धारण कर ले, विभागाध्यक्षों ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय को अनिश्चित काल के लिये बन्द कर दिया जाय। उस रात लगभग १२ बजे जिला प्रशासन ने कुलपति निवास स्थान से १२ छात्रों को हिरासत में ले लिया।

उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों को उनकी शैक्षिक कार्यकलापों की समीक्षा के आधार पर मुख्यतः विकास अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिया जाता है। प्रवेश में उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने की नीति के फलस्वरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व शासन की नीति रही है कि विश्वविद्यालयों में प्रवेश सीमित रखा जाय। इसी नीति के फलस्वरूप इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने वर्ष १९७४-७५ में बी० ए० प्रथम वर्ष में १८२१ सीटों को घटाकर वर्ष १९७७-७८ में १५०६ कर दिया। परन्तु इस वर्ष इन्टरमीडिएट की परीक्षा के परीक्षा फल में पास शुदा छात्रों के परीक्षाफल में एकदम से बढ़ोत्तरी होने के कारण विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिये छात्रों की अधिक भीड़ है। इस भीड़ को देखते हुए बी० ए० प्रथम वर्ष में सीटों की संख्या १८२१ जो वर्ष १९७४-७५ में थी, करने के लिये विश्वविद्यालय से कहा जा रहा है। बी० एस० सी० बाइलोजी में अतिरिक्त सेक्शन खोलने का प्रस्ताव भी शासन ने स्वीकार कर लिया है तथा सायंकालीन स्नात्तकोत्तर कक्षायें शुरू करने के प्रस्ताव को स्वीकार करने के विषय में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

सदस्य, श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' द्वारा सदन या उसके परिसर में अनशन करने के लिये अनुमति हेतु पत्र

श्री अध्यक्ष—

(श्री मोहन सिंह के खड़े होने पर) मोहन सिंह जी अपना स्थान ग्रहण करें। दूसरी जो नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना थी उसको कल लेंगे। मैं एक बात कहना चाहता है कि समय नहीं है। श्री राकेश जी ने एक पत्र लिखा है, उसको देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। उसमें लिखा है कि मैंने सहमति प्रकट की है। मैंने तो कोई अनशन करने की अनुमति नहीं दी। उसमें लिखा है कि कल प्रातःकाल ११ बजे तक मुझे सदन या सदन परिसर में ही अनशन करने की अनुमति प्रदान की जाये। यह अनुमति नहीं प्रदान की जा सकती है। यह नियम विरुद्ध है। आप किसी तरह का उपवास जो कर रहे हैं उसे आप अपने निवास स्थान पर कर सकते हैं।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण उपकुलपति का घेराव तथा आमरण अनशन के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य (क्रमागत)

*श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी के जो केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री चुन्दर साहेब हैं उन्होंने इस बात का एलान किया है कि जिस पैमाने पर माध्यमिक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शिक्षा का विस्तार किया गया है उसी तरह से अगर उच्च शिक्षा का विस्तार नहीं किया जायगा तो शिक्षा में असन्तुलन पैदा हो जायेगा । जब श्रीमन्, यहां पर सत्र प्रारम्भ हुआ तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि कोई भी छात्र जो पिछली कक्षा में पास है वह अगली कक्षा के दाखिले के लिए रोका नहीं जायगा । इस वर्ष इन्टरमीडियेट का परीक्षाफल अच्छा रहा है तो बी० ए० कक्षाओं में अगर सीट नहीं बढ़ायी जायेगी तो क्या इस तरह से आन्दोलन को बढ़ावा देना नहीं है ? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि २० सितम्बर को जो...

श्री अध्यक्ष--

उत्तर देने का समय दीजिए नहीं तो समय समाप्त हो जायेगा ।

श्री मोहन सिंह (देवरिया)--

मान्यवर, इसके प्रस्तावक ही ४ व्यक्ति हैं वह कुछ न कुछ बोलेंगे और माननीय शिक्षा मंत्री जी को उत्तर देना है इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर प्रश्न करने की अनुमति कल दे दें क्योंकि यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

यह जो माननीय सदस्यों की इच्छा है तो इस वक्तव्य को तो पढ़ दिया गया है और कल कार्यक्रम के बाद में फिर इस पर स्पष्टीकरण हेतु अनुपूरक प्रश्न हो जायेंगे ।

अब हम उठते हैं कल ११ बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बज कर ५९ मिनट पर शनिवार, ८ अक्तूबर, १९७७ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
७ अक्तूबर, १९७७

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।